खण्ड-226, अंक-7
सोमवार, 22 कार्तिक, शक संवत् 1883
(13 नवम्बर, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ नवम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयबरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अस्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री

टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह इतियानदी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजुरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार बैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान बैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी मुनन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वृजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हुसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह सिंघल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १३ नवम्बर, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अंजान शहीद सहकारी मिल, जिला आजमगढ़, में कथित गबन

१—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले में अंजान शहीद सहकारी मिल में ६० हजार के गबन की गम्भीर शिकायत सरकार को मिली है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

२—श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी प्रकार के गोलमाल या हिसाब में गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी और सरकार ने उसकी प्रारम्भिक जांच कराई थी, लेकिन कागजात पर सब कुछ सही पाया गया ? क्या यह सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी कोई वाकफियत नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

घाटमपुर तहसील में चार्ज न देने वाले पंचायत प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही

*१—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों के पराजित प्रधानों ने चार्ज नहीं दिये

उनके विरुद्ध क्या वारन्ट जारी किये गये ? यदि हां, तो किस के आदेश पर और पंचायत राज ऐक्ट की किस धारा के अनुसार ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—जी हां ।

घाटमपुर तहसील में अतिरिक्त परगनाधीश ने भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत वारंट जारी किये, पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत वारंट जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२—**श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या यह सही है कि कानपुर जिले के अन्तर्गत कुछ पराजित प्रधान चार्ज न देने के अभियोग में गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो किसके आदेश पर तथा पंचायत राज ऐक्ट की किस धारा के अन्तर्गत ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां ।

अतिरिक्त परगनाधीश ने भारतीय दंड विधान की उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत केवल एक प्रधान को गिरफ्तार किया । पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के अनेक अन्य स्थानों पर जिन प्रधानों ने चार्ज नहीं दिया है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के संबंध में सरकार ने कोई आदेश प्रदान किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आदेश की आवश्यकता नहीं है । नियम ६० (१) में यह दिया हुआ है कि पुलिस के द्वारा चार्ज दिलाया जा सकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियम ६० के अन्तर्गत पुलिस से चार्ज दिलाने की व्यवस्था किस प्रकार की गई है और कैसे की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय पंचायत अधिकारी एस० पी० से प्रार्थना करते हैं कि अमुक प्रधान चार्ज नहीं देते हैं और पुलिस जाकर चार्ज दिलाने की कोशिश करती है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी को सूचना है कि प्रदेश में बहुत से प्रधानों ने चार्ज नहीं दिया है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह सम्भव हो सकता है कि कुछ जगहों पर चार्ज न दिया हो क्योंकि प्रधान लोग भाग जाते हैं । वैसे चार्ज दिलाने की कोशिश की जाती है और पुलिस के द्वारा ही दिला सकते हैं । ए० डी० एम०, कानपुर ने १८८ दफा के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार कर लिया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १८८ के अन्तर्गत कार्यवाही कितने प्रधानों के विरुद्ध की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—चार के खिलाफ कार्यवाही की गई थी । लेकिन एक ही गिरफ्तार हुआ ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १८८ के अन्तर्गत प्रधानों को क्यों गिरफ्तार किया गया ? क्या उन्होंने १४४ दफा तोड़ी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—१८८ में किसी पब्लिक सरवेंट के अवहेलना करने का सवाल है । उनको चार्ज देना चाहिये था, उसकी उन्होंने अवहेलना की ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि पंचायत विभाग जो चार्ज नहीं दिलवा पा रहा है वह इसलिये कि उन पर नोटिस नहीं सर्व होती है या यह कि जिन पर नोटिस सर्व हो गई है उसके बाद उन्होंने अवहेलना की और वह गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस उनको दी जाती है । कोई सर्व हो जाती है और कोई सर्विस नहीं लेते हैं । कोशिश की जाती है कि चार्ज दिलाया जाय । नियम जो मौजूदा है उसमें कुछ दिक्कतें जरूर हैं । कुछ लोग भाग जाते हैं । प्रधान लोग खबर पा कर चले जाते हैं । किताबें एक तरफ रख देते हैं । वह दिक्कतें सामने हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि नये चुने हुये ग्राम प्रधानों को जल्दी से जल्दी चार्ज मिल सके ? इसके लिये कोई नयी व्यवस्था करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो यह विचारणीय विषय है । अगर काफी ऐसे प्रधान रह जायेंगे तो कार्यवाही की जायगी ।

रिफ्यूजी मार्केट, चारबाग, लखनऊ का कुछ अंश ध्वस्त हो जाना

*३--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) तथा **श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को पता है कि ९ अगस्त, १९६१ को चारबाग (लखनऊ) के व्यस्त रिफ्यूजी मार्केट का कुछ भाग गिर जाने के परिणामस्वरूप कितने ही लोग मरने से बाल-बाल बचे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---इस मार्केट का जो भाग गिरा था उसके नीचे उस समय कोई व्यक्ति नहीं था । अतएव किसी व्यक्ति की जान खतरे में नहीं पड़ी ।

*४--**श्री लक्ष्मणराव कदम** तथा **श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार को पता है कि उसमें रहने वाले रिफ्यूजी लोग बहुत दिनों से निरन्तर कार्पोरेशन का ध्यान उक्त भाग की खतरनाक हालत की ओर आकर्षित कर रहे थे ? यदि हां, तो कार्पोरेशन द्वारा उस भाग के न गिराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी हां ।

कार्पोरेशन के सहायक अभियन्ता ने मार्केट के उस भाग का निरीक्षण किया था और उसकी मरम्मत करा दी थी । उसे गिरवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि उसमें कुछ मामूली सी दरारें थीं जिससे किसी खतरे की आशंका नहीं थी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उक्त इमारत के गिरने से इंजीनियर साहब की रिपोर्ट गलत साबित हुई और कितने ही आदमी दब कर मरने से बचे तो इंजीनियर साहब के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसमें जिन इंजीनियर्स ने काम किया था--एक तो सहायक अभियन्ता श्री सेठ थे, वह अब कार्पोरेशन की सर्विस में नहीं हैं, दूसरे श्री बागची भी रिटायर हो चुके हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इंजीनियरों ने जो इसकी रिपोर्ट की कि यह दुरुस्त है, वह रिपोर्ट आने के कितने दिन बाद यह इमारत गिर गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह रिपोर्ट आयी और उसके बाद मार्केट गिर गयी उस समय क्या इंजीनियर महोदय सेवा में थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---अगस्त, १९६१ में बालकनी गिर गयी है और उस वक्त वह सेवा में नहीं थे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके गिरने के बाद कोई जांच हुई है कि क्यों गिरी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । उसको आंका गया । कारण यही मालूम पड़ा कि घटिया माल लगाया गया और जितना लबिया अन्दर होना चाहिये और जितना मोटा होना चाहिए उतना नहीं था ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूप

*१---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप कितने हैं और उनमें से कितने चल रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---२७ नलकूप हैं । कोई नहीं चल रहा है ।

***२---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सब पर जनता का कितना व्यय हुआ है और सहकारिता विभाग ने कितनी सहायता दी है तथा इनका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था ?

श्री मंगलाप्रसाद---संबंन्धित समितियों का कुल व्यय एक लाख, चार हजार,एक सौ अरसठ रुपये, पचपन नये पैसे हुआ, दो लाख, सत्तर हजार रुपये तकावी के रूप में दिये गये, सहकारिता विभाग ने कोई सहायता नहीं दी ,इनका निर्माण ६ वर्ष पूर्व हुआ था ।

*३---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों को शासन द्वारा अपने कब्जे में लेने की योजना कई वर्षों से चल रही है फिर भी वे सब के सब अभी तक किन कारणों से नहीं लिये गये ? अब कब तक अवश्य सरकार उन्हें ले सकेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---सरकारी आदेशानुसार सिंचाई विभाग इन नलकूपों को लेने की योजना को कार्यान्वित कर रहा है और इनमें से अभी कुछ नलकूप उन्होंने ले लिये हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह नलकूप किन कारणों से बन्द पड़े हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ का इंजन खराब है और ये इतना पानी भी नहीं दे सकते, इसलिये सिंचाई विभाग इनको लेने को तैयार नहीं है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये नलकूप बनने के बाद चले ही नहीं थे या बाद में चल कर बन्द हो गए, और बाद में चलकर बन्द हो गए तो कितने दिनों से बन्द पड़े हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कोआपरेटिव विभाग ने जो २७ नलकूप बनाये थे ये कैविटी वैल्स हैं और इनमें पानी ज्यादा नहीं निकलता है । जैसी स्थिति में ये बनाये गए उसमें ये पानी भी कम देते थे और इनका इंजन भी खराब था । बाद में सरकार का यह निश्चय हुआ कि ये जितने कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा तैयार किये गए हैं इनको सिंचाई विभाग ले ले । लेकिन सिंचाई विभाग के कुछ अपने उसूल हैं जिन पर कि वह लेते हैं । वह देखते हैं कि कितनी दूरी पर बिजली की लाइन है, इतना पानी उसको देना चाहिये और कैविटी वेल्स को वह पसन्द नहीं करते हैं । इस वजह से सिंचाई विभाग इनको लेने के लिये सहमत नहीं हुआ ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---सरकार इन नलकूपों को लेने की कोशिश कब से कर रही है और करीब ४ लाख रुपया जो इसमें बर्बाद हुआ, क्या उसका मुआवजा किसानों को मिलेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सन् १९५५ में निश्चय किया गया और सन् १९५६ में सरकार ने उनको लेने के आदेश जारी कर दिये थे। सिंचाई विभाग उनका परीक्षण कर रहा है और जितने सम्भव हो सके उतने ले लिये। लेकिन अलीगढ़ जिले का कोई भी नलकूप उनके टेस्ट में ठीक नहीं आया जिससे वह उनको न ले सके।

श्री अध्यक्ष---दूसरा जो सवाल उन्होंने यह किया कि चार लाख रुपये का जो नुकसान हुआ उसका उत्तर आप दे दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव---मैं उसी का उत्तर देने जा रहा था। मैं यह कह रहा था, श्रीमन्, कि सहकारिता विभाग के भी अधिकारी अब यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या सम्भव हो सकता है और कैसे इस नुकसान को कम किया जाय। वह यह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ को सोसाइटियां चलाने को तैयार हो जायं। निजी लोग तो लेने को तैयार हैं इन ट्यूबवेल्स को, लेकिन यह नीति के विरुद्ध होगा कि सहकारिता समितियों द्वारा बनाये गए नलकूप निजी लोगों को दे दिये जायं। लेकिन वह भी इस चीज को देख रहे हैं कि जो कुछ सम्भव हो, वह किया जाय। अब जहां तक हानि का प्रश्न है, जाहिर है कि हानि तो हुई ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार की ही सिफारिश पर सन् १९५६ में इस विधान मंडल ने जो सिद्धान्त स्वीकार किया था कि यह सभी नलकूप अनिवार्यतः सिंचाई विभाग लेले तो उसमें जांच का कोई सवाल नहीं उठता और यह भी सरकार को ज्ञात है कि लोक लेखा समिति के भी दो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हो चुके हैं जिनके कार्यान्वयन के लिये सरकार ने आश्वासन दिया है कि ये नलकूप अविलम्ब सिंचाई विभाग ले लेगा? यदि हां, तो उस आश्वासन को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मंगलाप्रसाद---इसमें बहुत से नलकूपों का सवाल था। ५७ नलकूप तो उन्होंने ले लिये हैं और बाकी के लिये देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं। इस सिलसिले में ठीक से जांच नहीं हुई है, लेकिन यह वह जरूर तय कर चुके हैं कि कैविटी ट्यूबवेल्स या जो २० हजार गैलन ही पानी देते हैं या जिनके तीन मील के फासले पर बिजली नहीं है उनको वह अभी लेने के लिये तैयार नहीं हैं। जिन कुओं में जितना पानी है उसके हिसाब से ही वह लेंगे। जो कम पानी वाले कुयें हैं उनको सिलसिलेवार ही लेने की बात होगी। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। कुछ के बिजली नजदीक नहीं है, कुछ अच्छे नलकूप हैं मगर वहां बिजली नहीं पहुंच पाती है। अगर वहां पर बिजली पहुंच सकती है तो शायद इन नलकूपों को चलाने की बात हो सकती है। इस बात पर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से परामर्श करके कुछ ऐक्शन लेने की बात है जो अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि जितना पैसा उनके पास है उसमें काफी नलकूप लगने की बात है। उसी तरीके से वह इन नलकूपों को लेने की बात सोचते हैं और उसी तरीके से इनको लेने की बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह कहा है कि सन् १९५६ में यह प्रस्ताव हो चुका था कि सब ले लिये जायेंगे बगैर तहकीकात के, तो उस विषय में वह जानना चाहते हैं।

श्री मंगलाप्रसाद---इसको देख लेंगे। अगर ऐसा होगा तो उसके लिये प्रेशर डाला जायगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन विभाग की सहकारी समितियों के भी बनाये हुये कुछ नलकूप हैं तो क्या सरकार उनको भी लेने का विचार कर रही है या नहीं?

श्री मंगलाप्रसाद---सब के लिये एक ही प्रस्ताव है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सहकारी विभाग इन नलकूपों को चलाने में क्यों विफल रहा?

श्री मंगलाप्रसाद---मैंने अर्ज किया कि ज्यादातर इन नलकूपों को चलाने की कोशिश की गई और ये चल नहीं पाये, इसलिये बन्द हो गये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने यह कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा ये नलकूप लगाये गये तो क्या उस समय इन नलकूपों की ठीक से जांच-पड़ताल की गई थी या नहीं ? ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के पास है ?

श्री मंगलाप्रसाद---ऐसी बात किसी ने नहीं कही कि सिंचाई विभाग ने इनको बनाया था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मंत्री जी ने बतलाया कि सहकारी विभाग द्वारा लगाये गये नलकूप कुछ टैक्नीकल गलती की वजह से नहीं चल पा रहे हैं और इस बात को देखते हुये सिंचाई विभाग उनको लेने के लिये तैयार नहीं है, तो क्या दो लाख रुपया जो तकावी का दिया गया है उस तकावी को सरकार माफ करने की बात सोच रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद---जहां तक मुझे मालूम है, तकावी माफ नहीं होती है । उसके जो कामयाब न होने के कारण हैं वह मैंने बतला दिये । एक कारण और भी है । उसमें कच्ची गूल होती हैं जिससे काफी पानी जाया होता है और वह दूर तक नहीं पहुंचता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप खामोश रहें ।

श्री मंगलाप्रसाद---चार, पांच बातें हैं जो इनकी कामयाबी के लिये जरूरी हैं। जिन ट्यूबवेल्स को सरकार ने नहीं बनाया है उनमें ज्यादातर ऐसे हैं कि जहां बिजली का कोई प्रबंध नहीं है और वहां पर उनका इंजन रोज बिगड़ा पड़ा रहता है। दूसरे, उनमें पानी कम निकलता है और उनका खर्च पूरा नहीं निकल पाता। तीसरे, उनकी गूलें कच्ची होती है और इस वजह से पानी दूर तक नहीं पहुंचता। मेरठ में इसी तरह की बात हमने देखी है....

श्री गौरीशंकर राय---व्यवस्था का प्रश्न। माननीय मंत्री जी जेनरलाइजेशन कर रहे हैं। उनको स्पैसिफिक जवाब देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---वह कारण तो बतलायेंगे ही । उसके बिना पूरा उत्तर नहीं हो सकता। (श्री मंगलाप्रसाद से) आप जारी रखें ।

श्री मंगलाप्रसाद---जैसा मैंने पहले कहा, वहां ज्यादातर बिजली नहीं होती, इस वजह से वे ज्यादा नहीं चल पाते । थोड़े दिन चले और फिर बंद हो गये या घाटे पर चलने लगे। इसके बाद यह फैसला हुआ कि वे सब के सब इरिगेशन डिपार्टमेंट ले ले। वह इसके लिये प्रयास कर रहा है और धीरे-धीरे सब उसमें आ जायेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ कुएं कुछ दिन चले, लेकिन अलीगढ़ में तो एक कुआं भी नहीं चला। किसानों का जो रुपया उनमें लगा वह सब समाप्त हो गया और सरकार की तरफ से जो रुपया आया वह भी वेस्ट हो गया और कई बार सदन में कहा गया है कि सरकार ने इन कुओं को ले लिया है, लेकिन आज तक वह नहीं लिये गये और मंत्री जी के बयान से मालूम होता है कि उनसे तकावी भी ली जायगी। तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और कब तक वह इन सब कुओं को ले सकेगी, इसे मंत्री जी क्या बतलायेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---मैंने जवाब दे दिया कि ५७ कुयें ले लिये गये और हर साल कुछ न कुछ लिये जायंगे और शायद इस पंचवर्षीय योजना में सब ले लिये जायंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—२७ कुएं अलीगढ़ में बने और वे सारे सूबे में ५७ लिये गये, यह बतला रहे हैं, तो यह क्या है ? वहां कितने लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर हो चुका। यह ठीक है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जैसा अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह बात मालूम थी कि वहां यह ट्यूबवेल नहीं चल सकेंगे, उसके बाद भी क्या कारण था कि ३ लाख रुपया उनमें लगाया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरा खयाल है कि माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह नहीं कहा कि यह उनको मालूम था ट्यूबवेलों के चलने के पहले कि वे नहीं चल सकेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि इन ट्यूब वेलों के इंजन खराब थे, तो क्या किसी स्तर पर या किसी समय सरकार ने इस बात की जांच करायी कि यह रद्दी इंजन किसने खरीदे और कहां से खरीदे गये ? यदि हां, तो उस जांच का क्या नतीजा हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—खास जांच क्या हुई इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन आमतौर से जो ट्यूबवेल्स सूबे में लगे उन के बारे में कह सकता हूं कि उनमें तरह-तरह की मशीनें इस्तेमाल की गयीं, लेकिन वह कोई नहीं चलीं। थोड़े दिन चले और उसके बाद बंद हो गये।

श्री गौरीशंकर राय—यह मेरे सवाल का जवाब तो हुआ नहीं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—जितना उन्हें मालूम था उतना उन्होंने बता दिया।

अलीगढ़ जिला बोर्ड के विरुद्ध श्री झम्मनसिंह का शिकायती-पत्र

*४—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें श्री झम्मन सिंह, सदस्य, अन्तरिम जिला परिषद्, द्वारा जिलाधीश के नाम जिला बोर्ड, अलीगढ़ के बारे में गम्भीर शिकायतों के पत्र की प्रतिलिपि प्रश्नकर्त्ता के पत्र, दिनांक २३ मई, १९६१ के साथ मिली ? अगर हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—श्री झम्मनसिंह, सदस्य, अन्तरिम जिला परिषद्, अलीगढ़, द्वारा जिला बोर्ड, अलीगढ़ के बारे में गंभीर शिकायतों के पत्र की प्रतिलिपि श्री गोविन्दसिंह विष्ट के पत्र, दिनांक २८ मई, १९६१ के साथ सरकार को प्राप्त हुई। इस पत्र में श्री साहबसिंह, भूपतूर्व अध्यक्ष, जिला बोर्ड, अलीगढ़ तथा मानपालसिंह रावत के विरुद्ध गभाना स्कूल के चन्दा जमा करने के सम्बन्ध में तथा उसमें गबन करने की शिकायतें थीं।

जिलाधीश, अलीगढ़ से आख्या मांगने पर यह विदित हुआ कि परिषद् ने एक उप-समिति का निर्माण कर दिया है जो इन शिकायतों की जांच पड़ताल कर रही है। निरीक्षक स्थानीय निधि लेखा ने भी अपने हाथ में यह मामला ले लिया है और हिसाब की जांच की जा रही है।

इन समितियों की आख्या प्राप्त होने पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अब तक जांच हुई है उससे यह पता है कि जनता से करीब ५० हजार रुपया स्कूल के नाम पर जमा कराया गया और वह रुपया तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने पर्सनल लेजर में डाल दिया और अब वे उसे छोड़ कर चले गये हैं तथा उसमें से कुछ रुपया भी लेकर चले गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---रुपया तो जमा हुआ था। शिकायत यह थी कि उस रुपये में से कुछ तो खर्च हो गया और कुछ उन्होंने अपने पर्सनल लेजर में जमा करा लिया। वैसे उन्होंने कुछ रुपया अपने एकाउन्ट का जमा कर दिया है। बोर्ड की एक सब कमेटी उसकी जांच कर रही है और वह उचित कार्यवाही करेगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया उन्होंने अपने निजी खाते में डाल लिया उसके बारे में उनके ऊपर दफा ४०९ या ४०७, ताजीरात हिन्द, के अनुसार मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, जो रुपया उनके एकाउन्ट में था उसको उन्होंने जमा कर दिया है। अब बाकी रुपये को उन्होंने गलत खर्च किया या क्या किया, उसके लिये जांच हो रही है और उसके बाद उचित कार्यवाही होगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जिला बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत थी तो जिला बोर्ड के सदस्यों की ही जांच कमेटी बनाने के क्या कारण थे ? क्यों नहीं वह कमेटी बाहर के लोगों की बनाई गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो जिला बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत है, उस कमेटी में तो जिला बोर्ड के ही सदस्य रहेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे (जिला जौनपुर)---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जितना रुपया उनके पर्सनल लेजर में था वह उन्होंने जमा करा दिया तो क्या वे यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया उन्होंने जमा किया वह कैश जमा किया और कितना जमा किया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी सूचना इस समय नहीं है कि कितना रुपया जमा किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमान्, जिला बोर्ड से संबंधित वह विद्यालय है। जो रुपया था वह जमा कर दिया गया। बाकी अब अनियमितता हुई, या नहीं, इसके बारे में जांच हो रही है और उसमें जिला बोर्ड की जिम्मेदारी है। अगर जिला बोर्ड समझता है कि रुपये का दुरुपयोग हुआ है तो वह पुलिसमें रिपोर्ट लिखाकर उचित कार्यवाही करेगा।

अलीगढ़ तथा फीरोजाबाद नगरपालिकाओं का हाउस टैक्स बकाया

*५---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ और फीरोजाबाद म्युनिसिपेलिटीज का हाउस टैक्स तथा अन्य टैक्सों का लाखों रुपया बकाया पड़ा है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ठीक रकम जो विभिन्न टैक्सों की वसूल होने के लिये बकाया हैं, वे कितनी-कितनी हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी हां।

नगरपालिका अलीगढ़ में हाउस टैक्स का केवल रुपया १०,६५,८६३·६६ नया पैसे, ३१ मार्च, १९६० तक वसूल होने के लिये बकाया था। नगरपालिका-फीरोजाबाद में क्रमशः हाउस टैक्स का रुपया १०,३६,६१५ तथा वाटर टैक्स का रुपया ३,९७,२९७ वसूल होने के लिये ३१ मार्च, १९६१ तक बकाया था।

*६---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उक्त टैक्सों की कितनी-कितनी रकमें वसूलयाबी की जमा हुई हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--नगरपालिका अलीगढ़ में १९५७-५८ से १९५९-६० तक तीन वर्षों में हाउस टैक्स की निम्नलिखित रकमें वसूल हुईं--

	रुपया	न० पै०
१-४-१९५५ से ३१-३-१९५७ तक	१,१४,८३२	०३
१ ५७-५८ ..	१,०४,७८४	८०
१९५८-५९	८१,२४८	७७
१९५९-६०	७७,१५१	९५
हाउस टैक्स वसूली की धनराशि का कुल योग	३,७८,०१७	५५

नगरपालिका फीरोजाबाद में पिछले तीन वर्षों में हाउस तथा वाटर टैक्स की निम्नलिखित रकमें वसूल हुईं--

हाउस टैक्स

	रुपया	न० पै०
१९५८-५९	३,५७०	००
१९५९-६०	१०,३५५	००
१९६०-६१	४,०८८	००
हाउस टैक्स की वसूलयाबी का कुल योग	१८,०१३	००

वाटर टैक्स

	रुपया	न० पै०
१९५८-५९	६१,०२५	००
१९५९-६०	७०,१६६	००
१९६०-६१	७८,७१६	००
वाटर टैक्स की वसूलयाबी का कुल योग	२,०९,९०७	००

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लाखों रुपयों की रकमों की वसूलयाबी के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव--नगरपालिका का कर्ज, श्रीमन्, बाकी है, सरकार क्या कार्यवाही करे? यह जरूर है कि जिलाधीश का ऐसा खयाल है कि इन दोनों ही स्थानों पर नगरपालिकाओं ने सन्तोषजनक कर वसूल करने की कार्यवाही नहीं की है, यह कहा जा सकता है। बाकी इन दोनों की भी दिक्कतें हैं, कुछ मुकदमेबाजी हो रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ खास मेम्बरों से इन टैक्सों की वसूलयाबी नहीं की गई है? और यदि ऐसी बात है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, सूची तो नहीं है कि किन-किन पर बाकी है, लेकिन १० लाख रुपया धनराशि बहुत होती है, लोगों पर काफी बाकी होगा।

श्री ऊदल--जब इसी तरह के चार्जेज मिर्जापुर म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ थे तो सरकार ने कार्यवाही की थी, तो फिर अलीगढ़ और फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटियों के खिलाफ सरकार ने अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने कहा कि उनकी सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं थी, लेकिन साथ में यह भी निवेदन किया कि उनकी भी कठिनाइयां हैं। मुकदमेबाजी हो रही है, दीवानी में मुकदमे दायर होते हैं, रिट्स होते हैं और फिरोजाबाद के बारे में हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पर डिस्ट्रेस वारेंट से वसूलयाबी नहीं कर सकते हैं, दीवानी से या और किसी तरह से वसूल करें। तो कुछ तो मुकदमों की वजह से वसूली नहीं कर रहे हैं, कुछ परवाह भी नहीं है। लेकिन जब शिकायतें आवेंगी कि जानबूझ कर गड़बड़ी करते हैं तो सरकार कार्यवाही करेगी और करती है।

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के अनुदान के व्यय में गड़बड़ी

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री, दिनांक १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि ४,२६,४०० रुपये की धनराशि में से अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा किन-किन सड़कों तथा भवनों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत में कितना-कितना व्यय किया गया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां, कार्य-विवरण एवं उस पर किये गये व्यय की एक तालिका †संलग्न है।

किसुखा सेण्टर में साधन सहकारी समिति के कुछ सदस्यों को पास बुक न मिलने की शिकायत

*८--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में अप्रैल सन् १९६० से अप्रैल, १९६१ तक सेंटर किसुखा पर कितने सदस्य साधन सहकारी समिति के बनाये गये हैं और उनको उनकी पासबुकें दे दी गई हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री टीकाराम---इस प्रश्न को किये हुये ३ महीने हो गये, सूचना एकत्र आज तक न हो सकी, क्या कारण है ?

श्री मंगलाप्रसाद--कुछ सूचना आई थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। फिर से मांगी गई है, इसलिये देरी हो रही है।

श्री टीकाराम--क्या यह सूचना इसी सत्र में मिल जायगी ?

श्री मंगलाप्रसाद--असली सूचना जो आप चाहते थे वह यह थी कि कुछ लोगों को पास बुक क्यों नहीं दी गई। चूंकि उन लोगों ने, जो पैसा जमा करना होता है, जमा नहीं किया, इसलिये नहीं मिलीं। १२-१४ सौ आदमियों को तो मिल गई हैं, अब केवल ५४ आदमी बाकी हैं, उनको भी मिल जायगी।

श्री टीकाराम--क्या किताब के पैसे नहीं दिये, इसलिये पास बुक नहीं दी गई ?

---

†तालिका छापी नहीं गई।

श्री मंगलाप्रसाद––५४ आदमियों का पैसा जमा नहीं हुआ, इसलिये पास बुक नहीं मिली। जब १३–१४ सौ आदमियों को मिल सकती थी तो कुछ लोगों को न देने की कोई बात नहीं थी। चूंकि दो तीन आने जो किताब के लगते हैं वह जमा नहीं किये, वह उनसे लेकर किताब दे दी जायगी।

श्री उग्रसेन––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को पास बुक नहीं मिली है उनको कोई नोटिस दी गई थी कि इतनी अवधि के अन्दर पैसा जमा कर दें ताकि उनको पास बुक मिल जाय?

श्री मंगलाप्रसाद––क्या कार्यवाही की गई, इसके लिये नोटिस की जरूरत है, लेकिन कुछ कार्यवाही जरूर की गई होगी।

जिला सहकारी बैंकों से मनोनीत सदस्यों का हटाया जाना

*९––**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)––क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन जिला सहकारी बैंकों में गत १ जनवरी से ३० जून के बीच सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को अवधि से पूर्व हटाया गया, हटाये गये मनोनीत सदस्यों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति किन-किन व्यक्तियों द्वारा की गई और ऐसे व्यक्तियों के लिये क्या योग्यतायें हैं?

श्री रामस्वरूप यादव––सरकार द्वारा मनोनीत संचालक के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है, अतः उनके अवधि से पूर्व हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे व्यक्तियों के लिये निर्धारित योग्यतायें संलग्न सूची में वर्णित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

श्री रामचन्द्र विकल––अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया उस मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि कितने लोग हटाये गये और उनकी जगह कितने लिये गये, इसका उत्तर इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष––आपका प्रश्न यह है "किन-किन जिला सहकारी बैंकों में गत १ जनवरी से ३० जून के बीच सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को अवधि से पूर्व हटाया गया, हटाये गये मनोनीत सदस्यों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति किन-किन व्यक्तियों द्वारा की गई और ऐसे व्यक्तियों के लिये क्या योग्यतायें हैं?"

श्री मंगलाप्रसाद––मेरा खयाल है कि गलती से लिस्ट रह गई है, लिस्ट दे देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके अवधि से पूर्व जो हटाये गये उनकी लिस्ट....

श्री मंगलाप्रसाद––अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट की बात मैंने कही, वह तो जिनलोगों को मैंने नामिनेट किया उनकी बात है, अवधि के पहले तो कोई आदमी नहीं हटाया गया।

श्री रामचन्द्र विकल––एक जनवरी से ३० जून तक जो लोग हटाये गये वह कुल कितने हैं, यह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष––आपका प्रश्न था कि अवधि से पूर्व कितने हटाये गये, लेकिन वह कहते हैं कि अवधि से पूर्व कोई नहीं हटाया गया। इसलिये अब आपका यह नया सवाल होगा।

श्री रामचन्द्र विकल––"अवधि" शब्द निकाल दिया जाय तो कितने लोग हटाये गये, यह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, टोटल नहीं है कि कितने हटाये गये। एक सज्जन की जगह दूसरे नामिनेट कर दिये गये। सूची तो मेरे पास है, इसमें कुछ रिपीट भी हुये हैं, इसलिये गिनती बताना मुश्किल है।

सरकारी डेरियां

*१०---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कौन-कौन सरकारी डेरियां कितना-कितना दुग्ध जनता के उपयोग के लिये वितरण करती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सहकारी विभाग के अन्तर्गत केवल एक सरकारी डेरी आगरा में स्थापित हो रही है। अभी उसका निर्माण हो रहा है। अतः इस डेरी द्वारा दुग्ध वितरण का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट की ओर से अलीगढ़ में सेंट्रल डेरी के नाम से जो डेरी चल रही है उसकी अब क्या स्थिति है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि सरकार के द्वारा जो डेरीज चल रही हैं वे घाटे में क्यों चल रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकारी डेरी तो अब आगरे में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा तो सहकारी डेरीज हैं जो जनता द्वारा चलाई जा रही हैं। उनमें से कुछ घाटे पर चल रही हैं और कुछ मुनाफे में। अलीगढ़ की जो सेंट्रल डेरी है वह पशु-पालन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह था "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कौन-कौन सरकारी डेरियां कितना-कितना दुग्ध जनता के उपयोग के लिये वितरण करती हैं"। इसमें अगर आप यह सोचते हैं कि इस प्रश्न का अर्थ यह है कि केवल सहकारी विभाग द्वारा जो डेरीज चलाई जाती हैं उन्हीं को सरकारी डेरी कहते हैं तब तो आपका जवाब ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि पशुपालन विभाग की ओर से भी कोई डेरी चलाई जाती है, क्योंकि वह भी सरकारी विभाग है इसलिये वह सरकारी डेरी हुई। इस दृष्टि से उत्तर अपूर्ण है। मैं समझता हूं इसका उत्तर सरकार दे। सरकार का कोई विभाग डेरी को चला रहा हो, वह सरकारी डेरी है, उसके बारे में सरकार को उत्तर देना चाहिये।

श्री मंगलाप्रसाद---श्रीमन्, जो आगरे में डेरी बनाई जा रही है वह सरकारी है....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें। जरा समझ लें। प्रश्न यह था कि इस प्रदेश में कौन-कौन सरकारी डेरियां कितना-कितना दुग्ध जनता के उपयोग के लिये वितरण करती हैं ? अब वह सरकारी डेरी चाहे सहकारी विभाग द्वारा सन्चालित होती हो अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा, उन सब की लिस्ट प्रश्न के उत्तर में होनी चाहिये थी, क्योंकि वे सभी सरकारी डेरीज हैं और उत्तर में यह भी होना चाहिये था कि वे कितना दुग्ध वितरण करती हैं।

श्री मंगलाप्रसाद---मैं यही बता रहा था; आगरे में जो स्थापित की जा रही है वह हमारे द्वारा स्थापित की जा रही है। अलीगढ़ की डेरी पशु-पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है उसके आंकड़े भी यद्यपि मेरे पास पूर नहीं हैं परन्तु जो कुछ हैं उनको मैं बताये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह तो आपको पहले ही उत्तर में दे देना चाहिये था कि इतनी सहकारी विभाग द्वारा सरकारी डेरियां चलाई जा रही हैं और इतनी अन्य विभागों द्वारा और अलग-अलग इतना दुग्ध उनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। इसलिये पहले आप इस प्रश्न को सामने रख कर पूरी जानकारी सब विभागों से ले लें और फिर जितना उत्तर आप कल दे सकते हैं, वह कल देदें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, जो व्यवस्था आपने दी है उसके अन्दर उनको थोड़ा-सा यह भी बतला दें कि सरकार द्वारा सहायता दी गई सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाने वाली डेरियां भी उनके उत्तर में आ जायं।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न है उसी तक मैं सीमित रखूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकार द्वारा सहकारी समितियों को सहायता दी जाती है, तो उनके द्वारा चलाई गई डेरियां भी तो सरकारी ही हुईं?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वे सरकारी नहीं हैं।

सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर, के मैनेजिंग डाइरेक्टर की मुअत्तली तथा बहाली

*११—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या यह सत्य है कि जिला सहकारी Federation गोरखपुर के गबन के सिलसिले में जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की कमेटी स्थाई रूप से निलम्बित (suspend) कर दी गई थी उसे पुनः पूर्ववत् स्थापित (reinstate) कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसे पुनःस्थापित करने का क्या कारण है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां।

इसका कारण यह है कि इस संचालक मंडल ने आश्वासन दिया है कि वह फेडरेशन का प्रबन्ध सहकारी नियमों और विभागीय आदेशों के अनुसार करेगा और इसके कार्य-काल में फेडरेशन की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है।

*१२—**श्री मदन पांडेय**—क्या सहकारी बैंक लि०, गोरखपुर, के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने १-६-६० को गोरखपुर शहर के कैन्टोमेंट थाना में उक्त बैंक में हुये गबन के बारे में कोई F. I. R. दर्ज कराया था? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गबन के केस के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां।

पुलिस ने चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।

*१३—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर, के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने गत ८ मई, १९६१ को उक्त पद से इस्तीफा दे दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त इस्तीफे का क्या कारण है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इस्तीफा ३ मई, १९६१ को दिया था, इस्तीफे में कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। उसमें यह अवश्य कहा गया है कि वह श्री पी० एन० राय को उनकी जगह कार्य करने का अवसर देना चाहते हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये किस कारण से निलम्बित किये गये थे?

श्री रामस्वरूप यादव---उस समिति के बारे में शिकायतें थीं कि उसका काम अच्छा नहीं हो रहा है, इस वजह से उन्हें निलम्बित किया गया था।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समिति के विरुद्ध या इसके कतिपय सदस्यों के विरुद्ध गबन आदि के भी चार्जेज थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक शिकायत जो थी उसके बारे में अदालत में मुकदमा है और बाकी वहां का जो यह मंडल था उसने आश्वासन दिया है कि अब वे काम ठीक तौर पर करेंगे और इसी दौरान में जो लगभग ५० हजार रुपये थे, उसे भी उन्होंने वापस कर दिया। लिहाजा रजिस्ट्रार ने यह मुनासिब समझा कि उनके सस्पेंशन के आदेश को वापस ले लें और पुनः मौका दें उस मंडल को काम करने का।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि उनके कहने के मुताबिक ५० हजार रुपये का जो गबन था उसे उन्होंने वापस कर दिया, इसके बाद रजिस्ट्रार ने उनके निलम्बन के आर्डर को वापस ले लिया ?

श्री मंगलाप्रसाद---वह तो अस्थायी मुअत्तिली थी। मुअत्तिली के बाद रजिस्ट्रार ने जांच करके देख लिया कि वह कमेटी चल सकती है या नहीं चल सकती है। चूंकि फेडरेशन ने लाखों रुपये का उसे कर्ज दे रखा था जिसमें से ५० हजार उन्होंने वापस कर दिया और कहा कि हम इसको ठीक तौर पर चलायेंगे और अब शायद वह ठीक से चल भी रही है, जब उन्होंने समझा कि यह ठीक चल सकती है तो उन्हें रिइन्स्टेट कर दिया। रजिस्ट्रार ने अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया और उसे एलाऊ कर दिया।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, पहले तो माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें कि स्थायी और अस्थायी मुअत्तिली क्या होती है, जैसा कि उन्होंने बतलाया कि वह तो अस्थायी मुअत्तिली थी, उसके बाद मैं सवाल पूछूं तो आसानी होगी।

श्री मंगलाप्रसाद---जो अस्थायी मुअत्तिली का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, वसा ही मैंने इस्तेमाल कर दिया।

श्री उग्रसेन---यह तो कहीं कानून में होगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, वे समझे नहीं और मेरी समझ में भी नहीं आया कि उनकी मंशा क्या थी। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से एक ही उत्तर बतला दें तो बड़ा कल्याण होगा कि किस प्रकार के चार्जेज लगाये गये थे। क्योंकि जब प्राइमाफेसी केस मालूम हो गया होगा तभी उनको मुअत्तल किया गया होगा। साथ ही यह भी बतायें कि आश्वासन मिलने के पहले जो रुपये की कमी थी उसे पूरा किया गया और तब उनको रिइन्स्टेट किया गया और उसकी कोई जांच हुई या नहीं हुई और अगर हुई तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री अध्यक्ष---आपके सभी सवालों का एक ही उत्तर कैसे हो सकता है ?

श्री गौरीशंकर राय---बस यही बतला दिया जाय कि चार्जेज क्या थे तथा जो चार्जेज थे उनकी इनक्वायरी होने के बाद डिपार्टमेन्ट उस जांच से सेटिस्फाइड हो गया तब उनको रिइन्स्टेट किया गया या सिर्फ आश्वासन के बाद ही रिइन्स्टेट कर लिया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद---जब वे मुअत्तल किये गये तो उनके बाद मुअत्तली के चार्जशीट का जब उन्होंने उत्तर दिया, तब उन्हें रिइन्स्टेट किया गया।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि चार्जेज क्या थे ?

श्री मंगलाप्रसाद—चार्ज शीट इस वक्त मौजूद नहीं है ।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ५० हजार रुपया जो उन्होंने वापस नहीं किया, इस अभियोग में उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी और यदि उन्होंने बाद में नहीं दिया तो उसे क्यों माफ कर दिया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद—पचास हजार न देने का सवाल नहीं है बल्कि उन पर रुपया बाकी था, जो उन्होंने कर्जा यू० पी० फेडरेशन से लिया था, उसमें से पचास हजार दिया और इस तरह से साबित हुआ कि उनका काम ठीक चल रहा है, उनके पास पैसा है और वह काम ठीक करेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पर कुल कर्जा कितना था जिसमें से ५० हजार वापस किया ?

श्री मंगलाप्रसाद—नोटिस की जरूरत है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब गबन के चार्ज पर एफ० आई० आर० दर्ज हो गई और प्रासीक्यूट किये जा रहे हैं तो क्या वजह थी कि उनको रिइन्स्टेट किया गया और क्या यह सही है कि इनमें से कुछ एम० एल० एज० भी हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—गबन का जो चार्ज है वह अलग है, जिसका कि जिक्र किया गया। गबन के चार्ज पर पुलिस को दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने ही एफ० आई० आर० दी थी । और उसमें पुलिस ने जांच करके जो रिपोर्ट दी है वह मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर भी दी है और एक दूसरे लाल साहब असिस्टेन्ट मैनेजर हैं उनके ऊपर भी । दोनों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दी है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के रिइंस्टेट होने की बात कही गई है, उसमें क्या यह भी सही है कि वर्तमान बोर्ड के समय में कोई गबन नहीं हुआ है बल्कि इसके पहले के बोर्ड के समय का गबन है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह बात सही है कि यह वाकयात पहले के हैं। जो नई कमेटी आई उसके जमाने की बात नहीं है, लेकिन जो कहा गया कि एफ० आई० आर०....

श्री गौरीशंकर राय—प्वाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष—पहले जवाब हो जाने दीजिये ।

श्री मंगलाप्रसाद—एक केस, जो मुकदमा चल रहा है, वह इसी जमाने का है, बाकी पहले का है ।

श्री गौरीशंकर राय—प्वाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है कि उन्होंने कहा कि गबन की सूचना नहीं है, सूचना की आवश्यकता है । तो किस आधार पर सूचना दे रहे हैं कि पुराने बोर्ड के समय में हुआ है या नये—

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि लोगों के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को समझ कर आपका उत्तर होना चाहिये । मैं भी जरा इसमें कंफ्यूजन में हूं । प्रश्न १२ के उत्तर में आपने कहा कि, जी हां, पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, और एक जगह आप कहते हैं कि किसी को सस्पेंड किया, फिर उसको रिइंस्टेट कर दिया, उनका काम अच्छा है, उसने ५० हजार रुपये जमा कर दिये । अब भ्रम इस बात का होता है सबको कि जिनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा चलाया क्या उन्हीं को सस्पेन्ड कर दिया या उन्हीं में से कोई आदमी है । तो आप जरा ब्यौरे-वार समझा दीजिये कि इसका क्या मतलब है ।

श्री मंगलाप्रसाद—मैं अर्ज करूं कि एक सवाल नं० १२ है। उसमें एफ० आई० आर० का सवाल है। उसमें एफ० आई० आर० हुआ, उसके बारे में मुकदमा चल रहा है....

श्री अध्यक्ष—किस पर चल रहा है ?

श्री मंगलाप्रसाद—सवाल १२ पर।

श्री अध्यक्ष—सवाल १२ पर नहीं चल सकता, किसी आदमी पर चल रहा होगा।

श्री मंगलाप्रसाद—सवाल १२ के सिलसिले में....

श्री अध्यक्ष—किस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है ?

श्री मंगलाप्रसाद—मैंने बताया कि एफ० आई० आर० करने वाले वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने लाल साहब, जो असिस्टेन्ट मैनेजर हैं, उनके खिलाफ गबन की रिपोर्ट की पुलिस को, पुलिस ने कोर्ट को चार्जशीट दे दी और उसने कोर्ट को रिपोर्ट कराने वाले के खिलाफ तथा लाल साहब के खिलाफ दोनों के खिलाफ, रिपोर्ट दे दी, वह केस अदालत में है।

श्री मदन पांडेय—क्या यह बात सही है कि उन्होंने रिपोर्ट कराने वाले साहब कहकर माननीय मंत्री जी ने जिनका नाम नहीं बताया वह उस बैन्क के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि रिपोर्ट दर्ज कराई थी श्री एस० एन० लाल के खिलाफ और बाद में इंक्वायरी, लाल साहब के विरुद्ध न होकर, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ ही हो गई है, जिनके बारे में ११ नम्बर का प्रश्न है, जिसके उत्तर में मंत्री जी कह चुके हैं कि उनको मुआफी दे दी गई है और वह फिर से रिइंस्टेट कर दिये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद—दोनों अलग-अलग सवाल हैं। जहां तक फेडरेशन का सवाल है, उसमें तो रजिस्ट्रार महोदय ने जो मुनासिब समझा, उनका डिस्क्रीशन है, रीइन्स्टेट कर दिया।

जहां तक दूसरा सवाल है, जिन्होंने एफ० आई० आर० दाखिल की श्री ए० पी० वर्मा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस समय अब कोई दूसरे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, इसलिये पुलिस ने जो रिपोर्ट दी वह खाली एक आदमी के खिलाफ नहीं दी बल्कि दोनों आदमियों के खिलाफ दी, श्री लाल, और श्री वर्मा के खिलाफ।

श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि नये बोर्ड० ने ५०,००० रु० जमा करने का जो वचन दिया है यह पुराने खाते को पूरा करने में दिया है जो १९५२-५३ का चला आ रहा था और नये बोर्ड ने जो १९५८ में बना उसने जमा किया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—मैंने इसका जवाब पहले दिया था कि जो गलतियां थी, खामियां थीं, जो बोर्ड अभी हाल में बना है उसके पहले की थीं। लेकिन हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने वहां के कागजात वगैरह देखे तो उन्होंने नये बोर्ड को भी मुअत्तल कर दिया। फिर अच्छी तरह समझ बूझ कर रीइन्सटेट कर दिया। तो हो सकता है ५०,००० रु० पहले का ही हो, मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतलायेंगे कि जब पुलिस ने श्री वर्मा के खिलाफ कोर्ट में चार्ज लगा दिया तो किस तरह से श्री वर्मा वाले बोर्ड को मंत्री जी ने रीइन्स्टेट कर दिया ?

श्री मंगलाप्रसाद—वह तो एक केस है एक स्पेशल केस है जिसकी रिपोर्ट हुई उस सिलसिले में कार्यवाही हो रही है कोई फेडरेशन के खिलाफ, एक आदमी के खिलाफ रिपोर्ट है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। पुलिस ने दोनों पर कार्यवाही करने के लिये चार्ज शीट दी, उसमें फेडरेशन एज सच से कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री केशव पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि जो बोर्ड रीइन्सटेट किया गया जिस समय निलम्बित हुआ था उसने ३०-८-६० को एक दरख्वास्त रजिस्ट्रार को दी कि वर्तमान कोआपरेटिव फेडरेशन के १९४८-५७ तक के लेखे जोखे की पूरी तरह से जांच कर ली जाय। क्या यह सही है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसकी वाकफियत मुझे इस समय नहीं है।

श्री मदन पांडेय—३ मई को जो इस्तीफा मैनेजिंग डायरेक्टर ने दिया है, क्या यह मैनेजिंग डायरेक्टर वही हैं जिनके खिलाफ प्र० संख्या १२, १३ में आरोप हैं ? क्या मंत्री जी उस इस्तीफे के सारांश को पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—इस्तीफे की कापी तो यहां है नहीं।

नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिलों में जल वितरण योजनायें

*१४—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ मार्च, १९६० को श्री ताराचन्द माहेश्वरी के प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर व अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में जो बताया गया कि नैनीताल व अल्मोड़े जिले के ३३ गांवों व २१ गांवों (कुल ५४ गांवों) में जल वितरण योजनायें चल रहीं थीं, वे कौन-कौन सी थीं व उनमें से कितनी बन चुकी हैं और जो नहीं बन सकीं उनका क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिले में २१ तथा ३३ गांवों की जल वितरण योजनाओं की सूची† संलग्न है। इस सूची में क्रम संख्या १ से लेकर २० तथा २२ से लेकर क्रम संख्या ३५ तक की सब योजनायें बन चुकी हैं। क्रम संख्या ३६ से लेकर क्रम संख्या ४५ तक की योजनाएं बन रही हैं।

क्रम संख्या २१ की योजना, जो नथूआ खां गांव में है, एक स्थानीय विवाद के कारण रुक गई है। नथूआ खां ग्राम के निवासी इस योजना की पाईप लाइन का विस्तार नथूआ खां गांव तक करना चाहते हैं किन्तु इस्टीमेट में पाईप केवल चिमियां खां तक प्रदान की गई हैं।

क्रम संख्या ४६ से ५४ तक की योजनायें परित्यक्त कर दी गई हैं क्योंकि इन गांवों के निवासियों से कुछ भी श्रमदान न प्राप्त हो सका। इन योजनाओं के बदले उसी लागत की अर्थात् १,४४,६४२ रु० के कुल लागत की अन्य १२ योजनाएं स्वीकृत कर ली गई हैं जिनकी सूची† संलग्नक (२) में दी गई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे, कि क्या यह सही है कि प्रश्न कर्ता तथा अन्य लोगों का मंत्री जी को निवेदन मिला इस संबंध में कि वहां की पेय जल योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये श्रमदान का परसेंटेज १० परसेंट कर दिया जाय, तो क्या इस संबंध में आज्ञा जारी कर दी गयी है कि १० परसेंट कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके बारे में तो निश्चय नहीं हुआ है। नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जगन्नाथ पांडेय, पंचायत मंत्री, मांझा नगर, के वेतन तथा भत्ते का भुगतान

*१५—**श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ पान्डेय, भूतपूर्व पंचायत मंत्री, मांझा नगर, जिला देवरिया, को बकाया वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता तथा जमानत की रकम १८५ रु० अब तक भुगतान न देने का क्या कारण ह ?

नोट—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

†सूची छापी नहीं गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री जगन्नाथ पान्डेय, भूतपूर्व पंचायत मंत्री, मांझानगर, जिला देवरिया, को बकाया वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता तथा जमानत की रकम का, जो १८५ रु० नहीं बल्कि १३७·९१ न० पै० थी, भुगतान पंचायत मंत्री को किया जा चुका है ।

*१६—**श्री रामायणराय**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विगत सात वर्षों में कितनी बार उक्त व्यक्ति ने उपर्युक्त रकम की वापसी का प्रार्थना पत्र मंत्री जी तथा संबंधित अधिकारियों की सेवा में प्रेषित किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विगत सात वर्षों में ७ बार उक्त व्यक्ति ने उपर्युक्त रकम की वापसी के प्रार्थना-पत्र दिये जिनमें से कोई भी स्वायत्त शासन मंत्री जी को संबोधित नहीं था ।

खालिसपुर-भरौली सहकारी समिति में गबन

*१७—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि फैजाबाद जनपद की धवरूवा सर्किल की खालिसपुर भरौली सहकारी समिति में १,७६४ रु० का गबन इसी वर्ष पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां ।

२,८६४ रु० ३१ नये पैसे का गबन पकड़ा गया है। विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०८ पर)

[१३ नवम्बर, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४–६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव लैंड मार्टगेज बैंक, लखनऊ से ऋण लेने की दर

*७—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि किसानों की जमीन बन्धक रख कर उनको कर्ज देने के लिये जो बैन्क लखनऊ में खोला गया है क्या उसके ब्याज की दर साढ़े सात रुपया प्रतिशत रक्खी गई है? यदि हां, तो इतनी अधिक दर रखने के क्या कारण हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां । यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव लैन्ड मार्गेज बैन्क को इस समय साढ़े चार से लेकर पांच प्रतिशत पर ही रुपया मिलता है और साढ़े सात प्रतिशत पर बैन्क अपने सदस्यों को ऋण देता है । इस प्रकार केवल ढाई प्रतिशत की बचत होती है जिससे बैन्क अपने प्रदेशीय व जिला स्तर पर लगे हुए स्टाफ का खर्च बर्दास्त करता है और कुछ बचत रिजर्व फन्ड के लिये करनी पड़ती ह । बैन्क व्यक्तिगत सदस्यों और सहकारी कृषि समितियों को ऋण की किश्त निश्चित अवधि पर भुगतान करने पर क्रमशः आधे प्रतिशत और १ प्रतिशत की ब्याज में छूट देता है ।

*८—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

अध्यक्ष, नगरपालिका, ललितपुर, को हटाने का मांग-पत्र

*९—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि ४ अगस्त, १९६१ को नगरपालिका ललितपुर, जिला झांसी, के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका ललितपुर, के खिलाफ उनको हटाने का मांग-पत्र पेश किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

महापालिका कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में जानकारी

*१०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की महापालिकाओं के कर्मचारियों को महापालिका अधिनियम के अनुसार अस्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह कर्मचारी कब तक अस्थायी रहेंगे तथा कब तक उनके वेतन का क्रम बनाया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । अभी शासन द्वारा महापालिका कर्मचारियों के सेवा नियम बनाये जा रहे हैं,; इन्हीं सेवा नियमों के अन्तर्गत बनायी जाने वाली अनुसूचियों द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के वेतन क्रम भी निर्धारित किये जा रहे हैं। जसे ही ये सेवा नियम अंतिमरूप ग्रहण कर लेंगे, महापालिकाओं द्वारा आवश्यक स्थायी पदों का सृजन किया जायगा तथा इन कर्मचारियों को उन पदों पर स्थायी करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी ।

गाजियाबाद मास्टर प्लान

*११—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने में क्या देर है तथा Ghaziabad Improvement Trust को सरकार ने सन् १९६१ व १९६२ में कितना धन खर्च करने को दिया और उससे कौन कौन सी योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गाजियाबाद मास्टर प्लान का आलेख्य सरकार के विचाराधीन है और उसको बहुत जल्द ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गाजियाबाद को सरकार ने उनके मामूली खर्च के लिये अनुदान के अतिरिक्त २३ लाख रुपया भूमि अर्जन तथा भूमि के विकास के हेतु दिया था । उसके बाद १९६१–६२ में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, गाजियाबाद को अब तक कोई और धन नहीं दिया गया है ।

*१२—**श्री तेजासिंह**—क्या यह सत्य है कि मास्टर प्लान की बड़ी सड़कों को बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को ३ करोड़ रुपया दिया है? अगर हां, तो इससे कौन-कौन सी सड़कें बन रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं । मास्टर प्लान में कुछ ऐसी सड़कें हैं कि जिनको केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने खर्चे से बनायेगी । शेष सड़कों के बनाने की जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार पर है और उनके लिये किसी प्रकार की सहायता केन्द्रीय सरकार से उपलब्ध नहीं होगी ।

*१३—**श्री तेजासिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मास्टर प्लान के लिये कितनी भूमि सरकार एक्वायर करने जा रही है और उसके दाम लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई नई योजना बनाई है? अगर हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मास्टर प्लान में केवल भूमि के प्रयोग का निश्चय कर दिया जाता है, परन्तु उस प्रयोग के लिये भूमि का विकास कौन करेगा इसका कोई इशारा मास्टर प्लान में नहीं रहता । अतएव मास्टर प्लान के लिये किसी प्रकार की भूमि को एक्वायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अवश्य है कि मास्टर प्लान का आलेख्य जब अन्तिम रूप पा जायगा तब उस प्लान के अनुसार सड़कों और औद्योगिक तथा गृहों की स्कीमों आदि के लिये भूमि के विकास की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिये कुछ भूमि अर्जन सरकार के विभिन्न विभागों को करना पड़ेगा । परन्तु इसकी रूप-रेखा पूर्णरूप से निश्चित तभी की जा सकेगी जबकि मास्टर प्लान का आलेख्य अन्तिम रूप पा जाय ।

*१४–१६—**श्री ऊदल**—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी नगरपालिका का बोगस रिफंड केस

*१७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७ ई० का बोगस रिफंड केस जो झांसी नगरपालिका के विरुद्ध चला था और जिसमें नगरपालिका झांसी के चार सदस्य थे तथा जिसे सी० आई० डी० ने जांच कर चलाया था, कब से कानपुर की अदालत में विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—झांसी नगरपालिका का बोगस रिफंड केस सन् १९५९ से कानपुर की अदालत में विचाराधीन है।

बलरामपुर नगरपालिका के सदस्य

*१८—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बलरामपुर, जिला गोंडा, के सदस्यों में कितने ऐसे सदस्य हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—राज्य सरकार का कोई कर्मचारी नगरपालिका का सदस्य नहीं है।

*१९-२०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पीलीभीत नगरपालिका की गन्दगी को दूर करने की योजना

*२१—**श्री प्रतापसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि उनके पास पीलीभीत नगरपालिका के सम्बन्ध में हाल में यह शिकायत आई है कि वहां बहुत गन्दगी रहती है ? यदि हां, तो सरकार ने इसको सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। नगरपालिका पीलीभीत का ध्यान नगर की सफाई की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया गया है। गन्दगी को दूर करने के सम्बन्ध में नगरपालिका ने जल निकासी योजना चलाने का संकल्प किया है तथा कूड़े की सफाई के लिये ट्रैक्टर-ट्राली और ह्वील बैरो खरीदना निश्चित किया है। खाद बनाने की योजना भी विचाराधीन है।

बीसलपुर नगरपालिका में उपाध्यक्ष, श्री शराफत उल्ला खां, का गलत चुनाव

*२२—**श्री प्रतापसिंह तथा श्री उग्रसेन**—क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीसलपुर, जिला पीलीभीत, की नगरपालिका के भूतपूर्व उप सभापति को किस नियम के अन्तर्गत मई मास में पृथक् कर दूसरे सदस्य को उप-सभापति चुना गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—म्युनिसिपैल्टीज ऐक्ट की धारा ५४ के प्राविधानों को गलत interpret करके नगरपालिका, बीसलपुर, ने उक्त धारा के अन्तर्गत १९ मई, १९६१ को स्पेशल प्रस्ताव संख्या १ द्वारा श्री शराफत उल्ला खां को नया सीनियर उपाध्यक्ष चुना था।

*२३-२४—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया नगरपालिका के सेक्रेटरी को सेवा—मुक्त-करने की संस्तुति

*२५—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया नगरपालिका के सेक्रेटरी को सेवामुक्त करने की नगरपालिका एवं जिलाधीश की संस्तुति क्या सरकार ने अमान्य कर दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

*२६—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले में पंचायत निर्वाचन में कार्य करने वाले अध्यापकों का भत्ता

*२७—**श्री भोखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के उन अध्यापकों का यात्रिक भत्ता जिन्होंने गत पंचायत चुनाव में काम किया था दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो अब तक न देने का कारण क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गत पंचायत निर्वाचन में कार्य करने वाले प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के उन समस्त अध्यापकों को, जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में ही अपने यात्रिक भत्ते के बिल प्रस्तुत कर दिये थे, यात्रिक भत्ता दिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त यात्रिक भत्तों के बिलों के भुगतान के लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

अलीगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*२८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध कुछ शिकायतें सरकार के पास हाल में आई हैं? यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं? क्या उनकी मुअत्तिली का स्टे भी उन्हें मिल गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

यह शिकायतें अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं से तथा चुंगी विभाग में गड़बड़ी से सम्बन्धित हैं।

जी हां। उन्हें मुअत्तिली का Stay मिला था परन्तु High Court ने उस मुअत्तिली के Order को ७ नवम्बर, १९६१ को रद्द कर दिया है।

सासनी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के मतदाताओं का नाम बढ़ाना

*२९—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सासनी ब्लाक, जिला अलीगढ़, में पिछले पंचायतों के चुनाव में ब्लाक पंचायत इंस्पेक्टर ने किन किन तारीखों में और किन-किन ग्राम सभाओं में कितने-कितने मतदाताओं के नाम बढ़ाने का आदेश दिया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वांछित सूचना इस प्रकार है :—

तारीख	गांव सभा का नाम	मतदाताओं की संख्या जिनक नाम बढ़ाये गये
२८-११-६०	नौजरपुर	६
१६-१-६१	रूहेरी	२०
१९-१-६१	सठिया	६१
२२-१-६१	रहना	६४
२३-१-६१	जिरौली	२२
२३-१-६१	मुहरिया	३३
२३-१-६१	बिजहारी	८
२५-१-६१	ऊसवा	४९
२५-१-६१	तिलौठी	१
२५-१-६१	रुदायन	१२७

*३०—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव होने के कुछ घंटों पूर्व ही मतदाताओं के नाम बढ़ाये गये थे और जो नाम बढ़ाये गये थे प्रिसाइडिंग आफिसर थे उन मतदाताओं के नामों के वोट न लेकर इन लोगों के वोट रोक लिये थे और जिन मतदाताओं के नाम अधिकार पूर्ण सूची में नहीं थे उनके वोट लिये गये थे ? यदि हां, तो इसके जिम्मेदार कौन थे और यह किस ग्राम की घटना है और क्या उनमें से एक ग्राम सभा सहायन भी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। यह सही नहीं है कि चुनाव होने के कुछ घंटों पूर्व ही मतदाताओं के नाम बढ़ाये गये थे। यह भी सही नहीं है कि जिन व्यक्तियों के नाम गांव-सभा के सदस्यों के रजिस्टर, भाग २, में मौजूद थे उनको वोट देने से रोका गया, अथवा जिनके नाम उसमें नहीं थे उनके वोट लिये गये।

लेबर क्वार्टर स्कीम, गाजियाबाद के विरुद्ध मजदूरों का प्रार्थना-पत्र

*३१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके पास अप्रैल, १९६१ के दूसरे सप्ताह में कोई पत्र लेबर क्वार्टर स्कीम, गाजियाबाद, द्वारा पीड़ित मजदूरों का इस आशय का आया है कि उनकी जमीन न ली जाय ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

चूंकि सरकार लेबर क्वार्टरों के लिये अन्य स्थान तलाश करने के विषय में पहिले से ही विचार कर रही थी अतएव इन मजदूरों के आवेदन-पत्र पर विशेष रूप से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही समझी गई।

मास्टर प्लान बनाने के लिये केन्द्र से प्राप्त अनुदान

*३२—**श्री मदन पांडेय**—क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से हाल ही में २ १/२ करोड़ रुपये की रकम इसलिये प्राप्त हुई है कि उससे राज्य के चार क्षेत्रों—(अ) गाजियाबाद, (ब) ऋषिकेश-हरिद्वार, (स) देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र, तथा (द) मिर्जापुर-मुगलसराय क्षेत्र का सर्वेक्षण औद्योगिक विकास की दृष्टि से कराया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। परन्तु भारत सरकार ने मास्टर प्लान इत्यादि बनाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में ३ लाख रुपये अनुदान के रूप में देने का वचन दिया है और भविष्य में भी कुछ सहायता देने का वचन दिया है।

अन्तरिम जिला परिषद्, हमीरपुर, के अध्यक्ष की चुनाव के विरुद्ध रिट

*३३—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिला में अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव न होने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अन्तरिम जिला परिषद्, हमीरपुर, के अध्यक्ष का चुनाव तो हो चुका है किन्तु इस सम्बन्ध में एक रिट के फलस्वरूप हाई कोर्ट ने यह आज्ञा दी है कि रिट पर निर्णय होने तक नये अध्यक्ष का निर्वाचनफल घोषित न किया जाय।

*३४-३५—**श्री टीकाराम**—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३७--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८-३९--**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर), **श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर), **श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर) तथा **श्री टीकाराम**--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*४०--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के पास झांसी नगरपालिका के कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने संगीन अभियोग, अध्यक्ष, नगरपालिका के विरुद्ध लगा कर मार्च, १९६१ में उनकी मुअत्तली की मांग उनसे की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मांग-पत्र की मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां।

दिनांक ६ मार्च, १९६१ का श्री रामेश्वर सिंह छैलवार तथा लखपत राम शर्मा, सदस्य-गण, नगरपालिका, झांसी का एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ जिसमें निम्नलिखित आरोप मुख्य हैं--

(१) अध्यक्ष नगरपालिका, झांसी, ने ८० अस्थाई कमचारियों की नियुक्ति बिना जिलाधीश अथवा आयुक्त की अनुमति के की।

(२) नगरपालिका के धन का अपव्यय किया और स्थिति को छिपाने के लिये २५,००० रुपया स्थानीय अखबारों को दिया।

(३) अपने सम्बन्धियों की पदोन्नति बिना योग्यता के विचार के कर दी।

(४) बिना चुंगी लाखों रुपये का माल नगर में प्रवेश अपने पद के प्रभाव से कराया।

(५) एक अयोग्य व्यक्ति को Attendance Officer २०० रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया।

(६) एक सार्वजनिक कार्य जिसकी लागत ६०,००० रुपये बताई जाती है बिना टेंडर के अमानी द्वारा कराया।

*४१-४२--**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४५--**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली) तथा **श्री सुन्दर लाल** (जिला बरेली)--[चौथे शुक्रवार के लिये प्रश्न ३०-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जालौन नगर में जल-कल योजना

*४६--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन नगर में जलकल योजना द्वारा कब तक नल व्यवस्था हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जालौन नगर में जलकल योजना का कार्य लगभग दो साल में पर्णतया समाप्त होगा, तदुपरान्त वहां नल व्यवस्था हो जायेगी।

*४७-४९--**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किय गये।]

अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों तथा कार्यकारिणी समिति के चुनाव की जानकारी

*५०—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्षों तथा उसकी कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव कराने का आदेश सरकार भेजने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा ७ के अनुसार वह व्यक्ति जो ३० अप्रैल, १९५८ को जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट होने के नाते जिला नियोजन समिति का सदस्य था अन्तरिम जिला परिषद् बनने पर उसका उपाध्यक्ष हो गया। इस उपाध्यक्ष का कार्यकाल वही होगा जो अन्तरिम जिला परिषद् का है। अतः उपाध्यक्षों का चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। हां, जिन परिषदों में उपाध्यक्षों के अध्यक्ष चुन लिये जाने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्तियां हो गई हैं उन्हें भरने के लिये आवश्यक निर्वाचन शीघ्र ही कराये जायेंगे।

इसी प्रकार उपर्युक्त अधिनियम अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तरिम जिला परिषदों की कार्यकारिणी का बार-बार चुनाव कराने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नियमानुसार कार्यकारिणी का वही कार्यकाल होगा, जो परिषद् का है। अतः कार्यकारिणियों के चुनाव कराये जाने का भी प्रश्न नहीं उठता।

*५१-५२—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) तथा **श्री बुद्धीसिंह** (जिला मुरादाबाद)—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पंचायत निर्वाचन में कार्य करने वाले जौनपुर जिले के अध्यापकों का भत्ता

*५३—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् के जिन अध्यापकों ने गत पंचायत निर्वाचन में कार्य किया है, उनका भत्ता दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गत पंचायत निर्वाचन में कार्य करने वाले जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् के उन समस्त अध्यापकों को, जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में ही अपने यात्रिक भत्ते के बिल प्रस्तुत कर दिये थे, यात्रिक भत्ता दिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त यात्रिक भत्ते के बिलों के भुगतान के लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

*५४-५५—**श्री मूलचन्द**—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६—**श्री होरीलाल यादव**—(जिला फर्रुखाबाद)—[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

छोटी सरजू नदी पर महाराजगंज के निकट पुल की आवश्यकता

*५७—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़, ने जून या जुलाई, १९६१ में कोई प्रस्ताव पास कर के सरकार से धन की मांग की थी कि छोटी सरजू नदी पर महाराजगंज के उत्तर एक पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है और उसके निर्माणार्थ सरकार धन स्वीकृत करे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस संबंध में अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़, से पूछताछ की जा रही है।

*५८--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्राम सभा, दहेन्दू, में हरिजन सदस्यों के रिक्त स्थान

*६१--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा दहेन्दू, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर, में पंचायत सदस्य पद के लिये जो हरिजनों की ५ सीटें खाली हैं उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--५ हरिजन सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये गांव पंचायत के प्रधान ने अपनी संस्तुति नहीं भेजी थी इसलिये अब क्षेत्रीय विकास अधिकारी, वाराचवर, से मनोनयन के हेतु संस्तुति मांगी गई है । आशा है कि उन की संस्तुति प्राप्त होने पर २० नवम्बर, १९६१ तक यह रिक्त स्थान भरने के लिये जिलाधीश द्वारा मनोनयन कर दिये जायेंगे ।

*६२-६३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४-६६--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

स्थगित किये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत से प्रश्न स्थगित कर दिये गये हैं और फिर सदन बैठेगा नहीं....

श्री अध्यक्ष--अब ऐसा तो होता ही रहता है। आखिर में सब चीजें स्थगित हो जाती हैं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--तो फिर ये लिये जा सकते हैं और उनका उत्तर दिया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष--आप मेरे दफ्तर में आकर बतलाइयेगा । मैं देख लूंगा कि कोई सहूलियत दी जा सकती है और तब इसमें शामिल कर लूंगा इनको ।

कतिपय कार्य-स्थगन--प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये । मैंने उनमें से एक भी स्वीकार नहीं किया । कई तो ऐसे हैं जो बाढ़ के संबंध में,पानी बरसने के सम्बन्ध में और कुछ साम्प्रदायिक झगड़े जहां-जहां उठ खड़े हुए उनके संबंध में हैं । एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसा आया था जिसे त्रिलोकी सिंह जी ने दिया था । वह लखनऊ के संबंध में था । वह देर से आया । लेकिन देर का सवाल नहीं था, मैं देर का आक्षेप हटा लेता परन्तु क्योंकि जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए और विद्यार्थियों द्वारा जो आन्दोलन चलाये गये उस संबंध में कल सरकार की ओर से वक्तव्य होगा और उस पर बहस में लखनऊ भी आ जायगा । इस कारण उसे भी मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--हमारा भी लखनऊ के संबंध में ही है।

श्री अध्यक्ष--आपका भी है । लखनऊ तथा तमाम उन जगहों पर जहां विद्यार्थियों ने जो कार्यवाही इस संबंध में की है, अलीगढ़ के झगड़े के संबंध में उस संबंध में एक वक्तव्य हो जायगा । इसलिये मैंने किसी को मंजूर नहीं किया ।

श्री राजनारायण(जिला वाराणसी)--इस संबंध में एक निवेदन, श्रीमन्, मुझे करना है। यह सही है कि कल वक्तव्य हो लेकिन वक्तव्य से काम चलने वाला नहीं है, मैं आपके द्वारा, यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप चाहे इसे अनौपचारिक स्वरूप दें लेकिन जो साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं अलीगढ़ में और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूसरी जगह हुए हैं उन पर ईमानदारी से, सही और सच्ची घटनाओं पर प्रकाश पड़ना चाहिये । केवल यह प्रश्न नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों की रपट यहां पढ़ दें और उसको सही मान लिया जाय । ८ दिन तक हम भी उस इलाके में घूम कर आये हैं और एक-एक घटना की हमें सूचना देनी है । आप कोई कमेटी बुला लें जो सही बातों की जानकारी कर ले ।

श्री अध्यक्ष---पहले आप यहां तो बहस कर लें ।

श्री राजनारायण--यहां तो हमें १०, १५ मिनट बोलने को मिलेंगे और १ घंटा मंत्री जी अपने बयान में लेते हैं । एक प्रकार से सरकारी पक्ष का बयान हो जाता है और सही घटनायें सदन के सामने आ नहीं पाती हैं ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि जब सरकारी वक्तव्य होता है तो यह कोई जरूरी बात नहीं है कि रिपोर्ट की बेसिस पर ही हो । जैसे आप घूम आये है वैसे मंत्रीगण भी घूम आये हैं । अपनी जानकारी जो उन्होंने हासिल की है उसको भी वे उसमें शामिल करेंगे । फिर आप भी गये हैं, और पार्टियों के भी नेता गण और सदस्य गण गये हैं, वे अपनी जानकारी सदन को देंगे । उसके बाद यदि आप कोई ऐसा सुझाव दें कि हम लोगों को कोई समिति बनाकर बैठना चाहिये ताकि आइन्दा कभी दंगे न हों तो आप बैठ सकते हैं, वह तो आपका, यानी सदन का, अधिकार है, लेकिन पहले चर्चा हो जाना जरुरी है और उसके लिये पूरा दिन सरकार दे रही है । आप १५ मिनट का समय कहते हैं लेकिन हर पार्टी में आप किसी मुखिया को जो देख आया हो, ज्यादा समय देना चाहेंगे तो बाकी लोग नहीं बोलेंगे । तो यह तय कर लीजिये कि उनका समय बढ़ा दिय जाय, क्योंकि ऐसे मामलों में यह जरुरी नहीं है कि हर आदमी बोले ही ।

श्री राजनारायण--मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं । मैं यह चाहता हूं कि यदि आप कृपा कर कुछ समय निकालें और उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी या चौधरी चरण सिंह जी को बुला लें, मैं उपस्थित होने को तैयार हूं, माननीय त्रिलोकीसिंह जी को और दूसरी पार्टियों के नेताओं को बुला लें और मैं कुछ प्रश्न उसमें रख दूं....

श्री अध्यक्ष--सदन के जो नियम हैं उनके अनुसार ही हम चल सकते हैं। तो पहले आप बहस कर लें ।

श्री राजनारायण--आप अपने कमरे में बुला लें ताकि उन प्रश्नों पर भी सफाई आ तो जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह उसके बाद ही हो सकता है....

श्री राजनारायण---अब तो जीवन सरिता का स्रोत सूख रहा है, इसलिये मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---टीचर्स के भत्ते वगैरह के संबंध में जो हैं यह भी मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि अनुपूरक अनुदानों के विचार के समय आप इस विषय पर बहस कर सकते हैं ।

जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि के बारे में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष––नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक विषय स्वीकार किया है श्री भगवती सिंह विशारद जी का। मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"जमींदारी विनाश नियम ४० के अन्तर्गत प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में जमींदारी विनाश से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि सरकार द्वारा ६–११–६१ निर्धारित की गई थी। इस अन्तिम तिथि की सही जानकारी बहुत कम लोगों को थी। परिणामस्वरूप बहुत कम व्यक्ति पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र दे सके। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के उत्तराधिकार के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं या अभी निर्णीत नहीं हुए हैं वह भी इस अवधि के समाप्त होने के कारण पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं। साथ ही जिन व्यक्तियों का जमींदारी प्रतिकर भूमिधरी के संबंध में कटौती कर लिया गया है उनके पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र प्रतिकर अधिकारियों द्वारा ग्रहण नहीं किये गये हैं और न पुनर्वास अनुदान ही प्रदान किया गया है जिसके कारण प्रदेश के कोने-कोने में लाखों व्यक्तियों में घोर असन्तोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय तथा लोक महत्व के प्रश्न को प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत विधान सभा की आज की बैठक में उठाना चाहता हूं। आशा है मुझे अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।"

इस विषय में माननीय न्याय मंत्री कब जानकारी दे सकेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)––दो रोज के बाद, १६ तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष––अच्छा, तो उस रोज इस विषय में जानकारी आप सदन को दे दें।

गन्ने की पेराई के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद के के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष––अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की वर्तमान वर्ष की गन्ने की पैदावार की पेराई के संबंध में माननीय मदन पाण्डेय जी ने नियम ५३ के अनुसार एक बहस चाही है और मेरे पास इस विषय में गेंदा सिंह जी भी कह गये थे कि हमको दो रोज चाहिये। इसमें मैं मामूली तौर से बता देना चाहता हूं कि जो हमारे यहां कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई उस में यह तय हुआ कि एक विधेयक भी गन्ने के संबंध में आया हुआ है। उस विधेयक पर कितना समय दिया जाना चाहिये, इस बात पर उसमें विचार हुआ। तो यह तय हुआ कि विधेयक के लिये जितनी देर तक इस पर विचार चलेगा उतना तो चलेगा, फिर उसके बाद जो समय बचेगा १५ और १७ तारीख को उसमें इस दूसरे वाले विषय पर बहस होगी। यह आमतौर से वहां पर राय थी।

तो यह नियम ५३ वाला जो विषय है, जिसमें दो घंटे की चर्चा की मांग की गयी है वह तो नहीं हो सकती क्योंकि ५३ के अन्दर तो ढाई घंटे की ही चर्चा हो सकती है। परन्तु समिति ने जो सुझाव दिया है, उसमें डेढ़ दिन तो अन्दाजन मिल जायेंगे यानी करीब दो दिन जैसा कि गेंदा सिंह जी चाहते थे उतना समय तो पूरे दो दिन का नहीं मिल पायेगा, लेकिन इसमें डेढ़ दिन मिल जायंगे। यह सर्वसम्मति से समिति में तय हुआ और फिर ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि नियम ५३ के विषय की पृथक् आवश्यकता अब रहती नहीं है क्योंकि इस पर काफी बहस सरकारी वक्तव्य पर हो जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं इस संबंध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जो मदन पाण्डेय जी का है उस पर दो घंटे का अलग से वक्त दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---नहीं साहब, इसमें सिर्फ मदन पाण्डेय जी का ही नहीं है, इसमें टम्बरेश्वर प्रसाद जी का भी है, इसमें चन्द्रजीत यादव जी भी हैं और एक दस्तखत और है।

श्री उग्रसेन---लेकिन उस पर तो समय अलग से मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष---वह तो अब तय हो चुका।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इसमें कई प्रश्न हैं। एक सरकार का ३ साल का फार्मूला है जिस पर सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि गत तीन वर्षों का जोड़ करके उसका औसत निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष---उसमें ऐसी बातें कई हैं लेकिन मुख्य तो १० फीसदी कम कर देने का है।

श्री राजनारायण---उससे वह बात निकलती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह सब चीजें उसमें बांध कर रख दी जायेंगी तो जो मूलचोज है वह उसमें आती नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, जब आम बहस हो जायेगी कि किस वजह से यह परिणाम हुआ तो तीन साल का औसत निकालने वाली बात और दूसरी सब बातें उसी में आ जायेंगी।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, जो मीट्रिक सिस्टम तब्दील किया गया है, मेरा कहना यह है कि उसका विचार अलग रखा जाय। १० परसेन्ट और जो बेसिक कोटा वाली बात है वह सब अलग एक जगह रख दिया जाय और उसके लिये दो दिन अलग से रखा जाय, यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। वह तो मैंने बतला दिया कि उसके लिये दो दिन नहीं मिलेंगे।

श्री उग्रसेन---जी, मेरा यह सुझाव है.....

श्री अध्यक्ष---सुझाव तो अलग बात है, लेकिन जो निश्चित हो चुका है उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप अन्य नेताओं से बातें कर लीजिये।

श्री उग्रसेन---तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मेरा प्रस्ताव पुनर्विचार करने के लिये समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं उस प्रस्ताव को अब इस समय नहीं ले सकता।

सर्वश्री मदन पांडेय, अब्दुल रऊफ लारी, दुर्योधन तथा अमरनाथ के सोशलिस्ट पार्टी मे शामिल होने की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देता हूं। श्री मदन पान्डेय, श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री दुर्योधन प्रसाद तथा श्री अमर नाथ मिश्र ने मुझे यह सूचना दी है कि वे अब सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गये हैं। अब उनका स्थान सोशलिस्ट पार्टी में रहेगा और पी० एस० पी० में नहीं रहेगा।

अनुपूरक अनुदानों पर विवाद करने के लिये दो दिन की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस विधान सभा का अन्तिम सत्र है। इसलिये अनुपूरक अनुदान जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर दो दिन का समय दे दिया जाय तो सदस्यों को जो कुछ कहना है वह सब कह देंगे ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस विषय में आप जरा बात कर लें माननीय नेता सदन से....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीय नेता विरोधी दल से भी ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, विरोधी दल के नेता से भी और सभी विरोधी दलों के नेताओं से भी। पूरक अनुदान के लिये गवर्नर की तरफ से एक ही दिन मुकर्रर हुआ है, तो अब गवर्नमेन्ट को इसमें तय करना पड़ेगा। इसलिये आप लोग आपस में सलाह करके अगर कोई चीज तय कर लेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि इन नेताओं के अलावा कोई सदस्य भी होंगे राय देने के लिये या सब नेता ही नेता पूछे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, आप नेताओं को अपने सुझाव दे दीजियेगा ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ ई० में प्रख्यापित संशोधनों

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ ई० में, वित्त सेवा परीक्षा तथा विक्रीकर) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी०/२७६०-१०-९००(एस)-५२, दिनांक १५ जुलाई, १९६० तथा संख्या एस० टी०/१७४०-१०-९४८(५)-६०, दिनांक १ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं यह आपको ध्यान दिला रहा हूं कि इस सदन में आपने जो व्यवस्था दी है आज फिर उसको भंग किया जा रहा है। पिछला सदन ३० अगस्त को स्थगित हुआ है और यह १५ जुलाई की है, सदन डेढ़ महीने तक चलता रहा तो उस समय इसको क्यों नहीं रखा गया ? इसका कारण आप जान लें और बार-बार आज्ञा होने पर भी यह विलम्ब से आ रही है तो क्या कारण है कि आपकी आज्ञा नहीं मानी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री जी कृपया बतायें कि इसमें देरी क्यों हो गई है ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---बात यह है, श्रीमन्, कि जिस समय सदन स्थगित हुआ था उस समय तक यह तैयार नहीं हो सकी थी और ला डिपार्टमेन्ट में एक्जामिन हो रही थी ।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि जिस समय आपने इसको पढ़ा था, यह भी कह देते तो वह प्रश्न न करते। यदि देर हुई है तो कारण बता देना चाहिये। जब एक महीने से ज्यादा देर हो जाय तो उसका कारण सदन को बता देना चाहिये और हमें अफसोस है यह भी कहना चाहिये जैसा कि कहने का तरीका होता है ।

---

†छापे नहीं गये।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, हमें बहुत अफसोस है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, उन्होंने क्या कारण बताया ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बताया कि उस समय डिटेल्स तैयार नहीं थे और शायद ला डिपार्टमेंट में एक्जामिन हो रही थी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह गजट में २० जुलाई को छप चुकी थी, फिर ला डिपार्टमेन्ट जाने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष---उनका कहना यह है कि इसका २० जुलाई का गजट हो गया तो फिर ला डिपार्टमेंट में जाने की क्या जरूरत थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसके बाद जब वह छप कर आ जाती है तब सदन में रखी जाती है ।

श्री अध्यक्ष---यह २० जुलाई को गजट में छप चुकी है। आप जरा इसको देख लीजिये । उनका कहना यह है कि उसके बाद एक महीने तक सदन बैठा रहा, इस बीच में इसको रख दिया जाना चाहिये था । आप इसकी इंक्वायरी कर के बतायें कि इसमें देरी क्यों हुई ?

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन वित्त विभाग की विज्ञप्ति†

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ ई० की धारा ३-क और धारा ४ के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री -कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३२२७/१०--९०२/८ सी० ए० एफ०-५९, दिनांक १ सितम्बर, १९६१ को उक्त ऐक्ट की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन‡

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स,१९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम० वी० आर-ए० एम०-३१/३०-ख-२२९९-टी-एम-(८७)-पी०-६१, दिनांक २४ जुलाई,१९६१, संख्या एम० वी० आर० ए० एम० ३६-२२६५-टी-एम/३०-ख-२७-पी०-६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६१, संख्या एम०वी० आर०ए०एम०/३५-१८२०-टी० एम०/३०-ख-९१-पी-६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६१ तथा संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-३७-४१७४-टी०एम०/३० -बी---८१ पी०-६१, दिनांक १४ अगस्त, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच विज्ञप्तियां हैं सभी पहले छप चुकी हैं लेकिन सदन में नहीं रखी गयीं । परिवहन विभाग और भी ज्यादा निश्चिन्त होता जा रहा है और आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है ।

---

†छापी नहीं गयी ।
‡छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष--२४ जुलाई वाली का एक महीना हो गया जब सदन उठा। बाकी अगस्त की है। उसके वास्ते आप को मालूम है कि क्यों देर हुई?

श्री मुजफ्फर हसन--छपने में देर हो गयी होगी। अगर आप चाहें तो मालूम करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष--२४ जुलाई को वह छप गयी थी। मालूम कर लेने से मैं समझता हूं कि ऐसे एतराज नहीं होंगे।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ३ के अन्तर्गत बनी नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०८९(१)/१-क--३६०३-५९, दिनांक १८ अगस्त, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--यह भी सदन के स्थगित होने से बहुत पहले छप गयी थी।

श्री अध्यक्ष--बहुत पहले नहीं १८ वाली है। इसमें जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत आज्ञायें‡

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा/(१) के अन्तर्गत दी गयी तथा नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२४-म/आ-४/(द्वितीय संशोधन)/११-ग-कार्प-६, दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका [कठिनाइयों को दूर करने की (चतुर्थ) (द्वितीय संशोधन) आज्ञा १९६१] तथा विज्ञप्ति संख्या ३२५-म (आ-३) (द्वितीय संशोधन)/११-ग--८१-कार्प-६०, दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका[कठिनाइयों को दूर करने की (तृतीय) (द्वितीय संशोधन) आज्ञा १९६१] की उक्त धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियों के अधीन प्रख्यापित संशोधन‡

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ३२५८-प ३३--५६-६१, दिनांक २९ अगस्त, १९६१ तथा संख्या ३९३३-प ३३--१५५-(११)-५९, दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।
‡छापी नहीं गयी।

पंचायतों के सेक्रेटरियों की नियुक्ति तथा सेवा नियमों के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतों के सेक्रेटरियों की नियुक्ति तथा सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन करने से सम्बन्धित नियमों में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४४८१-प ३३--३०१-५८, दिनांक २९ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा‡

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ६४ तथा धारा ८२ के अधीन दी गई तथा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५२४-ए-जेड १-क---२३५७-५९, दिनांक २० जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा को उक्त अधिनियम की धारा ६६ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

मान्यवर, इसमें यह हुआ कि हिन्दी में जो यह नोटिफिकेशन था यह हमारे पास नहीं आया, अंग्रेजी का २७ जुलाई को आ गया था। हमने जब उनको लिख कर भेजा तो उन्होंने कहा कि हमने आपके पास भेज दिया है। फिर यहां ढूंढा गया और जब नहीं पता चला तो फिर लिखा कि आप इसकी दूसरी कापी भेज दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम भेज चुके हैं। फिर यहां पता चलाया गया तो मालूम पड़ा कि स्टेशन पर उसका बंडल पड़ा हुआ है और २ नवम्बर को डेमरेज वगैरह देकर और इंडेमनिटी बांड वगैरह भर कर उसे छुड़ाया गया। जैसे ही आया वैसे ही विधान सभा कार्यालय को भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आपको अफसोस है?

श्री नवलकिशोर—जी हां, निहायत अफसोस है, मान्यवर।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह जो बंडल स्टेशन पर पड़ा रह जाया करता है....

श्री अध्यक्ष—उसके लिये उन्होंने अफसोस जाहिर कर दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह तो दिखावटी है। कुछ काम में मुस्तैदी भी तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह ठीक है तभी तो उसके लिये उन्होंने अफसोस जाहिर किया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५८--५९ का प्रतिवेदन*

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—श्रीमन्, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन को उसके ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।
‡छापी नहीं गई।
*छापा नहीं गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या इस पर कोई विवाद भी हो सकेगा ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) मैं श्रीमन्, यह यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर वादविवाद का समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--हां, समय रहेगा तो जरूर करेंगे। मैं बात करूंगा कि कोई समय इसके लिए दिया जाय।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१*

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियम बन गया।

---

*छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २३ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ३० अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २४ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २५ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २६ वां अधिनियम बन गया ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ जुलाई, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने १८ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३० सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २७ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३० सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २८ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३० सितम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का २९ वां अधिनियम बन गया ।

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा---इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १२ अक्तूबर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का ३० वां अधिनियम बन गया ।

अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियमों पर विवाद के संबंध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है । यह जो क्रम चल रहा है ८, ९, १०, ११ और १२ यह सब आज मेज़ पर रखे गये हैं । अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों को इस सदन में १४ दिन तक मेज पर रखना होता है । अगर उन पर १४ दिन तक विचार नहीं होता है और उन पर हमारे संशोधन भी नहीं होते हैं तो फिर वह लागू क्या होंगे ?

श्री अध्यक्ष---उसमें यह है कि वे तत्काल लागू हो जाते हैं जब तक कि सदन द्वारा संशोधन न हो जाय ।

श्री राजनारायण---मैं बहुत निश्चित नहीं हूं किन्तु मुझे यह स्मरण है सम्भवतः आपकी यह राय रही है कि संशोधनों के लिये नियमों को १४ दिन तक सदन में रखा जाय और सदस्य उनको पढ़ें और पढ़ कर अपने संशोधन पेश करें और फिर उन पर बहस हो । उसके लिये हमने खुद निवेदन किया था । मान लीजिये ऐसे नियम बन गये जो अधिनियम के विरुद्ध हों और उन विरुद्ध नियमों को अगर तत्काल लागू कर दिया तो फिर अधिनियम की हत्या हो जायगी। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी सहमति आपने प्रकट की थी।

श्री अध्यक्ष---मैं देख लूंगा कि मेरा क्या फैसला है ।

श्री राजनारायण---कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो ऐसे नियम हैं जिनसे अधिनियम उलट जाता हो तो वे लागू नहीं होने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---मैं उसको देख लूंगा ।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---मैं उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) बिधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मैं उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ [U. P. Sugar cane Laws (Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ७०९–७११ पर)

सितम्बर तथा अक्तूबर मास में उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के सम्बन्ध में विवाद

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस साल भी हमारे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण काफी सैलाब आये जिनसे मनुष्यों और जानवरों की जानें गईं जिनका विवरण मैंने अपने स्टेटमेंट में दिया है। बाढ़ से काफी लोगों को कष्ट हुआ। जिन परिवारों के लोग इस सैलाब के कारण मरे हैं या जिनको नुकसान हुआ है उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है।

अब की बारिश की शुरूआत तो ठीक वक्त से हुई, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे तक अनावृष्टि रही और १७ अगस्त तक जो सैलाब आया था और जो बारिश हुई थी उसके बारे में इस सदन में मैंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया था और उसके संबंध में दो एक स्टेटमेंट भी नुकसानात के और सरकार की तरफ से जो इंतजाम हुआ था, उसके दिये थे। उसके बाद जो परिस्थिति पैदा हुई उसके संबंध में मैंने सदन की मेज पर सदस्यों की जानकारी के लिये दो स्टेटमेंट रखे हैं एक में नुकसान क्या हुआ है और दूसरे में सरकार ने क्या क्या सहायता दी है, इसका विवरण दिया गया है।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुदाद्दिद सालों में हमारे प्रदेश में ऐसी घटनायें हो रही हैं बरसात की वजह से कि जिनके कारण लोगों को काफी कष्ट पहुंच रहा है। १७ अगस्त के बाद जब हम लोग असेम्बली खत्म करके अपने-अपने घर गये तो कुछ अरसे तक बारिश नहीं हुई। बारिश २२ जुलाई से शुरू हुई और २७ जुलाई तक कुछ जिलों में काफी हैवी रेन्स हुई हैं और अतिवृष्टि के कारण यह स्वाभाविक है कि सैलाब आये और वाटर लागिंग हो। सितम्बर में तो खैरसल्ला रही, लेकिन अक्तूबर में, पहले हफ्ते में बारिश नार्मल रही, सिवाय चन्द जिलों के जो वाराणसी डिवीजन के हैं। वहां रेनफाल नार्मल से कुछ ज्यादा रही, लेकिन अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में बहुत ज्यादा बारिश हुई। तमाम स्टेट भर में दूसरे सप्ताह में काफी बारिश हुई और खासकर गोमती के उद्गम के स्थानों में बहुत बारिश हुई। मेरे पास आंकड़े हैं जिलों की बारिश के। शाहजहांपुर में ११·१ इंच बारिश हुई जब कि नार्मल होनी चाहिये १·४ इंच। पीलीभीत में १०.२७ इंच, नार्मल है १·२३ इंच। सीतापुर में १३.३५ इंच, नार्मल है १·४३ इंच। हरदोई में ११.७१ इंच, नार्मल है १.३६ इंच। खीरी में १३·६९ इंच बारिश हुई जब कि अक्तूबर का नार्मल है १·५७ इंच। बाराबंकी में १२·१७ इंच, नार्मल है १·४८ इंच। कानपुर में ११·३६ इंच बारिश हुई, नार्मल है १·३० इंच। इस अतिवृष्टि के कारण दरियाओं में एक हफ्ते में इतना पानी हुआ कि जिससे फ्लड आना स्वाभाविक था और जो पूर्वी और मध्य अंचल हैं उनमें सैलाब का काफी असर हुआ।

इन सब वाकायात को देखते हुए यह साफ है कि दो किस्तों में सैलाब आया। उधर २७ जुलाई को बारिश हुई तो अगस्त में सैलाब आया। उसके बारे में २१ अगस्त को मैंने एक विवरण भी सदन के सामने रखा था। दूसरा सैलाब अक्तूबर में आया। हमारी काफी दरियाओं में सैलाब आया। मैं कुछ संक्षेप में उनका जिक्र करूंगा।

इस साल गंगा में बाढ़ आई और इलाहाबाद, मेरठ आदि में तो मीडियम फ्लड लेविल से भी सैलाब ऊपर निकल गया। इलाहाबाद के आगे जो दरिया है उसमें भी काफी सैलाब आया। जमुना हमेशा मीडियम फ्लड लेविल के नीचे रही, लेकिन इस साल पानी उसको भी पार कर गया। जमुना के बायें किनारे का जो बैंक था यानी देहली और ओखला के पास, वहां काफी बड़ा breach हो गया जिसको कि आर्मी की मदद से ठीक कर लिया गया। ३१ अगस्त

को वह ठीक हुआ। राम गंगा में भी काफी फ्लड था। घाघरा भी हाई फ्लड लेविल पर थी। बलिया, बहराइच, फैजाबाद, आजमगढ़ आदि में भी फ्लड आया लेकिन यह दरियायें मीडियम फ्लड में रही। लेकिन बाद को बहराइच में जो फ्लड आया वह हाई फ्लड लेविल को भी क्रास कर गया—१६ अक्तूबर को। गण्डक रिवर में भी अगस्त के तीसरे सप्ताह में सैलाब आया। उसका काफी पानी नैपाल टैरोटरीज में कुछ जगह बैंक्स न होने के कारण परसनी गांव को काट कर बड़ी गण्डक और छोटी गण्डक में भी आ गया। इस वजह से छोटी गण्डक में सैलाब आया और वहां से वह पानी नैपाल टैरोटरीज पर, यानी गोरखपुर, देवरिया जिल के इलाकों म फैला। रोहनी नदी में भी वह पानी आया। उससे काफी क्षति फसलों को पहुंची और जो सिंचाई विभाग के इंजीनियरिंग वर्क्स था उसको भी काफी क्षति पहुंची। छोटी गण्डक का पुल भी टूट गया। लेकिन भगवान की कृपा से नारायणी कैनाल का जो बांध था वह ठीक रहा। इंजीनियरिंग वर्क्स को जो नुकसान पहुंचा उसका तखमीना करीब ३१ लाख का है। राप्ती जो है वह मीडियम फ्लड्स पर है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, उन्होंने यह "इम्पेसेंट" पहले कहा था वह क्या चीज है, इसकी टीका करा दें तो बहुत अच्छा है?

श्री अध्यक्ष—आप जो इस तरह से "मीडियम" वगैरह अंग्रेजी शब्द कहते हैं, वह यह कहते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता।

श्री हुकुमसिंह विसेन—औसत दर्जे से मतलब है। बुन्देलखण्ड में बेतवा, धासन, केन, टौंस नदियों की फ्लड बढ़ी नहीं थी और पहाड़ी अजला में जो छोटी-छोटी रिवर्स और नाले हैं उनमें आस-पास के इलाके में जो बारिश हुई उसकी वजह से सैलाब था। गोमती इस साल भी बहुत ऊंचे लेविल पर पहुंच गयी क्योंकि उसके उद्गम स्थान के नजदीक के जिलों में काफी वर्षा हुई अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में। १९५८ में गोमती का जो ऊंचा लेविल था उससे वह १६ अक्तूबर को लखनऊ में ऊपर निकल गयी और उसका लविल ३६६.७० फिट १७ अक्तूबर को था जब कि गुजिश्ता साल में ३७१.४५ फिट था और १९२३ में ३६८.५० फिट था।

इस साल के सैलाब में दो खास सूरतें थीं। बड़ी गंडक में बहुत ज्यादा सैलाब था जिसने देवरिया और गोरखपुर म क्षति पहुंचाई और बहुत से जिलों में दो तीन किस्तों में सैलाब आया। और एक खास बात यह थी कि सैलाब ठहरा बहुत दिनों तक। अगस्त में सैलाब आया तो एक महीने तक सिलसिला कायम रहा और जो पानी निकला वह बहुत आहिस्तगी से निकला। इससे तकलीफ का वक्त ज्यादा लम्बा बढ़ गया था। एक महीने तक लोग मेरुण्ड रहे तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, इसका मुझे दुःख है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—किस नदी में देर तक पानी रहा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—घाघरा में मैं जानता हूं, मेरे जिले के करीब होकर गयी है, एक महीने बराबर बाढ़ रही।

श्री गौरीशंकर राय—गंगा में कितनी रही? कितने महीने रही?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी बात आप जानते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमान् जी, जमुना रह गयी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिवाय बुलन्दशहर के जमुना ने सब जिलों में कृपा रखी और नुकसानात का अन्दाजा यों हो सकता है कि मैंने कुछ सालों के ....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, वह तो आप दे चुके हैं। जितना संक्षेप में कह सकें उतना अच्छा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो पढ़ने जा रहा हूं वह नहीं दिया है। अगर इजाजत दें तो पढ़ दूं। दो साल का पढ़े देता हूं।

१९६० में एरिया अफेक्टेड ५२,४१,२२३ एकड़ और जो गांव सैलाब से मुतास्सिर थे वह २७,३०१ और क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या ४,३४,५६५, ग्रुअल लाइफ लास्ट-३१३, नम्बर आफ कैटिल लाइफ लास्ट--२,७१५। और इस साल अफेक्टेड एरिया हुआ ५१,१३,६८० एकड़। अफेक्टेड मवाजियात २६,३९८। मकानों की संख्या जिन पर असर पड़ा ३,०६,९८७। मनुष्यों की हानि ३२९। जानवरों की हानि १,३१५। इसमें जो किश्तियां डूब गईं गाजीपुर, मथुरा में, और पहाड़ पर लैण्ड स्लाइड्स हुए उसमें जो जानें गईं वह फिगर भी शामिल है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी बता दें कि इस सिलसिले में कर्मचारियों पर टी० ए० वगैरह में कितना खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप बैठिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस सिलसिले में मैं इतना कह देना आवश्यक समझता हूं कि जिन-जिन जिलों से सहायतार्थ जो कुछ मांगा गया उसे सरकार ने भरसक देने की कोशिश की। हमने रुपया भी दिया और बोट्स का भी प्रबन्ध किया। बहरहाल जो कुछ हो सकता था वह किया गया। यह हो सकता है कि जो कुछ हमने किया है वह काफी न हो क्योंकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड नहीं हैं। उस सीमा के भीतर हम जो कुछ कर सकते थे उतना किया। अगर हम नहीं कर सके तो उससे यह नतीजा नहीं निकलता कि सरकार करना नहीं चाहती थी। हम तो अब भी जो कुछ हो सकेगा, करेंगे। टेस्ट वर्क के लिये भी मैंने स्टेटमेन्ट दे दिया है। तकावी भी दी है, डिस्ट्रेस तकावी भी दी है। लड़कों की फीस में भी करीब तीन लाख से ऊपर रुपया दिया गया। यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स को अलग दिया। मकानों के लिये सब्सीडी अलग दी गई। इस तरह से कुल मिलाकर एक करोड़ से ऊपर हो जाता है। इन्टरमीडिएट कलासेज के लड़कों के लिये तीन लाख ७० हजार, यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स के लिये ८५ हजार, खादी हुंडी पर सब्सीडी तीन लाख, टेस्ट वर्क के लिये ६० हजार, तकावी ६६ लाख ५२ हजार। इस तरह से कुल मिलाकर एक करोड़ से ऊपर होता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---टेस्ट वर्क अभी कहीं नहीं शुरू हुए हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब तक पानी नहीं खत्म हो जाता तब तक कैसे शुरू हो सकते हैं। हमने डी० एम्स० को आदेश दे दिया है, पानी खत्म होने पर जल्द टेस्ट वर्क शुरू कर दिया जाय। रुपये की जितनी जरूरत हो हमसे मांगें, हम देने के लिये तैयार हैं।

जिन जिलों में फीस माफ की गई है वह स्टेटमेन्ट में दे दिया है। मैं इस सदन में फिर दोहराना चाहता हूं कि टैस्ट वर्क्स वगैरह के कामों के लिये जितना रुपया मांगा जायगा उसको अपने सीमित रिसोर्सेज के अन्दर हम देने का प्रयत्न करेंगे।

इसके अलावा यह भी आदेश गये हैं कि जो गांव दरिया के कारण कट गये हैं उनको सेफर स्थानों पर बसाने का प्रबन्ध किया जाय। हमारे कलेक्टर्स इस पर ऐक्शन ले रहे हैं। इसके लिये भी पैसा देने का प्रयास करेंगे।

जो रिपोर्ट हमारे पास आयी हैं उनसे मालूम होता है कि तकावी सब जगह बंट रही है।

एक बात मैं और कह दूं कि यह कहना और ऐसा सोचना, मैं समझता हूं ठीक न होगा कि हम कोई ऐसी कार्यवाही कर दें कि सैलाब आयें ही नहीं, लेकिन ऐसा प्रयास हम जरूर करते हैं कि उनसे जो तकलीफ होती है वह कम से कम हो। इसके लिये पहली और दूसरी योजना में हमारी कुछ योजनायें रही हैं। इनमें ४८६ मील लम्बे दरियाओं के किनारे बंधे बांधे गये,

घाघरा, गंगा और राप्ती दरियाओं के किनारे, इसके अलावा ५ हजार गांव ऊंचे किये गये। टाउन्स को बचाने के लिये भी बांध वगैरह बांधे गये। दूसरे दरियाओं के कटाव को भी रोकने का प्रयास किया गया, परिणामस्वरूप बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी हुई है। मौजूदा ड्रेन्स को भी ठीक करने की वजह से १७.४६ लाख एकड़ भूमि की रक्षा हुई है। इसके अलावा एक मास्टर प्लान भी बनायी गयी है जिसको फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड ने भी मंजूर कर लिया है, जिसके अन्तर्गत ६७ करोड़ रुपये का काम होगा। दरियाओं के किनारे जो बांध बांधे जायेंगे उनके लिये ६.६ करोड़ रुपया रखा गया है, गांवों को ऊंचा करने के लिये ७ करोड़ से अधिक रखा गया है, टाउन्स को बचाने के लिये पौने नौ करोड़ के करीब है, ड्रेनेज वगैरा के लिये १४.६९ करोड़ रखा गया है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, नगर को बचाने की एक भी योजना नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---लखनऊ को ही बचाने के लिये २ करोड़ रखा गया है, गोवर्द्धन पर्वत के लिये भी रखा गया है। सुलेमनपुर जो बलिया में है, उसके लिये भी रखा गया है, वहां स्पर्स बनाये जायेंगे। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो काम अधूरे रहे हैं उनको भी मुकम्मिल किया जायगा और जो सेकेन्ड फाइव इयर प्लान की स्कीम्स चालू हैं और मुकम्मिल नहीं हुई हैं, वे भी थर्ड फाइव इयर प्लान में कायम रहेंगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---कानपुर की दरियाओं के लिये क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले सुन तो लीजिये कि हमने क्या रखा है।

श्री मोती लाल अवस्थी---अब तक एक भी तो नहीं निकला है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके अलावा हमने जो बयान यहां रखा है उससे हमारे मित्रों को पूरा अन्दाजा हो गया होगा कि बाढ़ से हमारे प्रदेश को कितनी क्षति पहुंची है तथा सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गयी है।

सैलाब के बाद मुझे भी इधर-उधर जाने का मौका मिला और मुझे एक बात की खुशी है जिसे मैं इस सदन में अर्ज कर देना चाहता हूं। हमारे बहुत से मित्रों ने जो इधर या उधर बैठे हुए हैं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, सबने इस बात की तो प्रशंसा की कि अब की बार सरकारी अहलकार तथा कर्मचारी वर्ग ने दिल लगा कर सैलाब में काम किया।

श्री उग्रसेन---वाह वाह !

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप अपने मित्र श्री मदन पांडेय से पूछ लीजिये जो अब आपकी पार्टी में ही गये हैं। मेरे पास खत भी मौजूद है, जिसको मैं दिखला सकता हूं। मैं अपने मित्र मदन पाण्डेय से ही कहता हूं कि जब २८ तारीख को मैं उनके यहां गया था तो फ्लड रिलीफ कमेटी के काम को श्री मदन पाण्डेय, श्री शिब्बन लाल सक्सेना तथा और भी बहुत से मित्रों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी कि यहां के अधिकारियों ने खूब अच्छा काम किया। अगर कलेक्टर वहां मौजूद थे इस वजह से उन्होंने तारीफ की थी, तब तो वे ही जानें, इसे हम नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं कि उन्होंने यही कहा और श्री शिब्बनलाल जी का खत मेरी फाइल में मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं उसे मंगवा लूं, उन्होंने एप्रीशिएट किया है।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---ढपोरशंख वाली बात तो आपने कही नहीं।

(हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तो शंख वाली बात ही कहता हूं, ढपोरशंख वाली बात नहीं कहता। किसी जिले से मेरे पास कोई खास शिकायत नहीं आयी। वैसे तो कह देने की बात है कि अधिकारियों ने दिल लगा कर काम नहीं किया। मैं जानता हूं कि पारसाल के

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

सैलाब की वजह से वे तजुर्बेकार हो गये थे और उन्होंने पहले से ही प्रिकाशन लिया। इसके अलावा नान-आफिशियल एजेन्सियों ने भी हमें इस काम में बहुत सहयोग दिया और उनकी मदद देने से हमें बड़ी सहूलियत पैदा हुई।

खास कर कानपुर का जो प्रेम क्लब है, उन्होंने सरकारी तरीके से तथा स्वतंत्र तरीके से भी यहां आकर काफी काम किया, लिहाजा मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैंने उनके लिये ५,०००रु० भी सैंक्शन किया है कि वे अपने इक्विपमेन्ट वगैरह को और इम्प्रूव कर लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--और रुपये दीजिये, इतने से क्या होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आखिर में अपने माननीय मित्रों से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी तो हमको आपको यहां फिर आना है, फिर मिलना है...

श्री मोतीलाल अवस्थी--कुछ पता नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो यहां अपने आने में शक करते हैं वे ही आज ज्यादा जोर से बात करेंगे लेकिन जो समझते हैं कि वे यहां फिर आवेंगे वे मौतदिल बात ही करेंगे। जोर से बात करने से या सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करने से कोई काम बनता तो है नहीं। यह तो ऐसी चीज है कि अगर जनता को तकलीफ है तो हम आप मिलकर एक दूसरे को सहयोग देकर उनकी जितनी तकलीफ दूर कर सकें वह हमें करना चाहिये। सख्त जबानी से कोई हल नहीं होता और उससे कोई फायदा भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मित्र मेरी बातों पर संजीदगी के साथ विचार करेंगे और जो भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव वे देंगे, जो ग्राह्य हों, उन पर अमल करने की मैं कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--श्री गौरीशंकर राय जी।

पहले मैं चाहता हूं कि समय के बारे में कुछ तय हो जाय।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, समय के संबंध में मुझे यह कहना है कि करीब-करीब सारा प्रदेश बाढ़पीड़ित है और काफी लोग इस पर बोलना चाहेंगे, तो एक सदस्य को १० मिनट से अधिक समय न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, लेकिन जो प्रारम्भ करेंगे उनके लिये तो कम से कम १५ मिनट होना ही चाहिये और जो पार्टियों के नेता होंगे उनको भी १५ मिनट दिये जायेंगे।

श्री उग्रसेन--आवश्यकता पड़ने पर सदन का समय भी बढ़ा दें, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--वह तो अधिकार सदन को हमेशा है ही।

***श्री गौरीशंकर राय**--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय माल मंत्री जी ने अपना भाषण समाप्त करते हुए इस बात की उम्मीद की कि लोग सख्त जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सख्त जबान का इस्तेमाल न करूं, लेकिन अगर कहीं सख्त मालूम हो तो वह मुझे माफ करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

मान्यवर, अभी हमारे माल मंत्री जी ने सारे सूबे की बाढ़ के संबंध में एक रिपोर्ट दी। मुझे ऐसा लगा कि इसको माल मंत्री की रिपोर्ट न कहकर लेखपालों की रिपोर्टों का संकलन कहा जाय तो उचित होगा। सारे लेखपालों ने जो रिपोर्ट दी है उसको बड़ी खूबी के साथ उन्होंने संकलित कर दिया है। यह बात और है कि खूबी के साथ उसे बयान किया हो या न किया हो, लेकिन संकलन उसका बड़ा बढ़िया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, बाढ़ की ऐसी समस्या है इस प्रदेश के और इस देश के दुर्भाग्य से कि प्रति वर्ष हम इस पर बहस करते हैं और हर साल सुनते हैं कि इस साल ३०० मरे, ४०० मरे। मंत्री जी कहा करते हैं कि इससे उनको बड़ी तकलीफ है । जरूर तकलीफ होगी । आदमी की मौत से तकलीफ हुआ करती है। लेकिन माननीय, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस सवाल पर जिस गंभीरता और जिस दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए उससे नहीं हो पाता । बाढ़ के जो मौलिक प्रश्न हैं उन पर कोई विचार नहीं होता, सिवाय इसके कि इतनी तकावी दे दी, कलेक्टर ने यह किया, वह किया और मंत्री जी को बड़ी खुशी तब होती है जब कोई यह कह दे कि वहां के अफसरों ने बड़ा अच्छा काम किया है । ऐसे प्रश्न की रिपोर्ट जिसमें कि ४०० व्यक्तियों की मौत हुई हो और अपार क्षति हुई हो, इस प्रकार से सदन के सामने नहीं आनी चाहिये । इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मंत्री जी और दूसरे लोग इस सदन के सामने मौलिक रूप से विचार करते और इस समस्या को हल करने का प्रयास करते ताकि यह मौतें और क्षति बचाई जा सकें ।

माननीय, अभी मंत्री जी ने कहा कि यह तो हो नहीं सकता कि बाढ़ न आवे । मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ तो पहले भी आया करती थी, लेकिन अब पिछले दो सालों से लखनऊ में और दूसरी जगह गोमती की बाढ़ की क्या हालत रही है यह श्रीमन्, आप भी जानते होंगे । इस मामले में सरकार ने विशेषज्ञों से कोई छानबीन कराई है ? हर साल क्या बरसात नहीं होती थी ? ऐसा तो है नहीं कि आकाश फट गया हो पिछले दो सालों से । अभी मंत्री जी ने कहा कि बारिश बढ़ गई, नदियों में पानी बढ़ गया । मैं कहना चाहता हूं कि गंगा ऐसी नदी नहीं है जो किसी एक दूसरे जिले में पानी बढ़ जाने से बहुत ज्यादा बढ़ जाय। यह गोमती नदी, जिसकी बाढ़ से बड़ी मुश्किल हो जाती है, जब इसका पानी गंगा में जाता है तो एक इंच का भी असर नहीं पड़ता, कभी-कभी बिल्कुल भी असर नहीं मालूम पड़ता । तो श्रीमन्, मेरा सरकार पर चार्ज है कि इस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक और मौलिक रूप से हल करने का प्रयास सरकार ने कभी नहीं किया, बल्कि एक पैच रिपेयर, एक चालू काम कर दिया कि इतनी मदद दे दी, इतनी तकावी दे दी ।

अभी मंत्री जी ने कहा कि मास्टर प्लान बना है । कोई ऐसा प्लान मंजूर नहीं हुआ है जिसकी हमें जानकारी हो । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड में जो पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने रुपया रखा था, अब की तीसरी योजना में वह रुपया नहीं है । शायद सरकार ने समझा कि बाढ़ की समस्या का समाधान हो चुका है, इसमें और रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है । मंत्री जी कहते हैं कि बाढ़ को कैसे रोका जाय ? इनको मालूम नहीं है कि सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड में अरबों रुपया प्लानिंग की तरफ से खर्च किया गया, लेकिन तीसरी योजना में एक पैसा भी बाढ़ को रोकने के लिये नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि बाढ़ की जो विभीषिका बढ़ी हुई है इसकी जांच विशेषज्ञों से कराई जाय कि कहां दोष है और क्यों दोष बढ़ रहा है ।

[इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए ।]

इसके अतिरिक्त माननीय, एक और मोटा सवाल है, जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मंत्री जी बतायें कि जिन लोगों के घर गिर गये हैं उनके बसाने की कोई व्यवस्था है? सारे प्रदेश की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर प्रति वर्ष हजारों मकान गंगा में कट कर बह जाते हैं, गिरने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्षति नहीं होती है, उसके तो आंकड़े मंत्री जी ने दिये ही हैं । मैं तो उन मकानों की बात कर रहा हूं जो कट कर बह जाते हैं । लेकिन पिछले १० सालों में कहीं एक आध गांव के बसाने का इंतजाम हो गया हो तो हो गया हो पर वैसे किसी के बसाने का इंतजाम नहीं हुआ । इस साल मेरे जिले में मेरा खयाल है कई सौ घर गंगा में बह गये, क्षति ग्रस्त नहीं हुए, क्षति ग्रस्त तो हजारों हुए आज तक २०० से अधिक परिवार बलिया बैरिया बांध पर मकान बनाये पड़े हैं, आज बेघरबार लोग गंगा के किनारे बलिया में पानी हट जाने के बाद वहीं पड़े हुए हैं और उनके

[श्री गौरीशंकर राय]

बसाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि वह कर रही है लेकिन ५, ६ साल से कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आज गांव के गांव गंगा में कट कर बह गये हैं। उनके साथ सरकार को चाहिये कि विशेष प्रकार का, जैसे शरणार्थियों को सहायता दी जाती रही है, उसी प्रकार की सहायता दे उनको पुनर्स्थापित करने के लिये सरकार को एक योजना बनानी चाहिये तथा मकान बनाने की सहायता दी जानी चाहिये।

एक बात की ओर और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कुछ हमारे भाई इसको पसन्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहने के लिये मजबूर हूं कि जो सहायता दी जाती है वह नहीं के बराबर है, कहीं-कहीं तो सहायता का मजाक है। सहायता देते समय इस बात का खयाल नहीं रखा जाता कि कहां कितना नुकसान हुआ है। मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता केवल बलिया और लखनऊ का जिक्र करना चाहता हूं। बलिया जिले में प्रभावित क्षेत्रफल २,७८,६९२ एकड़ है और लखनऊ में २१,२२२ एकड़। पर यदि सहायता को देखा जाय तो दोनों में बड़ी विचित्रता दिखाई देगी। तीन लाख से ऊपर लखनऊ में सहायता दी गई लेकिन बलिया जिला हमारा ऐसा है जहां न माननीय मुख्य मंत्री जी का हवाई जहाज जा सकता है और न उनका निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। गोमती के बाढ़ पीड़ितों की जो सहायता हो रही है वह और होनी चाहिये लेकिन मैं देखता हूं कि गरमी के दिनों में जिस नदी को दौड़ कर फांदा जा सकता है उसकी बाढ़ को हवाई जहाज से देखा जाता है और बलिया जिले में गंगा ८, १० मील चौड़ी हो जाती है वहां न माननीय मंत्री जी हवाई जहाज से जाते हैं और न यह बयान निकालते हैं कि रुपये का कोई कंसीडरेशन न किया जाय, लोगों को सहायता दी जाय। बलिया जिले में गंगा नदी का किनारा ६० मील और घाघरा का ४५ मील का है, सारे जिले का आधा हिस्सा डूब गया था, मंत्री जी ने कहा कि दो किस्त में बाढ़ आयी गंगा में जब कि मैं कहता हूं कि लगातार दो महीने बाढ़ रही।

उस क्षेत्र में फीस माफी के लिये कुल २०,००० रु० दिया गया, १०,००० रु० मिडिल स्कूल और १०,००० रु० हाई स्कूल के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर साधन सीमित हैं तो जो कष्ट हैं, समस्यायें हैं उसमें उसी अनुपात से सहायता दी जाय। लखनऊ में जहां मंत्रियों का स्थान है, जहां माननीय मंत्रियों का राजनीतिक सम्बन्ध है उन स्थानों को ज्यादा सहायता मिली है और उनको नहीं मिली है जिनमें अपेक्षाकृत क्षति ज्यादा हुई है और उनको अधिक सहायता मिलनी चाहिये थी। बलिया जिले में ८० हजार अहेतुक सहायता दी गयी जब कि लखनऊ में ३ लाख ६५ हजार की सहायता दी गयी जब कि प्रभावित क्षेत्र लखनऊ में २९ हजार एकड़ और बलिया में २ लाख ७८ हजार से ऊपर है। गोमती की बाढ़ एक या डेढ़ हफ्ते रहती है और गंगा की बाढ़ डेढ़ या दो महीने रहती है। ऐसे संकट के समय राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। अगला आने वाला चुनाव ऐसे संकट काल में सहायता के पीछे नहीं होना चाहिये, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिये। माननीय दुबे जी, जो यहां मौजूद हैं, का सौभाग्य है कि एक मंत्री जी को उनके यहां से चुनाव लड़ना है तो वे वहां हवाई जहाज से गये और उसके आगे जहाज नहीं गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—ब्लाक की जीप सहायता में गयी थी।

श्री गौरीशंकर राय—ठीक है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से और इस आदरणीय सदन से कि संकट से तथा आफत से राजनीति बनाने का प्रयास बड़ा घृणित है और यह बन्द होना चाहिये।

कुछ आंकड़े इसमें दिये गये हैं। मैं बहस नहीं करूंगा। बहस करूंगा तो मेरे सामने कोई मेजरमेंट नहीं है कि नाप कर दिखला दूं, लेकिन हमने उन स्थानों को देखा है और घूम कर यह समझा है कि ये आंकड़े निहायत गलत हैं। आंकड़े अन्दाज पर बनाये गये हैं

कि यहां से पानी इधर चला गया और इतनी ज्यादा जमीन डूब गयी होगी और जो खरीफ की बुवाई होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी है जो कि आम तौर पर पिछले साल हुई थी। इस तरह से ये आंकड़े तैयार किये गये हैं।

जो सहायता दी जाती है वह भी कुछ इस प्रकार है। जब बाढ़ आती है तो नाव पर सरकारी अधिकारी जाते हैं तो कुछ दियासलाई, मिट्टी का तेल, नमक, चना वगैरह ले लेते हैं और जब बाढ़ पीड़ित लोग आते हैं तो थोड़ा थोड़ा नमक और चना उनको दे देते हैं और यह सब १,००० या २,००० रुपये में हो जाता है। इसमें नाव का किराया भी हो जाता है। कुछ और तरह के अखराजात भी कवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सहायता से बाढ़ की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

मैंने पिछली बार सुझाव दिया था जो प्रत्येक बाढ़ पीड़ित गांव हैं उसके लिये पहले नाव की व्यवस्था हो ताकि लोग भाग तो सकें। हवाई जहाज से रोटी गिराई तो लखनऊ जैसे किसी स्टेशन पर जहां रील ली जा सके। दूसरी जगहों पर नहीं गिराई जाती। लिहाजा यह प्रदर्शनात्मक सहायता बन्द होनी चाहिये और सहायता का एक सही मापदंड बाढ़ क्षेत्र में होना चाहिये। सरकार को इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिये कि जो बाढ़ की समस्या है और जो संकट है उसका समाधान किस प्रकार से निकल सक।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो स्कूल तथा पाठशालायें हैं वे ढह गई या गिर गईं अथवा बह गईं। मुझे यह कठिनाई है कि मैं गोमती और टोंस की बाढ़ को देखने वालों को समझा नहीं कि किस प्रकार पाठशालायें ढह जाती हैं। उनका पानी आता है और फिर निकल जाता है। लेकिन जब गंगा की बाढ़ आती है तो भवन नष्ट हो जाते हैं और बहुत से स्थानों पर वहां छप्पर व पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है। भवन के लिय जिला परिषद् कहती है कि मैंचिंग ग्रान्ट की आवश्यकता है। अगर १,००० जिला परिषद् दे तो मैंचिंग ग्रान्ट में १,००० हजार रुपया बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग दें, जो गांव वाले दें नहीं सकते। इसलिये सरकार खर्चा करने को तैयार नहीं है।

गांवों को भरवाने की जो बात मन्त्री जी ने कही, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी तरह से कुछ गांव भरवाये जायें और इस प्रकार का प्रयास किया जाय कि जो भविष्य में आने वाली बाढ़ है उसका एक मौलिक इलाज हो। कुछ विशेषज्ञों की एक समिति बनाइये जिसमें यह विचार किया जाय कि आखिर क्यों प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है। सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि जो बेघरबार हो गये हैं उनको शरार्थियों की तरह पुनःस्थापित किया जाय। उनके लिये एक योजना बने और जिस प्रकार शरणार्थियों को सहायता दी जाती है और ३० साल में रुपया वसूल किया जाता है और वैसे ही उनके लिये भी व्यवस्था की जाय ताकि हर साल यह न सुनने को मिले कि इस साल बाढ़ से तीन सौ आदमियों की मृत्यु हो गई और इस साल चार सौ आदमियों की मृत्यु हो गई। हम को शर्म आनी चाहिये, केवल सरकार को ही नहीं बल्कि आज के इस जमाने को शर्म होनी चाहिये कि चार सौ आदमी एक प्रदेश में बाढ़ से मर जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि कहां से कहां मर के चले गये। यह बाढ़ की समस्या लेखपाल की रिपोर्ट सदन में सुनाने से नहीं साल्व होती है बल्कि इसको मौलिक दृष्टि से सोचा जाय और सोच करक इसकी विभीषिका को कम करने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था की जाय जिससे हर साल सरकार को परेशान न होना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी और जब उत्तर देगी तो इस दृष्टि से उत्तर देगी कि यह हमने सोचा है और अगर नहीं सोचा है तो इस पर सोचने के लिये कोई व्यवस्था करेगी।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय मन्त्री जी के स्टेटमेंट को सुन रहा था। मुझे एक सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्होंने कहा कि

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

बाढ़ आती रहेगी और आयेगी। यह एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट उनकी ओर से है। गोमती का ही उदाहरण ले लें। गोमती का साधारणतया नियम यह रहा है कि ५–७ वर्ष का उसका साइकिल होता था, पर अब तो प्रति वर्ष बाढ़ आ रही है। क्या उन्होंने इसकी जांच कराई ? जौनपुर नगर में तो गोमती बीच से बहती है और वहां के लिये उनसे बार-बार कहा गया कि अगर सिटी के अन्दर ड्रेजिंग करवा दी जाय तो जो गोमती का बेड पिछली बाढ़ों के कारण ८ फीट ऊंचा हो गया है वह ठीक हो जायगा और बाढ़ की विभीषिका उतना परेशान नहीं कर कर सकेगी। पिछली बार जब बाढ़ के ऊपर इस सदन में विवाद हो रहा था तो मैंने मन्त्री महोदय से बार-बार कहा था कि अगर जौनपुर सिटी से तीन, चार मील ऊपर से गोमती में ड्रेजिंग करा दी जाय, बालू निकाल कर इम्बेंकमेंट्स बना दिये जायं तो बाढ़ की विभीषिका कम होगी। मुझे अफसोस है कि मन्त्री महोदय आज यहां हैं नहीं लेकिन जैसा उनका हंसमुख स्वभाव है मेरे उस सुझाव को हंसमुख स्वभाव में उड़ा दिया गया और आज हम यह परिणाम देखते हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण उसका बेड ऊंचा होता जाता है और एक समय ऐसा आयेगा कि अगर दो, तीन इंच भी पानी बरसा तो जौनपुर की सड़कों पर पानी बहने लगेगा।

इस साल, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बड़ा गाना गाया कि हमने उनको सहायता दी, यह किया, वह किया, ठीक है, किया है, परन्तु जो खाना उनको दिया गया वह क्लास ४ का जो चावल जौनपुर में दिया गया था अगर मुख्य मन्त्री उस चावल को खाकर और बिना बीमार पड़े स्वस्थ रह जायं तो मैं समझूं, क्योंकि उसके अन्दर भूल, कंकड़ और टूटे हुये चावल मिले हुये थे। जो आटा उनको दिया गया था उसमें कीड़े और घुन पड़े हुए थे। यही नहीं, इन सारी चीजों का प्रचार इलेक्शन को सामने रख कर दलगत दृष्टि से किया गया। और जब भाई गौरीशंकर बोल रहे थे तो मैंने कहा था कि सरकारी जीप पर कांग्रस पार्टी का झंडा लगा कर सामान बांटा जा रहा था। सामान बांटना बुरा नहीं है परन्तु बुरा यह है कि राजकीय साधनों का उपयोग दलगत नीति से किया जाय और यह जौनपुर में खुले तौर से हुआ। यहीं तक नहीं, सूचना विभाग का लाउड स्पीकर लगा कर यह कहा गया कि सरकारी गल्ला ही लेना, दूसरे लोगों का गल्ला न लेना। कांग्रेस वालंटियर्स सरकारी नावों पर बैठ कर काम कर रहे थे और कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का काम हो रहा है। काम करना ठीक है लेकिन उसका दुरुपयोग इलेक्शन की दृष्टि से किया जाय यह लज्जा की बात है।

विद्यार्थियों के लिये केवल १० हजार रुपये बाढ़ के लिये जौनपुर एरिया में रखे गये। ४०० गांव प्रभावित हुये थे और १० हजार रुपये रखे गये जबकि जौनपुर में ५ इन्टरमीडिएट और २ डिग्री कालेजेज हैं और पूरे जिले भर में ३१ कालजज हैं। गोमती और सई दोनों नदियां जिले के बीच से बहती हैं। दोनों में फ्लड हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इनके द्वारा प्रताड़ित ४ सौ गांवों में १०,००० रुपये से क्या सहायता होगी। मैं जौनपुर जिले में जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं उनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। उस क्षेत्र के लड़के जो बाढ़ से प्रभावित हैं फीस की माफी की दरख्वास्त देते ह तो कहा जाता है कि हम तुम्हारा रिकमडेंशन कलक्टर साहब से करेंगे और तब तुम्हारी फीस माफ होगी और रिकमेंडेशन हम करेंगे जब तुम इलेक्शन में हमारी मदद करोगे। सारा काम, सारी सहायता इलेक्शन की दृष्टि में रख कर की जा रही है। हमारे जिले में स्थिति यह है कि जिला परिषद् के एक मास्टर हैं जो ३०२ में मर्डर के केस में कनविक्टेड हैं, लेकिन यह जिला बोर्डों ने नये मास्टरों को तीन तीन महीने के लिये रखा है उनमें इस मास्टर को और ही ग्राम में मास्टर बना कर रखा हुआ है। ऐसा इलेक्शन का भूत इनपर सवार है। यह पक्षपात इलेक्शन की दृष्टि से हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आप एक Blank आर्डर ईशू करें कि बाढ़ क्षेत्र के जितने लड़के हैं चाहे वे जिस स्कूल में पढ़ते हों उनकी फीस माफ होनी चाहिये।

एक दूसरी बात, अभी अगस्त की बाढ़ की चर्चा की गई कि खरीफ फसल नष्ट हो गयी। जो जोती हुई और बोई हुई फसल थी वह तो नष्ट हो ही गई लेकिन पानी से इस बार इतनी सील

हो गई है कि रबी के होने की भी कोई आशा नहीं है । इसके अर्थ स्पष्ट रूप से यह हैं कि उन सारे गांवों के किसान साल भर के लिये बरबाद हुये । इसलिये उस आर्डर के साथ-साथ कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लड़कों को फीस माफ हो लगान की माफी का होना भी आवश्यक है। मैं यह देखता हूं कि लैंड रेवेन्यू की माफी के सम्बन्ध में इस वर्णन में एक अक्षर भी नहीं आया है कि जिनके खेत साल भर के लिये बरबाद हो चुके हैं उनसे लगान नहीं वसूल किया जायगा। आप यह कहते हैं कि आपका यह आर्डर है कि इतनी छूट दो, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बहुत से गांवों में कृषकों को जानता हूं जहां गांवों में पर्चियां नहीं पहुंची हैं। जो कमजोर हैं उनसे लगान पकड़ कर वसूल किया जाता है लेकिन जो होशियार हैं जो राजनीति में चालचूल करते हैं उनको विशेष रियायत दी जाती है और उनका लगान माफ किया जाता है। मेरे क्षेत्र में कई गांवों के ऐसे उदाहरण हैं। इसलिये मेरी मांग है कि ऐसा स्पष्ट नियम बनावें कि जिस खेती पर जितना लगान माफ करें उसकी पर्ची उस किसान को मिलनी चाहिये। यह कार्य चाहे प्रधान की एजेंसी के द्वारा हो या और किसी जरिये से लेकिन यह स्पष्ट आदेश इस सम्बन्ध में होने चाहिये। मेरा पिछली बार का अनुभव है कि यहां तो कहा गया कि किसानों के लगान में छूट दी गई है लेकिन वहां स्थान पर उनसे वसूल कर लिया जाता है और बेबाक दिखाया जाता है। यहां तक गोल मामला है। तो मैं यह चाहता हूं कि लगान में जितनी छूट हो उसकी पर्ची हर कृषक को मिलनी चाहिये और उससे वस्तखत उस पर्ची के मिलने के लिये लेने चाहिये तब जाकर दूसरा काम उस सम्बन्ध में होना चाहिये।

एक तीसरी बात और है, मनुष्य तो अपना जीवन निर्वाह कर लेता है लेकिन पशु कहा जावें। जोन्हरी और टेंटा देते हैं, उसकी फसल तो नष्ट हो गई लकिन गेहूं और दूसरी फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं। गोमती की तराई में भी फसल नष्ट हो गई। इसका परिणाम यह है कि आज उनके पास पशुओं के लिये चारा नहीं है। चारे का क्या प्रबन्ध आपने किया है, इस पूरे विवरण में उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर एक किसान का बैल मर जाता है तो वह बेचारा दो सौ और चार सौ का बैल कहां से लावेगा, जब कि उसकी खेती भी सम्पूर्ण नष्ट हो चुकी है? आप कहते हैं कि हम उसको तकावी देते हैं। तकावी देकर आप तो उसको और भी कर्जमन्द बना रहे हैं। किसी को और कर्जमन्द करना यह क्या सहायता है? इसलिये आवश्यकता है कि जो रिवराइन तथा flood affected इलाके हैं वहां के लोगों के गल्ले की आवश्यकता के साथ-साथ पशुओं के लिये फाडर का भी प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। मुझे दुख है कि हमारे वित्त मन्त्री जी यहां नहीं हैं। उन्होंने वहां किसी गांव में जाकर कहा कि तुमको २ रुपये मन की घास तो मिल सकती है। लेकिन उस घास को तुम्हारा पशु खायेगा नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस फाडर से लाभ क्या होगा। पशुओं के लिये वास्तव में उपयोगी फाडर मिलना चाहिये। उस दृष्टि से मुझे दुख है कि कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

अब विचार करने की एक और बात यह है कि यह जो गांव बसाये गये हैं जिनकी खेती दरिया के किनारे हैं उनके फीस की समस्या है, उनके फसल नष्ट होने की समस्या है और उनके पशुओं के लिये उपयोगी चारे की समस्या है। लेकिन यह बाढ़ बार-बार आती है और उससे लोग त्रस्त होते हैं। उनके रहायश के लिये कोई परमानेंट प्रबन्ध नहीं किया गया है और उसके लिये कोई वर्णन इस विवरण में नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि फ्लड इंश्योरेंस और क्राप इंश्योरेंस नाम की योजना आपको अविलम्ब चलानी चाहिये। जैसे लोगों के जीवन के लिये उनकी रहायश के लिये आप जीवन का इंश्योरेंस करते हैं तो किसान के लिये तो उसकी खेती ही उसका जीवन है, उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं करते हैं। यह सही है कि आप पूरा इस सम्बन्ध में इंश्योरेंस नहीं कर पायेंगे लेकिन जो कुछ हो सकता है इस दिशा में वह अवश्य होना चाहिये जिससे कृषकों को कुछ राहत मिले। जो बाढ़ के कारण खेती नष्ट हुई है और उसके कारण जो उनकी आर्थिक स्थिति नष्ट हुई है उनको आप कर्जा देकर नहीं ठीक कर सकते

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

हैं। अगर इंश्योरेंस होता तो अवश्य उनकी सहायती होती, उनका जीवन चलता और उनके ऊपर कर्जा नहीं बढ़ता।

श्रीमन् आज हमारे देश का सब से बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो वह कर्जे का विकास हुआ है। मैं यह अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस बात को कहती है। इसलिये मरी मन्त्री महोदय से यही प्रार्थना है कि इस तरह से कर्जा न देकर आप क्रोप इश्योरेंस को अपने प्रदेश में लाइये जिससे बाढ़ आने पर हमारे यहां के गरीब किसानों को कम्पेंसेशन मिल सके।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक और सुझाव माननीय मन्त्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां जौनपुर शहर म एक बहुत पुराना शाही पुल है जो ५०० सालों में बाढ़ का मुकाबला करता चला आ रहा है। हमारे शहर जौनपुर म गोमती बीच से बहती है और इस शहर के दोनों हिस्सों के आवागमन का यही एक साधन है। पारसाल, श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था और हमारे माननीय मन्त्री जी ने इसी सदन में खड़े होकर कहा था कि वह पुल बहुत मजबूत है और वह टूटेगा नहीं; इसके अलावा हमारे पास दूसरा पुल बनाने के लिये पैसा नहीं है। लेकिन इस साल की बाढ़ में इस पुल में के दस तखा के दूसरे arch के पत्थर निकल कर बह गये हैं वहां के इन्जीनियरों ने हवी ट्रफिक के लिये मना कर दिया है। इससे मालूम होता है कि यह पुल बहुत कमजोर हो गया है। इसलिय अगर अगल साल बाढ़ आई और वह पुल टूट गया तो क्या होगा? इस शहर के दोनों हिस्सों में आवागमन का साधन ही समाप्त हो जायगा। इस दृष्टि से इस पुल की मरम्मत होनी चाहिय। इस पुल की अवस्था को दखते हुये और दोनों हिस्सों में आवागमन का साधन बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुये नये पुल बनाये जाने की एक योजना बननी चाहिये।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त जौनपुर शहर के निकट में एक नाला गठिया है और जहां यह गोमती नदी में मिलता है उस स्थान पर मीलों में पानी भरा रहता है और गांवों में आने-जाने का रास्ता बिलकुल रुक जाता है। इसलिये इसके ऊपर भी एक पुल बनना चाहिये और सड़क बननी चाहिये। यह कहना ठीक नहीं है कि टेस्ट वर्क जारी करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? कोई सड़क बना देंगे या जमीन पाटेंगे। लेकिन यह जो दोनों योजनायें हैं इनसे बाढ़ के समय आवागमन का साधन बना रह सकता है। और आर्थिक विकास भी हो सकता है। इसीलिये सरकार को इन दोनों योजनाओं को लेकर कदम उठाना चाहिये। जिन योजनाओं का मैंने अपन भाषण में जिक्र किया है उनके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी उत्तर देने की कृपा करें कि वह इनको स्वीकार करते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि कोई बुद्धिमान आदमी इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि उन दोनों पुलों क निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्रीमन्, जहां तक मकानों की बात है, मकान गिरे हैं। यह सही बात है कि आपने थोड़ी बहुत मदद भी दी है। लेकिन अगर अगले साल बाढ़ आये और उनके मकान फिर गिर गये तो यह कहां तक चलेगा? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि दरिया क किनार जो गांव हैं उन गांवों को ऊंचा किया जाय। अगर उनको ऊंचा नहीं किया जा सकता है तो उन गांवों की आबादी को मुफ्त जमीन देकर, मकान बनवाकर बसाने की योजना होनी चाहिये।

श्रीमन्, जिस प्रकार से हमारी सरकार बाढ़ के समय गल्ला फ्री देती है उसी तरह से फाडर भी फ्री मिलना चाहिये। जहां गल्ले के स्टाक हों वहां पर फाडर के भी स्टाक होने चाहिये। परमानेंट रिलीफ की दृष्टि से इन दोनों पुलों की योजनाओं को स्वीकार किया जाय। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इधर ध्यान दें। क्योंकि फ्लड रिलीफ मानवता का काम है, इसमें दलगत चीज नहीं आनी चाहिये। जिन सरकारी अधिकारियों

ने मानवता को छोड़ कर राजनीति का खेल खेला है उनके लिये उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिये और आइन्दा इस प्रकार के खेल नहीं होने दिये जायं, इसको रोका जाय और मानवता के नाते मनुष्यों की सहायता होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर ध्यान देकर उनको कार्यान्वित करने की कृपा करें ।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज बाढ़ग्रस्त और बाढ़ से पीड़ित लोगों की अवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है । मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां पर सारे उत्तर प्रदेश से गंगा और घाघरा नदियां पानी बहाकर ले जाती हैं और वहीं अपना संगम करके अपना भीषण क्रीड़ास्थल बनाती हैं । दोनों नदियां जिले को केवल आप्लावित ही नहीं करतीं बल्कि उन दोनों नदियों का एक और भी भयंकर स्वरूप बलिया जिले में है । यह दोनों नदियां किनारों को काटती हुई, गांवों को बरबाद करती हुई मीलों इधर-उधर हुआ करती हैं । इस समय की परिस्थिति यह है कि गंगा नदी जहां पर आज से तीस-चालीस साल पहले बहा करती थी उस से करीब दो-तीन मील उत्तर की तरफ बढ़ गई है और सारा क्षेत्र जो आपके जिले का था, कट कर बालू और रेत हो कर बिहार में चला गया ।

इसी तरीके से घाघरा नदी का भी बड़ा ही भीषण कटान देखने को मिलता है । इससे जो बरबादी हुई पिछले कई वर्षों से वैसी बरबादी नहीं हुई । गंगा नदी एक बार बढ़ आई, गांव के गांव बरबाद हो गये । लोग सोच ही रहे थे कि अब बाढ़ घटेगी, तब तक न जाने कितने घर बरबाद हो गये, कितने आदमी बह गये, और कुछ आदमी मरे भी । अपने राजनीतिक जीवन में आज तक मैं बराबर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करता रहा हूं, लेकिन एक भी साल ऐसा स्मरण नहीं है जब कि कोई आदमी बह कर मर सका हो । हमेशा बचाया गया, लेकिन इस वर्ष दो-तीन आदमी के बह कर मरने की खबरें मिलीं । दूसरे कोई भी ऐसा वर्ष नहीं रहा जब कि सरकारी साधन सहायता करने के लिये गैर सरकारी लोगों को भी उपलब्ध न हों, लेकिन इस साल एक अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा । दो तीन दिनों तक मैं इंतजार करता रहा । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से टेलीफोन से, या दूसरे तरीकों से सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा की और मैंने आग्रह किया कि श्रीमन्, अगर आपके सेवा और सहायता कार्य में इस तुच्छ सेवक के लिये कुछ स्थान मिल सके तो इससे बड़ी प्रसन्नता होगी । क्या मैं आशा करूं कि आप मुझ से भी इस बाढ़ में सहायता करने में कुछ सेवा ले सकेंगे ? उत्तर हुआ कि मोटर खराब है, मोटर बोट नहीं जा सकती । जमीन से चलने वाला मोटर भी नहीं जा सकता । हमने कहा कि कोई भी साधन जिससे सब लोग सहायता करते हैं वही साधन अगर उपलब्ध हो जाय तो बाढ़ से त्रस्त और परेशान लोगों के दर्शन हो जाते और उनको देख कर हम लोग सही आयडिया कर पाते कि उनकी क्या परिस्थिति है । किन्तु यह भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका । बहुत कोशिश की गई । उसकी शिकायत मुख्य मंत्री के पास हमारे जिले के एक एम० एल० सी० ने लिख कर भेजी । उस पर क्या कार्यवाही की गई मुझे नहीं पता ।

मैं रिक्शे से सूखे सूखे में गया और जहां पर बांध के किनारे लोग पड़े थे उनसे मिलता फिरा और उनकी हालत को सुनता फिरा कि उनकी क्या सहायता की जा रही है । इसके विषय में हर जगह असंतोष दिखाई दिया । जिस समय मैं उनकी सहायता के लिये साधन उपलब्ध करने की बातें कर रहा था उस समय उसी समय, दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिंचाई विभाग के अभियन्ता तथा तहसीलदार वगैरह दो तीन गाड़ियां लेकर गये । रास्ते में लोगों ने मुझसे कहा कि यह कलेक्टर आ रहे हैं, आप उनको घेरिये, उनसे बात कीजिये । कलेक्टर को मैंने रोका । उनसे मैंने कहा कि इन गांवों के लोगों की यह यह शिकायतें हैं, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आप करें तो बड़ी कृपा होगी । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आप तहसीलदार से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

बात कीजिये, वह पीछे आ रहे हैं । तहसीलदार साहब से मैंने बातें की । तहसीलदार साहब ने कहा कि यहां के इन्चार्ज बी० डी० ओ० हैं आप उनसे बातें कीजिये । दिन भर तक बी० डी० ओ० की तलाश में रहा । लोगों से ज्ञात हुआ कि वहां पर कोई बी० डी० ओ० इन्चार्ज रहत नहीं हैं और न वहां के लोग उन्हें पहचानते ही हैं जिनके जिम्मे कि वहां के लोगों को दुख में सहायता पहुंचाने का उत्तरदायित्व सौंप रखा गया है । अन्ततः वापस आना पड़ा और इसकी शिकायत मजबूरन करनी पड़ी । फिर भी उस पर क्या हुआ मुझे ज्ञात नहीं । लेकिन यह जितनी लापरवाही और ढिलाई और गड़बड़ी सहायता कार्य में इस साल रही है शायद हमारे जिले में पहले कभी भी ऐसी बात नहीं रही ।

क्या हुआ, किसको कौन सी सहायता दी गई इसकी सूचना किसी भी गैर सरकारी आदमी को नहीं है और सरकार की ओर से, व्यवस्था की गई है जो पता नहीं उसमें गैर सरकारी लोगों के लिये कहीं पर स्थान रखा गया है या नहीं कि किसी गरीब और पीड़ित को अगर वह देखें और उसे कुछ सहायता करना चाहे तो वह भी सहायता करा सकें। यह सब कुछ तहसीलदार, लेखपाल, बी० डी० ओ० और पंचायत या रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों के ऊपर छोड़ रखा गया है जिसका मुझे खेद है बड़ा ही कटु तजुर्बा गांव वालों को है । मरते हुये लोगों को भी सहायता पहुंचाने में वहां लोग अपनी नीति से ही काम लेते हैं और अपनी तिकड़म तथा गड़बड़ करने की प्रवृत्ति को वहां भी वह नहीं रोक पाते । इस वजह से मैंने चाहा था कि जो भी सहायता जिन लोगों को जिन गांवों में दी गई है उसकी इत्तिला कम से कम हम लोगों को मिल जाय जिससे कि जा जा कर हम लोग पूछ तो सकें कि आपको क्या सहायता मिली है, सरकारी सहायता सचमुच में उन लोगों को पहुंच भी सकी या वह सहायता बीच में ही कहीं गायब हो गई है । लेकिन यह कुछ भी विवरण हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका । मैं सरकार से चाहूंगा कि कोई आदेश इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के पास रहना चाहिये जिससे कि जो लोग काम करने वाले हैं या जो भी जनता है, वह जो कुछ भी जानना चाहें कि क्या सहायता किसको दी गई, वह उसको तुरन्त मालूम हो सके । अखबार में वह शाया हो सके, लोकल अखबार हर जगह होते हैं और अगर यह कुछ भी सम्भव न हो तो कम से कम जिन लोगों को वहां की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर के सरकार के पास भेजा है कम से कम उनको तो यह जानने का अवसर देना ही चाहिये कि वह जान सके कि किसको क्या सहायता पहुंचाई गई है और किसकी क्या जरूरियात हैं यह भी उनके पास तक वह पहुंचा सकें और उस पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकें । कहीं ऐसा न हो कि एक एम० एल० ए० ने दरख्वास्त दी कि अमुक आदमी ने यह गड़बड़ किया है तो उस दरख्वास्त को गवर्नमेन्ट ने कलेक्टर को भेज दिया । कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर को भेज दिया, डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार को भेजा और तहसीलदार ने कानूनगो को भेज दिया । कानूनगो के बाद वह दरख्वास्त लेखपाल के पास पहुंची और लेखपाल ने उस पर यह लिख दिया कि एम० एल० ए० साहबन जो शिकायत की है वह बिलकुल गलत है । तो एम० एल० ए० साहब झूठे हो गये और लेखपाल सच्चा हो गया । इस तरह की अगर शासन व्यवस्था रही तो यह शासन के लिये या जनता के लिये किसी के लिये भी हितकर नहीं हो सकती ।

तो मैं प्रार्थना करूंगा माननीय माल मंत्री महोदय से जो कि बहुत ही बुजुर्ग हैं और पुराने भी हैं, वह इस पर जरा गौर से ध्यान दें और साथ ही साथ एक निवेदन मैं और बराबर करता आया हूं और आज भी मैं उसको करने से चूकना नहीं चाहता कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करने यहां आया था,एक हौसला लेकर आया था,एक इरादा लेकर आया था और वह इरादा यह था कि जो लोग वहां प्रकृति के प्रकोप से शरणार्थी बना दिये जाते हैं उन लोगों के लिये सरकार कोई ऐसा कदम उठाये जिससे कि उनको कुछ सहारा मिल सके । वहां पर ऐसे लोग हैं कि जिनके पास न जगह है, न जमीन, न कोई रहने का साधन है । आप पंजाब से आये हुये शरणार्थियों के लिये, बंगाल से आये हुये शरणार्थियों के लिये तरह-तरह की सुविधायें प्रदान करते हैं, आप हम राजनीतिक पीड़ितों के लिये हर तरह की सुविधायें करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कौन सा अपराध

किया है जो कि गंगा और घाघरा की कटान के कारण साधन और गृह विहीन होकर भिखमंगे की अवस्था में दर-दर मारे-मारे फिरते हैं । हम अपनी आंखों से उनको रोते, तड़पते और दर-दर ठोकर खाते हुये देखते हैं और आपके पास जब सन्देश पहुंचाते हैं तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, आपको समय नहीं मिलता कि आप सोचने की कोशिश करें कि इन लोगों की अवस्था कैसे सुधारी जा सकती है । मैं पूछना चाहता हूं और यह सरकार जवाब दे कि यह समस्या कितनी बार आपके सामने पेश की गई क्या कभी इस सरकार ने एक मिनट भी इस समस्या के ऊपर शान्ति के साथ विचार करने की कोशिश की कि इन साधनहीन लोगों के लिये क्या उपाय किये जायं ? क्या कभी यह सोचा कि जिन जंगलों को काटकर आप तरह-तरह के लोगों को आबाद कर रहे हैं उनका जीवन यापन हो? आपने इन प्रकृति के प्रकोप से शिकार लोगों के लिये, शरणार्थियों के लिये भूमि देने की बात सोची या ऐसे सुनियोजित गांवों में उनको बसाने की कोशिश की जहां पर बाढ़ उनको पीड़ित न कर सके ? आप उन कार्यों को कर सकते थे और ऐसी योजनायें भी बना सकते थे, लेकिन हमारा खयाल है कि आपने उसको उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व देना चाहिये था । आज मैं पुनः आपसे निवदन करना चाहता हूं, और सम्भवतः यह मेरा आखिरी निवेदन है, कि आप कृपा कर उन गरीबों का खयाल करके उनके लिये कोई न कोई रास्ता निकालें और उनको सुविधा दें, तभी आप उनके पास वोट मांगने के लिये जा सकते हैं ।

श्री मदन पांडेय—अधिष्ठाता महोदय, हमारे सौभाग्य से मंत्री महोदय इस समय सदन में मौजूद हैं । उन्होंने हम लोगों को दो परचे वितरित किये हैं । इनको देखने से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कितनी दूर तक उनके दिल में गरीबों के लिये दर्द है । बड़ी खूबसूरती के साथ इन आंकड़ों के जंजाल में हम लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि कितनी अधिक सहायता की गई है । इसमें अलग से बाढ़ पीड़ितों की संख्या नहीं दी गई है जिससे औसत निकाला जा सके । कुल जो गांव हैं वह २६,३९८ हैं और उनको कुल जो सहायता दी गई है वह ६६,५२,००० रुपये तकावी की है । मकानों के निर्माण की भी सहायता जो अहेतुक सहायता के लिये अनुदान है वह २२,८८,५०० रुपया है । इसमें मकानों का निर्माण भी शामिल है । मैं कुल आंकड़ों के जंजाल में न पड़ कर माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा दर्द उनके दिल में है, क्या उसी का सबूत यह २२ लाख और ३ लाख के आंकड़े हैं ? इनका औसत प्रति मकान क्या आता है ? हर मकान के लिये ७ रुपये से कुछ ऊपर दिया गया है, यदि यह कुल रकम इसी मद में हो, लेकिन जैसा कि ये आंकड़े बतला रहे हैं ऐसा नहीं है । क्या ७ रुपये में किसी मकान का कोई कोना भी बन सकता है ? अगर कुछ रकम इसी मद में मान ली जाय तो अगर वह चीज नहीं हो सकती है तो मकान के नाम पर दी जाने वाली सहायता का अगर दुरुपयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार के ऊपर है ।

माननीय मंत्री जी से जानकारी के लिये मुझे एक बात और निवेदन करना है । अन्य जिलों के बारे में तो और लोग बतलायेंगे । लेकिन जो मकानों की स्थिति है उसके सम्बन्ध में एक बाढ़ कमेटी गोरखपुर के सामने आई थी । उसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । वहां पर हिसाब लगाया गया । जो इस वक्त नियम बनाये गये हैं मकानों की तकावी के लिये, उसके मुताबिक जो हमारे यहां छोटी होल्डिंग है उसमें लगभग १५ रुपया से अधिक एक आदमी के लिये मकान की तकावी का नहीं आता है । जो मुफ्त सहायता का अनुमान लगाया गया है सरकार की तरफ से उसके मुताबिक एक झोंपड़ी के बनाने में कम से कम ४८ रुपये की लकड़ी लगती है जो मुफ्त दी जानी चाहिये, लेकिन उसी काम के लिये १५ रुपये की तकावी देना यह इसी सरकार की बुद्धि की बलिहारी है । मंत्री जी खुद अपने दिमाग में जो सोच सकते हैं उसे हमको भी तो बतलाने की कृपा करें ।

दूसरी बात यहां पर सरकारी अफसरों की तारीख के लिये कही गई जो राजनीतिक है । उन्होंने बाढ़ कमेटी में भी बोलते हुये सरकारी अफसरों की तारीफ की बात का जिक्र किया । यह बिलकुल सही है कि अगर कोई सरकारी अफसर तारीफ का काम करता है तो उसकी तारीफ

[श्री मदन पाण्डेय]

जरूर की जानी चाहिये और हम भी करते हैं। विरोधी लोग भी आंखें बन्द करके नहीं देखते हैं। अच्छे काम की वह भी तारीफ करेंगे। लेकिन जिन जगहों पर बड़ी तादाद में भूलें हुई हैं और भूलें ही नहीं बल्कि जानबूझ कर गड़बड़ी हुई है उनकी तरफ ध्यान दिलाने पर यदि मंत्री जी ध्यान न दें तो फिर कौन सी बात कहें जिससे उनका ध्यान उसकी तरफ जाय? बस्ती जिले में भीषण बाढ़ एक महीने तक अपना भयानक रूप दिखाती रही और लोगों को एक महीने तक मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री शिब्बनलाल सक्सेना और श्री मदन पांडेय जब उन गांवों में गये तो ज्ञात हुआ कि सरकार का लेखपाल भी नहीं पहुंच सका था। बड़े अधिकारी तो क्या वहां पहुंचते, छोटे कर्मचारी भी नहीं पहुंच पाये।

मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि देवरिया जिले की हाटा तहसील में गोरखपुर से सटा जो पच्छिम का हिस्सा है वहां पर कुछ लोगों को तकावी के नाम पर उनको घुघली में बुलाया गया और दिन भर इंतजार करने के बाद जब उनको कुछ नहीं मिला तो वे नाव द्वारा वापस आने लगे। वापस लौटते समय वह नाव उलट गई और ६ आदमी उसमें डूब कर मर गये। यह घटना सरकार की आंख खोलने के लिये काफी होनी चाहिये और उसे समझना चाहिये कि यह सहायता किस प्रकार की जा रही है, किन्हें दी जा रही है और उसके लिये किसकी तारीफ होनी चाहिये और किसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाढ़ सहायता का एलेक्शन के लिये दुरुपयोग हो रहा है। यह मुनासिब नहीं है। एक और इल्जाम लगाना चाहता हूं। जिन जगहों से विरोधी दल के सदस्य आते हैं वहां तकावी का वितरण इस प्रकार किया गया है कि मुकाबले के नये कांग्रेसी उम्मीदवार घोषित हो जाने के बाद जब क्षेत्र में आयेंगे तब तकावी बांटी जाय, ताकि जो वहां के सदस्य हैं वह यह न कह सकें कि तकावी बांटने में क्या गड़बड़ी हो रही है और सत्ताधारी दल के लोग श्रेय ले सकें। बाढ़ सहायता व तकावी का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको बंद किया जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बाढ़ की तात्कालिक सहायता मात्र से जो मंत्री संबंधित हैं उन पर आरोपों की लम्बी बौछार कर के मैं क्या करूं। जो सही मानों में बाढ़ लाने वाले मंत्री हैं सिंचाई मंत्री वे यहां मौजूद नहीं हैं और न इस विषय पर बोलते ही हैं। इस समय उनको यहां होना चाहिये। पिछली मर्तबा एक स्वर से सब ने कहा था कि गलत ढंग से बांध बनाये गये हैं। जहां बांध बनाये जाने चाहिये थे वहां नहीं बनाये गये हैं। जो रेलवे लाइन ६० साल पहले बनाई गई थी उस पर का पुल आज की बाढ़ के लिये नाकाफी है नदी में सिल्ट हो जाने की वजह से। उसे चौड़ा किया जाय इसकी जरूरत है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पानी के निकास स्थानों पर जरूरत है सर्वे कराने की और उन्हें चौड़ा करने की। मथुरा के गोवर्धन पर्वत जैसी जगहें बाढ़ से डूब रही हैं, लेकिन उस के लिये उन योजनाओं में कुछ नहीं किया गया है। मंत्री जी ने कहा है कि हम बाढ़ नहीं रोक सकते, लेकिन दुनिया में इसकी मिसालें हैं। आज वह उस दुनिया में रह रहे हैं जिसमें लोग चांद और सितारों तक जाने की सोच रहे हैं। आज अमरीका में मिसीसिपी और मिसौरी एक वरदान के रूप में हैं जो किसी जमाने में सारे अमरीका को बर्बाद किया करती थीं। चीन ने हांगहो को टेम कर लिया है और अगर इस जमाने में यह कहा जाता है कि हम बाढ़ रोकने का कोई इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। उसे इसी बात पर इस्तीफा दे देना चाहिये।

मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने राप्ती, रोहिन, बड़ी गंडक, आदि पता नहीं किन-किन नदियों का नाम लिया है। इन सब का पूर्वी जिलों से सम्बन्ध है। मैं खुद वहां रहता हूं जहां से ये तीनों नदियां गुजरती हैं। बड़ी गंडक में २० लाख क्यूजेक पानी गुजरता है और परसौनी गांव के बह जाने से वह इलाका बड़े संकट में है। सारा गोरखपुर डूब रहा है, सारा देवरिया जिला बह रहा है और अगर अगले मानसून के पहले पहले त्रिवेणी (नेपाल) बांध बना कर उस नदी को रास्ता बदलने से रोका न गया तो वहां के ५० लाख आदमी बह जायेंगे। इसका कोई जिक्र वक्तव्य में नहीं किया गया है। हम ऐसी सरकार को यहां

रहने की इजाजत नहीं दे सकते जो करोड़ों आदमियों की जान से खेले । अगले मानसून के पहले इस बांध को बन जाना चाहिये अन्यथा हमें अधिकार होगा कि हम इस सरकार के खिलाफ बगावत करें । हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते ।

बरहज बाजार, जिसकी ५०,००० की आबादी थी, एक बड़ा कस्बा था, उसे बचाने का आज कोई इंतजाम नहीं है । गोला और बड़हलगंज जैसे कस्बे उजड़ रहे हैं । राप्ती और रोहिन को टेम करने का कोई इंतजाम नहीं है । जलकुन्डी योजना खटाई में पड़ी है । घाघरा-राप्ती नदी घाटी योजना मालूम नहीं कहां पड़ी है । शायद उसके पूरा होते-होते यह नदियां हमें ले डूबेंगी । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसी बड़ी भारी नदी घाटी योजना बनाइये जिससे इन नदियों को नियंत्रित करके बाढ़ को रोका जा सके, उससे बिजली भी पैदा की जा सके तथा और भी जो हमारी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)––अधिष्ठाता महोदय, जो सामयिक सहायता सरकार ने इस संकटकालीन समय में दी है उसके लिये वह अवश्य बधाई की पात्र है । अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि बाढ़ का प्रकोप हर साल बढ़ता ही जा रहा है । यहां पर केवल बाढ़ की बात कह कर ही हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता, या समस्या का हल नहीं हो जाता, बल्कि हमें तो उसके लिये कोई न कोई हल निकालने की आवश्यकता है । वह चाहे बड़ी स्कीम हो, या छोटी हो, हमें एक ऐसी स्कीम को बनाना ही पड़ेगा जिसक द्वारा हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकें । मालूम हुआ था कि इस कार्य के लिये पहले एक जलकुण्डी योजना चल रही थी । वह योजना अब किस स्टेज पर है यह पता नहीं, शायद वह योजना समाप्त कर दी गई है । अगर ऐसा है तो सरकार को कोई दूसरी आल्टरनेटिव योजना बनानी चाहिये जिससे राप्ती के प्रकोप को रोका जा सके । जो क्षति इसके कारण पहुंची है वह तो आशा से परे है । मुझे स्वयं, जहां से यह नदी निकलती है, वहां जाने का अवसर मिला और वहां मैंने देखा कि उस नदी का जो बेड है वह बहुत ऊंचा हो गया है । इस कारण सैलाब का पानी काफी फैलता चलता है और उसकी रवानगी भी बहुत तेज हो गई है । उसके कारण सैकड़ों और हजारों गांव ही कट कर नहीं बह गये हैं बल्कि लाखों एकड़ भूमि भी वहां पर रेत आ जाने के कारण बरबाद हो गई है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस राप्ती नदी को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाय । इसके अलावा इस दरिया के दोनों किनारों पर जो गांव हैं वे भी बहुत नीचे हैं । उन गांव को भी ऊंचा किया जाय । जो गांव दरिया के किनारे पर हैं और जो शीघ्र ही कटने वाले हैं उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह पर बसाया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह इलाका काफी तादाद में राप्ती और घाघरा नदी के कारण बरबाद हो गया है और शायद मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि इस साल बाढ़ उम्मीद से पहले आ गई जिसके कारण अधिकारीगण पहले से तैयार न हो पाये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों का ध्यान इस बाढ़ की ओर अधिक सतर्क नहीं रहा और वे कुछ उदासीन से रहे क्योंकि द्वाबा क्षेत्र में जहां कि ९ मील तक पानी ही पानी था आज तक उस इलाके में तकावी नहीं पहुंच पाई है और सहायता भी पर्याप्त नहीं पहुंचाई गई है । चाहिये तो यह था कि बाढ़ आने से पहले ही वहां पर एक बाढ़ सहायता केन्द्र स्थापित होता, मगर वह नहीं हुआ । उस ओर शायद ध्यान भी नहीं गया । आज जो दशा वहां के निवासियों की है वह बड़ी शोचनीय है और जो गांव दरिया के किनारे खतरे की जगह हैं उनको फौरन वहां से हटाने की जरूरत है । उन गांव के निवासियों को वहां से हटाकर ऊंचे स्थान पर बसाना चाहिये ।

और साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस दोआबा क्षेत्र के जो रहने वाले हैं वही बतला सकते हैं कि वहां की हालत कितनी खराब है । वह बहुत ज्यादा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

खराब है और काफी गांव कट गये हैं । कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ७०-७०, ८०-८० बीघा जमीन दरिया के नीचे आ गयी है, खाने का ठिकाना नहीं रहा । उनके लिए जरूरी है कि उनको डिस्ट्रेस तकावी और बीज की तकावी भी दी जाय ताकि कम से कम अगली रबी की फसल में वह अपनी जीविका पा सकें । उनके मकान बिलकुल तहस-नहस हो गय ह, रहने का ठिकाना नहीं है। इसलिये उनको बसाने की व्यवस्था की जाय । उनकी हालत आज शरणार्थियों जैसी हो गयी है । दोआबा क्षेत्र में शायद ही एक आध स्कूल हो जो बच गया हो वरना आज लड़के ऊंची जगहों पर पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं । मुझे मालूम हुआ है कि जिला परिषद् ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय उस ओर ध्यान दे कर जिला परिषद् को पर्याप्त सहायता देंगे जिससे उन स्कूलों का पुनर्निर्माण हो सके ।

अब तो जाड़े का मौसम भी आ गया है । वहां की दशा यह है कि सारा मकान का सामान, ओढ़ने-बिछाने का भी नहीं रहा । एक उनके लिए यह व्यवस्था हो सकती है कि जंगल नजदीक है । भिनगा और सोलवा के जंगल के समीप रहने वालों को मुफ्त लकड़ी की व्यवस्था की जा सकती है और जंगल अधिकारियों को आदेश दिये जा सकते हैं कि मवेशियों को जहां चारा उपलब्ध न हो वहां मवेशियों को जंगल में चराया जा सकता है ।

गांव को ऊंचा करने के संबंध में पहले जरूर कठिनाई हुई थी, लेकिन आज उसकी बड़ी मांग है और हर एक क्षेत्र के लोग गांव को मिट्टी खोद कर और लाकर ऊंचा करने के लिये तैयार हैं और जो सरकार की योजना है सिंचाई विभाग की वह चालू कर दी जाय । साथ ही मजदूर पेशा लोगों को अपनी दैनिक जीविका प्राप्त कराने के लिये टेस्ट वर्क्स भी खोलने के आदेश जारी कर दिये जायं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस दोआबा क्षेत्र को समुचित सहायता देने के लिये आकर्षित करता हूं ।

*राजावीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कृपा करके आज बाढ़, वर्षा और नदियों से जो क्षति हमारे सूबे में हुई है, उसमें मुझे उस बहस में बोलने का अवसर दिया कि मैं भी अपने विचार सदन के सामने रख सकूं । श्रीमन्, बुन्देलखंड के चार जिलों में से हमारे जालौन जिले की जो सरकार ने हमें सूची दी है हमारा जालौन जिला उन जिलों में से है जो सूबे में अन्न पैदा करने में सबसे आगे रहा है । जालौन में १,०८,६५३ एकड़ जमीन में पानी भर गया जिसका २२० गावों पर असर पड़ा । करीब ६२ पशु मरे और एक दो आदमी मरे । कानपुर में भी करीब-करीब इतना ही नुकसान हुआ है । हमरे यहां जो सहायता दी गई है वह १२ हजार तो मकानों के लिये और ३६ हजार तकावी के लिये । हमारे यहां खरीफ की फसल जो कि खाने के लिये और फाडर के लिये होती है, जमुना नदी से पूरी नष्ट हो गयी । इसके अलावा ३० अक्तूबर को वहां पर इतने जोर से बारिश और ओले पड़े कि जो फसल खड़ी थी वह भी नष्ट हो गई । रबी की फसल जो बोई गयी थी वह भी नष्ट हो गई और अब बोने के लिये समय बहुत कम है । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक तो वह तकावी बढ़ाये और दूसरे यह कि बीज गोदामों से बीज देने में जो एक कंडीशन यह लगी रहती है कि एक बोरा बीज पर एक बोरी खाद ले, वह कंडीशन हटाई जाय। खाद की जरूरत तो होती है लेकिन वह कहां से ले । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे आदेश दे कि जिन जिलों में इस तरह का नुक्सान हुआ है वहां पर इस कन्डीशन को हटाकर बीज दिया जाय और जो मेम्बर नहीं हैं उनको भी बीज देने का प्रबन्ध किया जाय । मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर उनको इस तरह बीज देने का प्रबन्ध नहीं किया गया तो हजारों एकड़ जमीन बिना बोई रह जायगी जिससे अन्नोत्पादन घटेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षिण नहीं किया ।

दूसरी बात यह कि रेवेन्यू में जो यह कानून बना हुआ है कि जब तक ८ आना नुकसान न हो तब तक रिपोर्ट नहीं किया जाता माफी के लिये, इस सिलसिले में भी मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां एक फसल तो पूरी नष्ट हो गई और दूसरी फसल का बीज नष्ट हो गया, आगे के लिये फाडर भी नहीं है । ऐसी हालत में वहां के लिय यह आठ आने का नियम रखना ठीक नहीं है। इस नियम को भी वहां से हटाया जाय। हमारे जिले के अधिकारियों ने रिपोर्ट वगैरह सरकार के पास भेज दी है, अब यहां से जल्द से जल्द मंत्री जी—जैसा कि उन्होंने वायदा भी किया है कि जितना रुपया मांगा जायगा वह देगें —तकावी वगैरह बढ़ाकर दें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी हमारे जिले की ओर ध्यान देंगे और तबाही से उसको बचायेंगे ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। कानपुर के सम्बन्ध में यहां पर जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देखने से और वैसे भी मैं समझता हूं कि जो सबसे अधिक क्षतिग्रस्त जिले हैं उनमें से कानपुर भी एक है। अभी पिछले दिनों गंगा जी की बाढ़ के संबंध में जो यहां पर बहस हुई थी तभी मैंने बतलाया था कि बिठूर और कानपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसमें कई गांव गंगा-जी की बाढ़ में बह गये थे और वहां के लोगों को अभी बसने की जगह भी नहीं मिल पायी थी कि साथ ही दूसरी तेज वर्षा और हुई, १४ घंटे के अन्दर १३ इंच वर्षा कानपुर और बिल्हौर के बीच हुई। उस भीषण वर्षा से पांडव नदी, उत्तरी लोन सेंगुन, और रिंद नदियों में बाढ़ आयी और उनकी बाढ़ से सैकड़ों गांव बरबाद हो गये और बहुत से गांवों में एक भी मकान नहीं बचा। बिल्हौर तहसील में जितनी बरबादी हुई है, मैं समझता हूं उतनी पूरे कानपुर जिले में भी नहीं हुई होगी। जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे ही मालूम होता है कि काफी मकान गिरे है और बहुत से आदमियों और जनवरों की जानें गयीं। अगर पानी के बहाव ने रेलवे लाइन के पुल को और ग्रान्ड ट्रन्क रोड के पुल को न काट दिया होता तो सैकड़ों गांव वह गये होते। इस बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिये ईश्वर की कृपा से रेलवे लाइन और सड़क टूट गयी और पानी निकल गया और उससे लोगों को बहुत कुछ राहत मिली। ऐसी दशा में वहां पर जो सहायता दी गयी है वह अपर्याप्त है। वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने सहायता पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया, काफी दौरा उन लोगों ने किया, नाव से, घोड़े पर और पैदल वे लोग गये, लेकिन साथ ही साथ जो सहायता दी गयी है वह अपर्याप्त होने के कारण लाचार थे। मकान बनाने के लिये जो सहायता दी गयी है वह प्रति मकान पर चार रुपया और कुछ आने पड़ती है ।

(इस समय २ बजकर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।) ?

इसके साथ ही साथ पिछले वर्ष भी इसी क्षेत्र में बाढ़ आयी थी और पिछले वर्ष जो तकावी दी गयी थी उसकी भी वसूली का समय आ गया है। ऐसे समय में जब कि उनकी फसल सब समाप्त हो गयी है उनको न केवल लगान और सिंचाई में छूट मिलनी चाहिये वरन तकावी में भी छूट दी जानी चाहिये। अन्यथा हर साल की तकावी इकट्ठा हो कर उनके ऊपर इतना बोझ हो जायगा कि उसको बरदाश्त करना उनके लिये मुश्किल हो जायगा।

बीज के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष सहकारी समितियों के द्वारा बीज का वितरण किया जा रहा है लेकिन बहुत से किसान अभी सहकारी समितियों के मेंबर भी नहीं हैं, अभी तो बहुत थोड़े किसान ही सहकारी समितियों के मेम्बर हो पाये हैं। इसलिये जो किसान सहकारी समितियों के मेम्बर नहीं हैं उनको भी बीज दिया जाना चाहिये। इसकी शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा बहुत से खेत बिना बोये रह जायेंगे।

गांवों में हरिजनों के मकान अधिकतर तालाबों आदि के किनारे या निचले स्थान पर होते हैं, अतः बाढ़ से उनको सबसे अधिक क्षति होती है। इसलिये हरिजन सहायक विभाग से और अपने विभाग से अधिक से अधिक सहायता मंत्री जी दिलाने का प्रबंध करें ।

[श्री मुरलीधर कुरील]

नावों के बारे में अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके जिले में जो नावें चलीं उनमें कांग्रेस वालंटियर्स को नावें दी गयीं। जब बाढ़ अथवा इसी प्रकार की कोई और मुसीबत आती है तो किसी भी संस्था के जो वालंटियर्स लोगों की सहायता के लिये जाना चाहते हैं उनमें से किसी को भी कोई रुकावट नहीं होती। किसी को मनाही नहीं होती, कोई भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये उन नावों का उपयोग कर सकता है। अगर उस क्षेत्र को दूसरी पार्टी के काम करने वाले लोगों पर रोक लगायी गयी होती तब ऐसी बात कही जा सकती थी। बाढ़ सम्बन्धी साधना जो जुटाये जाते हैं वे इसलिये होते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक सहायता बाढ़ पीड़ितों को पहुंच सके। लेकिन उस सहायता के ऊपर इस प्रकार की शिकायत करना और इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना लेना कि बाढ़ के सम्बन्ध में जो सहायता दी गयी है वह एक पार्टी विशेष के लिहाज से दी गयी या क्षेत्र विशेष लिहाज से दी गयी ऐसी बात नहीं हुई है। मैं अपने क्षेत्र की बात जानता हूं कि मेरे यहां किसी भी कर्मचारी ने किसी क्षेत्र विशेष के लिहाज से कार्य नहीं किया और न कोई ऐसी व्यवस्था की जो किसी पार्टी विशेष के लिहाज से की गयी हो। वहां जो गांव बाढ़ग्रस्त थे, वाहे वे किसी कांग्रेसी एम०एल० ए० के क्षेत्र में रहे हों, चाहे किसी दूसरी पार्टी के एम० एल० ए० के क्षेत्र में रहे हों सभी को बराबर सहायता पहुंचायी गयी और जिन क्षेत्रों में इस बाढ़ से नुकसान हुआ है, कर्मचारियों ने बराबर वहां जा जाकर काम किया।

चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिये ऐसी बात कह कर लोगों के अन्दर भ्रम पैदा करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। इस समय जो बाढ़-पीड़ित लोग हैं उनकी कठिनाइयों को सामने रख कर ही यहां पर विवाद किया जाय और उन क्षेत्रों की बातों को रखा जाय तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता और उस क्षेत्र के पीड़ित लोगों का अधिक हित होगा।

इसके साथ ही साथ एक बात मैं और कह देना चाहता हूं जैसा कि मैंने अभी बतलाया—कानपुर और बिठूर के बीच के देहाती क्षेत्रों में जहां गंगा की बाढ से कई गांव कट गये हैं मेरा यह सुझाव है कि वहां का सर्वे कराया जाय और सर्वे करा कर यदि वहां गंगा की बाढ़ को रोकने के लिये और भविष्य में और गांव न कटें उसको रोकने के लिये कोई इस तरह की दीवार बनायी जा सके या कोई बांध बनाया जा सके तो अति उत्तम होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खतरा है कि १५, २० गांव और भी कट जायेंगे और फिर उनके बसाने की समस्या खड़ी हो सकती है। मैं समझता हूं कि कानपुर वाटर वर्क्स और बिजलीघर को भी इससे खतरा पैदा हो जायगा क्योंकि प्रति वर्ष बिजली घर के लिये पानी लिया जाता है। जब गंगा की धारा अधिक कटती जायगी तो उसकी वजह से इन गांवों में बाढ़ के समय पानी पहुंच जायगा। तो उसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिससे उस बिजलीघर को पानी मिले और दूसरे जो अन्य गांवों में बाढ़ का खतरा हो जाता है तथा गंगा का कटान हो जाता है वह भी रुक जाय। पिछले दिनों कानपुर और बिठूर के बीच गंगा के किनारे-किनारे एक सड़क बना कर ले जाने की बात कानपुर नगर महापालिका में थी। मैं समझता हूं कि अगर वह सड़क गंगा जी के किनारे किनारे बना दी जायगी तो गंगा के कटाव को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

इसके साथ ही साथ हमारे यहां पिछले दिनों जल-निकासी की एक योजना भी बनायी गयी थी। कुछ जिलों में उस योजना के अन्तर्गत काम शुरू किया गया और उसे पूरा किया गया। मेरे जिले में भी वह योजना बनी। कई लाख रुपये की आवश्यकता उसमें पड़ती है। वह कमेटी जिलाधीश की अध्यक्षता में बनी थी और उसने काफी काम किया। उसने जिले का सर्वे कराया कि कहां-कहां नालियां निकाली जा सकती हैं, कहां पानी का निकास देकर नुकसान को रोका जा सकता है। तो उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये और जल निकासी योजना के लिये सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे कानपुर को उन स्थानों में गिना जाय जो सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं तथा वहां की जनता को अधिक से अधिक सहायता दिय जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---श्री राजनारायण जी, आपके लिये १० मिनट हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह भी तो है कि आवश्यकता समझने पर उसे बढ़ा दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आखिर आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री राजनारायण---ज्यादा नहीं बस दो चार छः मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप १५ मिनट ले लीजिये ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस समय जो मेरे प्रदेश और देश में बाढ़ की विभीषिका है इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । कांग्रेस सरकार की ओर से मंत्रिगण की ओर से अक्सर यह प्रयत्न किया जाता है कि जो बाढ़ जन्य विभीषिका है उससे जो नुकसान है उसको दैवी प्रकोप कह कर छिपा दिया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि यह दैवी प्रकोप नहीं है । अगर इसको सच्चा नाम दिया जाय तो यह नेहरू प्रकोप कहा जा सकता है, गुप्ता प्रकोप कहा जा सकता है, कांग्रेस सरकार प्रकोप कहा जा सकता है । श्रीमन्, हमें अफसोस हुआ जबकि माननीय मंत्री जी बाढ़ के संबंध में बोलते हुए यहां तक कह गये कि किसी भी जिले से उनके पास कोई शिकायत नहीं आई । मैं चाहता था कि उसी समय माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूं कि सदन में सत्य भाषण होना चाहिये, सत्य का प्रकाश होना चाहिये । बलिया जिले की ओर से एक बार नहीं कई बार प्रतिनिधि मण्डल में मैं स्वतः माननीय मंत्री जी की सेवा में उपस्थित हुआ था और मैं आज प्रसन्नता के साथ उस समाचार को इस सदन में रखना चाहता हूं कि बलिया के किसानों में जिन्दगी आई, उनमें साहस आया । उन्होंने देखा कि यह सरकार सो रही है, कान में तेल डाले पड़ी हुई है और रबी की बुवाई नजदीक आ रही थी । सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन है । वहां से करीब तीन-चार साल पहले एक दूसरी लाइन निकाली गई है, पुरानी लाइन बन्द है । पुरानी लाइन और जो दूसरी लाइन निकली है उन दोनों के बीच में किसानों के खेत लगातार पानी से भरे पड़े रहे । वहां जाकर मैंने स्वतः देखा । बाढ़ से गिरे मकानों को मैंने देखा । वह लोग ८-८ मील तक जाते थे और पशुओं के लिये चारा काटकर लाते थे । वहां से आकर मैं गुप्ता जी से मिला, माल मंत्री जी से मिला । मालमंत्री जी ने कहा कि गुप्ता जी से बातचीत कर लीजिये । जगजीवन राम जी को भी तार दिया.....

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमने कहा था कि राममूर्ति जी से बात कर लीजिये ।

श्री राजनारायण---हमने जगजीवनराम जी को तार दिया कि रेलवे की लाइन को कटवाइए, ३ साल से बेकार है और कई हजार एकड़ खेत पानी में हैं, रबी की बुआई नहीं होगी । जब लोगों ने नहीं सुना तो हमने किसानों को यह सलाह दी कि किसानों भूख से मरना नहीं । कलकत्ते में जो सन् ४३ में भुखमरी आई थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये । हिम्मत और साहस के साथ तुम जाकर लाइन को काटना और काटकर पानी को निकालना । यद्यपि हमने सलाह तो दी पुरानी लाइन को काटने की और तारीख भी निश्चित थी लेकिन किसान इतना परेशान और बेचैन था कि अगर अब विलम्ब किया जाता है तो निश्चित रूप से रबी की खेती नहीं की जा सकती इसलिये वह एक रात को उठा और ५० फीट लाइन को काट दिया । पानी बह गया । अब करीब ४ हजार एकड़ जमीन में किसान खेती करेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह किसका प्रकोप था । एक दो महीने तक जो रेल की लाइन के बीच में पानी रुका रहा, सरकार ने लाइन कटवाकर नहीं निकलवाया, यह दैवी प्रकोप है या हुकुमसिंह प्रकोप है ? वस्तु स्थिति का अंकन ठीक होना चाहिये ।

अब भी मैं बताना चाहता हूं कि बलिया---बैरिया बांध पर हरिजन परिवार के लोग आकर बस गये है, उनको हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है और उनके रहने के लिये कहीं

[श्री राजनारायण]

इंतजाम नहीं किया जा रहा है। यह किसका प्रकोप है ? अशोक होटल बने, जनता के पैसे से गगन-चुम्बी अटटालिकाएं बनें, मंत्रियों के लिये निवास स्थान बनें, मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर न मालूम कितने हो गये हैं, कहीं उप कहीं सहायक कहीं राज्यमंत्री अनेकों के लिये मकान बनते जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी होती जा रही है, अनावश्यक ढंग से अपव्यय हो रहा है। १५ जनवरी, सन् ६० तक ६० करोड़ रुपया इस सरकार ने खर्च किया जिसमें तखमीने का अभाव वाउचर का अभाव व्योरेवार बिल का अभाव और रसीद पर टिकट का अभाव था। इस तरह से राज्य के धन का अपव्यय हो रहा है और हरिजनों के निवास स्थान की कोई व्यवस्था नही की जा रही है। हरिहरपुर के ६० हरिजन परिवार, भरसर के ५० हरिजन परिवार, हल्दी के ७ हरिजन परिवार, रुद्रपुर घोल्हन, चक डांगरबाद आदि गांवों के ४० हरिजन परिवार जा करके वहां बसे हैं। कोई ८ मील दूरी से गया, कोई १० मील और कोई १३ मील की दूरी से गया। जब कलेक्टर से कहा जाता है कि मकान बनवाओ, वह अपने को खुदा समझता है। गांधी जी कहते थे कि कलेक्टर छोटा गवर्नर है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह बड़ा गवर्नर हो गया। वह कहता है हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, कहां है हमारे पास योजना, पैसा। इस तरह की बात वह करता है और यहां तक कहता है कि सरकार की पाकेट में कोई जमीन रखी है जो तुम्हारे लिये मकान बनवाये। श्री चन्द्रभानु गुप्त के लिये ठाकुर हुकुम सिंह के लिये जमीन है मगर हरिजन के लिये जो पैदा करके हमको खिलाता है उनके परिवारों को बसाने के लिये कोई योजना सरकार के पास नहीं है। आज सरकार हिम्मत के साथ कहे कि जब तक हरिजनों के निवास स्थान की कोई व्यवस्था नहीं कर दी जायेगी तब तक उनको वहां से नहीं हटाया जायेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें शान्ति भंग हो जाय। हम अन्याय नहीं करने देंगे जहां तक ताकत चलेगी अहिंसात्मक तरीके से। वहां पर गुंडई और बदमाशी होती है, जहां पर बुजदिल और कायर होते हैं। आज हम चाहते हैं देश में मर्दानगी आये ताकि किसी प्रकार के अन्याय का साहस के साथ सामना करें।

देवरिया गोरखपुर आजमगढ़ की मुसीबत को देखा जाय। मंत्री जी जब दौरे पर गये थे उसके दो दिन बाद मैं भी गया था। मालूम हुआ मंत्री जी ने कुछ लोगों की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। किसी को कह दिया ठीक है। एक कहना मैं ठाकुर साहब माहिर हैं, वह गम्भीर से गम्भीर बात पर मजाक कर दिया करते हैं। कहीं बाढ़ की समस्या, कहीं बाढ़ का प्रकोप और वहां पर कहें कि आप भी उग्रसेन की तरह बात करेंगे, हमने तो उनसे सुन लिया आप चुप रहें। आप देवरिया में जाइये वहां उग्रसेन जी गोरखपुर में मदन पांडेय जी तथा वाराणसी में राजनारायण की बात सुनेंगे। या अगर राजनारायण गोरखपुर में हों तो वहां भी उनकी बात सुनेंगे क्योंकि हम तो जनप्रतिनिधि हैं। हमेशा घूमते रहते हैं और सब जगह की जानकारी हमें हासिल है, उसको अवश्य कहेंगे आप जहां भी मिलेंगे। मैं अभी मेरठ में गया था वहां एक सड़क ऊंची हो रही है, हमने वहां बताया कि कहीं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही है अगर बाढ़ आये और तुम्हारा घर खेत डूबे तो अवश्य सड़क काट देना, पानी को निकाल देना।

हमें एक दस्तावेज सरकार के द्वारा किये गये कर्मों का बांट दिया गया कि कितना रुपया किस जिले को दिया गया, कितनी तकावी दी। ठीक है। सरकार ने कुछ रुपया दिया, कुछ काम किया। तो इससे क्या मतलब सरकार लेना चाहती है ? क्या आज सरकार चाहती है कि हम यह कहें, उसने उचित मात्रा में, जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति की ? मैं कहना चाहता हूं तकावी अपर्याप्त है, मकानों के लिये जो रकम सहायता के रूप में दी गई वह नाकाफी है। क्षतिपूर्ति करने में सरकार असमर्थ है, यह सरकार कर नहीं सकती। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ठीक समय पर रबी की बुवाई करा पायेगी ? और जिस जमीन में नहीं हो पाई उसकी जिम्मेदारी किस पर जायेगी ? आज सैकड़ों पशु बिना चारे के परेशान हैं, उनके लिये चारे की व्यवस्था सरकार की ओर से क्या हुई ? बलिया, देवरिया, वाराणसी में चारे की क्या व्यवस्था हुई ? कुछ नहीं। सरकार कहती है हमने इन्तजाम किया कितना भूसा भेजा गया ? कितना चारा भेजा गया, इसका कोई आंकड़ा है ?

आप इसको पढ़ लेंगे लेकिन एक आंकड़ा आपको चारे की व्यवस्था के बारे में नहीं मिलेगा। लगातार मैं सरकार को समझा रहा हूं कि एक मर्यादा सरकार को बना लेनी चाहिये। उस में पक्षपात नहीं होगा, उस मर्यादा में कुनबापरस्ती नहीं होगी. उसमें आगामी आम चुनावों में प्रभावित करने के लिये अपने गुर्गों के द्वारा पैसा नहीं बंटवाया जायगा। जो माननीय सदस्य कानपुर से आये हैं उनकी तरफ से सफाई दी गई कि बाढ़ में पक्षपात नहीं किया जा रहा है। हमारी जानकारी है कि किया जा रहा है और अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज तक यह कानून क्यों नहीं बना कि जो मकान गिर जायें सरकार उनको रहने लायक अपनी ओर से बनवा दे। सबसे पहले हरिजन और जो दरिद्र परिवार हैं उनके मकानों को बनवाने की व्यवस्था हो।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह नियम क्यों न बनवा दिया जाय कि बाढ़ के कारण जिनके घर बरबाद हो जायं, सारा गल्ला डूब जाय, सारा कपड़ा डूब जाय, ऐसे लोगों के लिये जब तक काम की व्यवस्था न हो या उनकी दूसरी फसल की व्यवस्था न हो तब तक ऐसे लोगों के लिये सरकार मुफ्त रोटी देने की व्यवस्था करे। इस तरह के आंकड़े संकलित किये जायें तो निश्चित रूप से कुछ काम होगा और सही रूप से माना जायगा कि सरकार कुछ कर रही है। मगर आप देखें कि बाढ़ ग्रस्त हम हैं, परेशान हम हैं, उसके लिये हमें तकावी दी जाती है। ईमानदारी की बात इस सदन में होनी चाहिये। क्या तकावी का रुपया हमको मिलता है? पुराने बकाये में सरकारी कर्मचारी रुपयों को काट लेते हैं। क्या तकावी का रुपया बिला सूद के मिलता है? जो रुपया सरकार तकावी के लिये दे और फिर उस पर सूद ले तो वह पापी सरकार होगी, पाजी सरकार होगी।

मैं माननीय मन्त्री जी की खिदमत में कुछ तथ्य और पेश करना चाहता हूं। वह देखें कि घाघरा और राप्ती के द्वारा कटाव होता है, लगातार बाढ़ आती है। १९२० से अब तक की स्थिति देखी जाय। घाघरा की बाढ़ का जहां तक सम्बन्ध है १९२० में तुर्तीपार में २०९ फुट ८ इंच पानी बढ़ा था। १९३८ में २१५ फुट तक पानी गया था और १९६१ में रह गया २११ फुट ८ इंच, यानी इस साल की बाढ़ से ज्यादा बाढ़ १९३८ में आई। उस समय जो नुकसान हुआ और ६१ में जो नुकसान हुआ दोनों की तुलना करके अगर सदन में उपस्थित किया जाय तो इस साल ज्यादा तबाही हुई है, ज्यादा जानें व जानवर तबाह हुये हैं, ज्यादा क्षेत्र में पानी बहा है। लेकिन कहा जाता है दैवी प्रकोप है।

इसके अलावा जरा योजना को देखा जाय। यह सरकार कैसा मजाक बना रही है। वस्तु स्थिति को छिपाना, सदन में असत्य भाषण करना पुराने धर्म ग्रन्थों के मुताबिक भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। ५१ से ५६ तक की योजना आप देखें। राप्ती के किनारे बांध गोरा राप्ती १ करोड़ रुपया, बेरिया बांध ६ लाख और जलकुंडी योजना १३ करोड़। यह योजना थी ५१ से ५६ तक। अब जरा नगर सुरक्षा योजना को देखा जाय। बलिया ४० लाख, बरहज ३० लाख, अयोध्या ३० लाख, बनारस ६० लाख मिर्जापुर ६० लाख और नेपाल १९ लाख, सन् ५१ से ५६ तक ये काम हो जाने चाहिये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि किस खुदा ने कहर ढाया है और कहा कि ये काम न हों? यह खुदाई कहर नहीं है, यह सरकारी कहर है। सरकार बता दे कि इनमें से कौन सी योजनायें पूरी हो गई हैं।

माननीय मुख्य मन्त्री के पद पर जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी यहां पर विराजमान थे तो उन्होंने हम लोगों को विश्वास दिलाया और एक ड्राफ्ट प्लान पेश हुआ। उसके अन्तर्गत नेपाल बांध १९ लाख की लागत से निश्चित बन जाना चाहिये था। कहां है वह नेपाल बांध? आज नेपाल कहां जा रहा है जरा इसको भी सरकार देखें। उसी के अन्तर्गत बरहज नगर सुरक्षा योजना थी २० लाख रुपये की, वाराणसी सुरक्षा योजना १५३ लाख की, करामत-वाराणसी नाला निरोधक योजना २० लाख की, घाघरा गंडक योजना १० लाख रुपये की, गंडक योजना २० लाख रुपये की और इसी प्रकार की अन्यान्य योजनायें उसके अन्तर्गत थीं। हमने

[श्री राजनारायण]

सरकार को सुझाव दिया था और ठीक मौके पर दिया था, माननीय उग्रसेन जी ने सुझाव दिया था कि अगर सरकार चाहती है कि जिन इलाकों की जनता आज बाढ़ से परेशान है उसको बचाये तो उसको चाहिये कि बड़ी गन्डक के ऊपर नेपाल बांध ८ मील का बड़ी गन्डक योजना में सम्मिलित किया जाय। गोला (गोरखपुर) से लगायत चुरिया नदौली देवरिया तक घाघरा के बायें किनारे पर ठोकर लगा कर कटाव रोका जाय। राप्ती के उद्गम जलकुण्डी योजना कार्यान्वित की जाय। बरहज नगर-पालिका सुरक्षा योजना लागू की जाय। घाघरा के बायें किनारे पर गोरखपुर देवरिया में बांध बनाया जाय। हमने, माननीय उग्रसेन जी ने, बराबर ये सुझाव दिये मगर राज्य सरकार ने हमारे सुझावों की उपेक्षा की। सदन में वितंडावाद नहीं होना चाहिये, ठीक सवाल का ठीक जवाब होना चाहिये। १५ सितम्बर को ये सारे सुझाव सरकार के पास भेजे गये कि वह इन सुझावों को लेकर आगामी बाढ़ से जनता को बचाये। माननीय दुबे जी यहां नहीं हैं। जौनपुर के बचाव के लिये दहीरपुर के नाले से लेकर नदी के रुख को मोड़ कर के तीन मील के ऊपर पानी गिराने की योजना हमने बताई। इस बारे में सरकार ने क्या किया? उसमें जौनपुर जायगा, आजमगढ़ जायगा, वाराणसी जायगा, बलिया जायगा, गाजीपुर जायगा, यह सरकार तो कहीं एक लाख, कहीं दो लाख दे देती है, कहीं बच्चों की फीस माफ कर देती है, कहीं कुछ रुपया आगामी चुनाव को देख कर बढ़ा देती है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है और आज इस बाढ़ के सम्बन्ध में बोलते हुये विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं जनता से कि अगर वह इस प्रकार के कष्टों से निवारण चाहती है तो योजना बना डाले, इस सरकार को हमेशा के लिये छुट्टी दे देने को। इस सरकार को छुट्टी दे करके ही बाढ़ और रोग से छुट्टी ली जा सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसका सीधे-सीधे जवाब दें, इधर-उधर भागने की कोशिश न करें।

*श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के भाषण को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि बाढ़ का कारण अधिक वर्षा का होना है। श्रीमन, अधिक वर्षा के अतिरिक्त मैं तो यह कहूंगा कि बाढ़ का कारण सरकार के सिंचाई एवं नियोजन विभागों की दोषपूर्ण नीति भी है, क्योंकि वर्षा पहले भी होती थी परन्तु इस प्रकार की बाढ़ें नहीं आती थीं। विगत ५-६ सालों से जब से इनका नियोजन विभाग सक्रिय हुआ और उनके सिंचाई विभाग की ओर से नाले डाले गये तो दूसरे जिलों के बारे में मुझे अधिक ज्ञान नहीं है लेकिन अपने एटा जिले की बाबत मैं जानता हूं कि वहां एक नदी है जिसमें ४, ६, १० नाले डाल दिये गये। यह सर्वमान्य बात है कि नदी प्राकृतिक ढाल की ओर रास्ता बनाती है। जब उसमें ४, ६, नाले डाल दिये जायेंगे और उस नदी को पहले की अपेक्षा चौगुना पंचगुना पानी ले जाना पड़ेगा तो यह स्वाभाविक ही है कि उसमें बाढ़ आयेगी।

श्रीमन्, हमारे बड़े योग्य साथियों ने बड़ी-बड़ी नदियों की बात कही है। मैं सरकार के ऊपर लांछन लगाना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी नदियों का कन्ट्रोल छोड़ दीजिये, छोटी नदियों पर भी कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं। हमारे एटा जिले में चार छोटी-छोटी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है और इनके बारे में मैंने अक्सर बाढ़ की स्टैंडिंग कमेटी के सामने सुझाव दिये हैं लेकिन उनके बारे में अबतक कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। इन नालों के अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पहले जब वर्षा होती थी तो प्रकृति के अनुसार कुछ पानी गड्ढों में भर जाता था, कुछ जमीन में सूख जाता था और कुछ हवा में उड़ जाता था, तब धीरे-धीरे नदी में पहुंचता था। अब खुदे हुये नालों से ज्यों का ज्यों एक-एक बूंद पानी शीघ्रता से नदियों में गिरता है। इस प्रकार जो बाढ़ नदियों में आती है उसके रोकने के लिये हमारी सरकार ने क्या किया? यही नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नदियों के साथ अप्राकृतिक व्यवहार भी किया गया है और वह यह कि बहुत-सी नदियां ऐसी हैं जो नहरों के नीचे से साइफन बनाकर निकाली गई हैं। उनका साइफन पानी की योजना के अनुसार पहले था लेकिन आज साइफन में ठोकर लेकर पानी जाता है। उसके लिये सुझाव दिया है कि पहले जैसा था उसी के अनुसार साइफन होने चाहिये। पहले आयोजित पानी के अनुसार पुल बने हुये थे और आज उनमें शीघ्रता से पानी पास नहीं होता है। उन पुलों को चौड़ा नहीं किया गया और न उनकी बराबरी का दूसरा बनाया गया। ऐसे अनेकों कारण हैं जिनसे बाढ़ आती है और यह सरकार उन कारणों की ओर उदासीनता का व्यवहार करती है। सुझाव देने पर सरकार सुनती नहीं है और न जाने इस अनसुनी का क्या कारण है कि कोई अमल हमारे सुझावों पर नहीं किया जाता है।

श्रीमन्, हमारे जिले एटा में सिरसा, ईसन, अरिन्द और करों यह चार नदियां बहती हैं और यह चारों नदियां लोअर गंगा कैनाल के नीचे से होकर निकाली गई हैं। ये नदियां बहती हैं पश्चिम से पूरब और लोअर गंगा कैनाल उत्तर से दक्षिण को निकाली गई है और यह चारों नदियां उससे नीचे होकर निकलती हैं। मैं जानता हूं कि ईसन के किनारे एक गांव जिटौली है वह नष्ट-भ्रष्ट हो गया है। इसके लिये कई साल से कहा गया है कि प्रतिवर्ष गरमी के दिनों में साइफन को साफ करा दिया जाय। सफाई जरूरी है लेकिन उसमें जो मिट्टी हर साल जमा हो जाती है सरकार उसको साफ नहीं करा पाती है और पानी एक-एक मंजिल ऊपर चढ़ चुका है। इसलिये जब तक हर साल इंजिन या किसी और जरिये से पानी की ठीक से सफाई नहीं कराई जाती है तब तक ठेकेदार इसको साफ नहीं करा सकते हैं। पता नहीं क्या-क्या भ्रष्टाचार होते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन किसी भी नाले की ठीक से सफाई नहीं हुई है। मैंने स्वयं बड़े-बड़े अधिकारियों से यह कहा है कि इसकी प्रतिवर्ष सफाई कराई जाय लेकिन कभी यह सफाई नहीं कराई जाती।

इसके अतिरिक्त मुझे बड़ी निराशा तब हुई जब हमारे मन्त्री महोदय ने यह कहा कि बाढ़ें पहले भी आती थीं, और भविष्य में भी इसी प्रकार आती रहेंगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने "इसी प्रकार" नहीं कहा है, इतना लफ्ज आपका फाजिल है।

श्री रघुवीरसिंह---सहायता की बात हमारे मन्त्री महोदय ने बड़े विस्तारपूर्वक कहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सहायता को सहायता कहा जाय या भीख कहा जाय। हमारे और साथियों ने भी कहा है और मैं भी समझता हूं क्योंकि हमारे जिले एटा में १,२५,१२६, एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित है लेकिन तकावी सिर्फ १,५५३ रुपये दी गई है, यानी सौ एकड़ पर १ रुपया तकावी दी गई है। क्या यह सहायता है ? यह सोचने की बात है। इससे तो कोई तकावी न मिलती तो अच्छा था। मथुरा जिले में जैसा कि एक उधर के सज्जन ने कहा कि इस मामले में अपने पराये की कोई बात नहीं रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि मथुरा में १,११,७६५ एकड़ भूमि प्रभावित है और तकावी वहां पर दी गई है ११,२२१ यानी एटा जिले में १२ हजार एकड़ भूमि अधिक प्रभावित है तो वहां पर १,५५३ रुपये और जहां पर १२ हजार एकड़ भूमि कम प्रभावित है वहां पर इतनी अधिक तकावी। यह अपना परायापन नहीं तो और क्या है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि तकावी न देकर सरकार अगर बाढ़ के निराकरण के लिये प्रयत्नशील हो तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि भिखमंगों की तरह कुछ मिट्टी का तेल बांट दिया या नमक बांट दिया, इस से हमारी दरिद्रता दूर नहीं होती है। इसलिये तकावी के बजाय बाढ़ के निराकरण के लिये सरकार का प्रयत्न होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब बाढ़ आती है तो फसल ही नहीं बल्कि घास तक नष्ट हो जाती है। जैसा कि हमारे साथी राजनारायण जी ने कहा था कि जब बाढ़ आये तो हमारी सरकार को बाढ़ क्षेत्र में चारे का भी कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य

[श्री रघुवीरसिंह]

करना चाहिये। मनुष्य तो अपना पेट बीस तरह से भर सकता है लेकिन पशुओं की बड़ी भारी हानि होती है और मन्त्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, मैं समझता हूं कि उससे दुगने-तिगने से ज्यादा मवेशी मरे। श्रीमन्, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो उसमें तकावी के बजाय वहां का लगान माफ कर दिया जाया करे तो वह न्यायसंगत बात होगी। क्योंकि जब वहां कुछ पैदा ही नहीं होगा तो वह लगान कहां से देगा? इसलिये उनका लगान माफ होना चाहिये और जो रुपया उनको दिया जाय वह कर्जे के रूप में न दिया जाय बल्कि सहायता के रूप में दिया जाय। जब उसके कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो वह सूद के साथ रुपया कहां से देगा? आपके अमीन लोग उनकी मारपीट करते हैं जो देखने में बड़ा अन्याय लगता है। लेकिन हमारी सरकार न कुछ सुनती है और न कुछ सोचती ही है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है?

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जिन नदियों में नाले अधिक डाले गये हैं उनकी सफाई करा दी जाया करे जिससे भविष्य में बाढ़ न आये। कई साल से कहा जा रहा है और उनका सर्वे भी हो चुका है लेकिन न तो उनकी सफाई हुई और न उनको चौड़ा ही किया गया। इनमें विशेष रुपया नहीं लगेगा क्योंकि यह छोटी-छोटी नदियां हैं, इसलिये इनकी शीघ्र से शीघ्र सफाई करा दी जाय अन्यथा फिर बाढ़ आयेगी। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने सुझाव की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपने जिले फतेहपुर की परिस्थिति सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारा जिला गंगा और जमुना के बीच में बसा हुआ है। इसलिये हमारे यहां काश्तकारों का बहुत नुकसान हुआ है और हरिजनों की झोंपड़ियां गिर चुकी हैं। कुछ सवर्णों के मकान भी गिरे हैं। मैं दस साल से सरकार का ध्यान दिला रहा हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहां धान बूड़ा पड़ा है और सड़ रहा है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव लपहेटा को बसाने पर ध्यान दिया जाय, जिसके बारे में मैं कई बार सरकार से पत्र व्यवहार कर चुका हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बाढ़ से हानि की सूची माननीय मन्त्री जी ने वितरित की है उसमें हमारे जिले मुरादाबाद का भी नाम है। मैं इस सदन में कई बार यह रख चुका हूं कि इस जिले की हसनपुर तहसील का लेविल गंगा के बैंक लेविल से नीचा है और इस सम्बन्ध में मैं एक बांध की तजवीज रख चुका हूं। उसमें २४ लाख कुछ हजार का खर्चा था। आज मैं एक नई समस्या लेकर यहां आया हूं जो मैंने इसी वर्ष देखी है। बाढ़ के सम्बन्ध में मैं हर साल वहां की परिस्थिति देखता हूं। लेकिन इस साल की परिस्थिति बड़ी भयंकर है। उसको मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

गंगा से चार-पांच नाले इस तहसील में कटते हैं और जैसा कि मैंने आप से अभी कहा कि तहसील का लेविल गंगा के बैंक लेविल से नीचा है इसलिये नालों के कटने से गंगा का सारा पानी वहां आ जाता है। एक नाला जिला बिजनौर में कटता है मुरादाबाद की सरहद के दो मील के भीतर। इस नाले की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लगभग दो-ढाई महीने उस नाले के कारण गंगा की धार, मेन करेंट उस नाले में बही और उससे पप्सरी, देवीपुर, पहाड़पुर और शाहजहांपुर आदि गांव एक प्रकार से बरबाद हो गये। उन गांवों की दशा यह थी कि इनमें एक नदी और दो नाले इतने बड़े बड़े थे कि बिना नाव के वहां जाना असम्भव हो गया। अब जरा सोचें कि दो-ढाई महीने तक कुछ गांव ऐसी परिस्थिति में रहें जहां बिना नाव के जाया न जा सके तो उनका साधारण जीवन क्या हो गया होगा। मैंने बाढ़ की स्थिति में नाव में जाकर वहां देखा। एक गांव में पहुंचा तो मालूम हुआ कि उस गांव में तीन-चार सौ जानवर थे जिनमें केवल ६०–७० जानवर बचे थे। मुझे अफसोस है कि जो रिपोर्ट है उसमें मुरादाबाद जिले में एक जानवर की जीव हानि नहीं दिखलाई गई है। मैंने सिंचाई मन्त्री से प्रार्थना की कि उस नाले को बन्द करवाने की एक योजना बनाई जाय। वह कृपा

कर तैयार हो गये थे कि उसको जा कर मौके पर देखेंगे। मेरा अन्दाजा था कि शायद ५० हजार या एक लाख रुपये में वह बन जायगा, लेकिन जब अभी ४ नवम्बर को मैंने वहां जाकर देखा तो मालूम हुआ कि ३–४ लाख रुपये लगेंगे, तो मैंने सिंचाई मन्त्री का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया।

वास्तविक स्थिति यह है कि गंगा का किनारा उस तहसील में साधारणतया गंगा के बेड से १७, १८, २० फुट ऊंचा है परन्तु उस स्थान पर जहां पर मैं गया था, इस समय जबकि पानी बिलकुल नीचे पहुंच चुका था, किनारा तीन फीट से ऊंचा नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सवा तीन फीट पानी आ जायगा तो उसमें धार इधर को बहने लगेगी। मैं माननीय माल मन्त्री से निवेदन करूंगा कि अगर इस परिस्थिति को सम्भाला नहीं गया तो आहिस्ता आहिस्ता गंगा जैसी बड़ी नदी अपना कोर्स परिवर्तन कर देगी और तहसील में टूट पड़ेगी। सम्भव है कि इसी वर्ष यह परिस्थिति पहुंच जाय। नहीं तो चार पांच वर्ष के अन्दर यह बिलकुल अवश्यम्भावी है और उसका परिणाम होगा कि उस तहसील का आधा भाग पांच मील और चालीस मीलवर्ग क्षेत्र बिलकुल बेकार हो जायगा। अगर उसको ठीक नहीं करवाया गया तो और भी अधिक क्षेत्र खराब हो सकता है। अब तो लगभग दो ढाई मील का बांध देना पड़ेगा। अगर एक जगह रुक जाय तो सम्भव है कि चार-पांच स्थानों पर और रोकने का प्रयत्न किया जा सके। हो सकता है कि इसमें तीन साढ़े तीन लाख रुपया खर्च हो। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां की क्षेत्र समिति ने प्रस्ताव किया है कि एक लाख रुपया वह ग्राम सभाओं से देने को तैयार है। सरकार को इतना बड़ा जनता का सहयोग मिले, तो सरकार का कर्त्तव्य है कि तीन-चार लाख रुपया लगा कर उस तहसील को उस मुसीबत से बचाये।

उपाध्यक्ष महोदय, सहायता का यह जो ब्यौरा माननीय माल मन्त्री महोदय ने वितरित किया है उसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। इसमें दिया गया है कि जिला बिजनौर में जो हानि हुई है, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल है वह १ हजार एकड़ है और ग्रामों की संख्या ७ है। मुरादाबाद जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल है ३१७२२ और ग्रामों की संख्या २०२ है, परन्तु जो अहेतुक सहायता दी है उनको, वह दोनों को दस-दस हजार। यह मैं समझ नहीं सका कि क्या इसके बांटने का स्तर है? अगर जिले की आबादी के हिसाब से सहायता दी है तब भी जिला मुरादाबाद बड़ा है और अगर प्रभावित क्षेत्र के हिसाब से दिया तब भी उसका हक ज्यादा था। कहां १ हजार क्षेत्रफल और कहां ३१७२२ और कहां ७ ग्राम और कहां २०२ ग्राम, दोनों को अहेतुक सहायता बराबर। मैं आशा करूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इसको देखेंगे।

माननीय दुबे जी ने यह कहा कि इस बाढ़ के अवसर पर राजनीतिक लाभ न उठाया जाय, यह वास्तविक बात है। मैं तो गया भी तो मैंने यही कहा कि राजनीतिक लाभ न उठाया जाय। परन्तु एक बात को आप नहीं बचा सकते। जो कार्यकर्त्ता जाते हैं और यदि वह किसी दल से संबंध रखते हैं तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अच्छा यह हो कि बजाय इसके कि हम इसका शोर मचायें, हम अपने कार्यकर्त्ताओं से यह कहें कि तुम जाकर वहां कार्य करो। हम उनसे कार्य करने लिये न कहकर यह कहें कि इसका लाभ न उठाओ, तो यह कुछ उचित नहीं है।

एक बात एक माननीय सदस्य ने कही कि एक कांग्रेस के हारे हुए क्षेत्र में तकावी बांटने के समय यह किया गया कि जब तक कांग्रेस का वहां से जो आगे आने वाला उम्मीदवार है, उसका नाम न आ जाय तब तक तकावी न बटे। ऐसा अगर जानकर हुआ तो बुरा हुआ। लेकिन मेरा तो अपना अनुभव यह है कि मेरी तहसील में और वहां के गांवों में जो तकावी बटी ३१ अक्तूबर को तो वह, दिन था ....

एक सदस्य––तकावी न होगी, अहेतुक सहायता होगी।

श्री जगदीशप्रसाद—तकावी भी बटी है और अहेतुक सहायता भी, दोनों बटी हैं। तो उस दिन मेरा प्रोग्राम बाहर का था और उसी दल के वहां के भावी उम्मीदवार ने उस तकावी को वहां बटवाया। मैं तो नहीं समझता कि उससे मेरी कोई हानि हो गई। और मुझे मालूम था कि ऐसा होगा। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में गया। तो जब मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं कि वहां इसके बिलकुल दूसरी तरह से कार्य हुआ तो यह कि जानकर सरकार ने ऐसा कुछ किया, यह कोई सही बात नहीं मालूम पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। माननीय माल मंत्री जी से मैं कहूंगा, माननीय वन मंत्री तो चले गए, कि मेरी तहसील की समस्या एक और है। वहां के दो सौ से अधिक गांवों में हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के साथ-साथ एक बहुत बड़ी पट्टी वन विभाग के रकबे की भी पड़ती है। वह न तो विकसित किया गया है, न उसमें पेड़ लगाये गए हैं। वह बिलकुल खाली पड़ी है। लेकिन गांव अगर बरबाद हो जाता है, वहां के रहने वालों के रहने के लिये जगह नहीं रहती और हमें कोई अंची जगह इस वन में दिखलाई देती है जहां कि हम चाहते है कि उनको बसायें तो नहीं बसा सकते, क्योंकि वह वन विभाग की जगह है। एक निवेदन मैं यह करूंगा आपके द्वारा कि इसको वह देखें और वन विभाग की जगह है तो, माल विभाग की जगह है तो, यदि वह सरकार की जगह है तो ऐसी विपत्ति के समय वह प्राप्य होनी चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमान् जी, मैं उस जिले का रहने वाला हूं जिस जिले को सरकार एक सौतेला-सा लड़का समझती है क्योंकि वहां पर पतित पावन सीताराम पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। हम लोग हैं, विरोधी सरकार के, कोई बात कहते हैं तो उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और आज दशा यह हो रही है कि हमारे जिले में कोई सहायता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में नहीं दी गई है। बताया गया है कि ६० हजार एकड़ भूमि प्रभावित है, ७८ हजार तकावी दी गई। लेकिन एक भी तकावी किसी को मिली नहीं। और तकावी तो तब मिलती है जब खेत का नम्बर दो, २ रुपया पटवारी को दो, १० रुपया गिर्दावर को दो और किसी लीडर की सिफारिश कराओ, लीडर भी कांग्रेसी हो और कांग्रेसी हमारे जिले के ऐसे हैं कि जब तक सौ पचास उनको दो नहीं तब तक वह सिफारिश करने जायेंगे नहीं। तो बोलो भारत माता की जय। न नौ मन राई होगी और न राधा नाचेंगी। इसलिये हमारे जिले में तकावी भी बन्द है और आप बता रहे हैं कि ६० हजार एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में २० लाख एकड़ जमीन है, छोटी-बड़ी ३२ नदियां हैं, तो पूरे जिले में आधा नहीं तो चौथाई क्षेत्र जरूर इस बाढ़ से पीड़ित होता रहता है। हमारे जिले में दो नदियां ऐसी हैं जो आधे जिले को तबाह करती रहती हैं। एक घाघरा नदी है जो बहराइच और लखीमपुर जिले के बीच से मिलकर बहती है, १८ नदियां मिलकर बहती हैं। मंत्री जी ने अपने जिले में यह किया है कि कतर्नियां घाट से लेकर जरवल रोड तक एक ऊंची लाइन बना दी है जिससे उनके जिले में बाढ़ जाती ही नहीं है और वह सारा पानी बहकर उत्तरी लखीमपुर जिले को चौपट कर जाता है। इस लखीमपुर जिले में सब से अधिक बाढ़ आ जाती है और बहराइच जिले में बाढ़ बिलकुल नहीं आती है जहां से न्याय मंत्री जी चुनकर आते है। उस मेंड़ के लिये जितने आदमियों ने कुछ भी काम ठेके पर किया है उनको दें, चार हजार से कम किसी को फायदा नहीं हुआ है।

दूसरी मेरे क्षेत्र में शारदा नदी बहती है, उससे लोगों को परेशानी सब से अधिक होती है। ११० मील जिले में बहती है। बरसात में उसको कोई पार नहीं कर सकता है, केवल दो घाट उसमें है उसके लिये कोई इन्तजाम सरकार नहीं करती है। जो लोग उससे पीड़ित हो जाते हैं उनको सहायता भी नहीं मिलती है। क्योंकि पतित पावन सीताराम पार्टी का कोई आदमी वहां पर नहीं है। हमारा क्षेत्र है, इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि श्रीमान् जी, आप अपने नौकरों पर कंट्रोल नहीं रख सकते

तो आप अपना सरकारी ढकोसला बन्द कर दें। आपके बस का यह काम नहीं है। नौकरों के द्वारा जो काम आप लेना चाहते हैं तो उनको पहले अपने काबू में तो करें, तब कोई काम हो सकता है। इसलिये जो सहायता आप कहीं करते हैं उसे बन्द कर दीजिए। हमारे जिले में जो ये ३२ नदियां बहती हैं इनमें अंग्रेजी राज्य के जमाने में कोई बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन अब यह हालत है कि ये नदियां बाढ़ से ओतप्रोत हो जाती हैं। एक सब से छोटी सरायन नदी है जो लखीमपुर जिले से आकर सीतापुर जिले को प्रभावित करती है, जो गर्मियों में सूखी रहती थी, अब उसमें पानी बराबर बहा करता है। उस नदी का पानी अब कोई खेत में नहीं सींचता है क्योंकि गोला मिल का गन्दा पानी उसमें मिला दिया गया है। अगर उस नदी से कोई खेत सींचता है और वह खेत गन्ने का होता है तो उससे जो गुड़ बनता है उसमें उस गन्दे पानी की बदबू आती है। मैं उसको लाकर दिखा सकता हूं। सरकार से जब कहा जाता है तो सरकार हमसे कहती है कि इन नदियों का नियंत्रण कर दिया जायगा। मगर गोला मिल की गुलाम सरकार उसको अभी तक नहीं कर सकी है, न कर सकेगी। यह सरासर झूठ है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री बंशीधर शुक्ल—१० मिनट दिया गया था आपने, तो उसमें से अभी दो मिनट ले लिये। इतना समय हमको और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपके दो मिनट बाकी हैं। आपको स्पेशल रूप से ५ मिनट का समय दिया था।

श्री बंशीधर शुक्ल—यदि सरकार बाढ़ पीड़ितों की स्थायी सहायता करना चाहती है तो उन को ईंट, सीमेंट, लकड़ी और टीन मुफ्त देना चाहिये। डेढ़-डेढ दो-दो साल की दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं लेकिन सीमेन्ट नहीं मिलती है। उन लोगों को जंगल से मुफ्त लकड़ी दी जाय, सस्ती टीन दी जाय और सीमेन्ट भी उनको तत्काल दी जाय। अगर ये चीजें उनको फ्री नहीं दे सकते तो कम से कम कन्ट्रोल ही हटा दीजिये जिससे उनको आसानी से ये चीजें मिल जायं। जिन लोगों के पास पैसे होंगे वह उनको खरीदेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी सहायता हो तो १५ रुपये हजार उनको ईंट दीजिये। ईंटा १५ रुपया हजार बन जाता है, यह आप जानते ही हैं। जंगल से उनके लिये फ्री लकड़ी दीजिये जो आपने उनकी छाती पर लगा रक्खा है, तभी आप बाढ़ के लोगों की सहायता कर सकते हैं। और यह चना बटवाना, गुड़ दिखलाना, यह सहायता नहीं, यह तो किसानों का अपमान है इससे कोई स्थायी लाभ नहीं होता। दूसरे आप जो करते है अपने वोट का प्रोपेगंडा करते हैं अगर कोई सहायता करना होता है तो कांग्रेस कमेटी के लोगों से उसको बटवाते हैं। क्या कांग्रेस के बेईमान ही देश का कल्याण कर सकते हैं और दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं? कांग्रेस के लोगों ने तो देश का सत्यानाश कर दिया है। अगर देश को सत्यानाश से बचाना चाहते हैं तो पतित पावन सीताराम पार्टी के लोगों को पैसा मत दीजिये। यह उनका अन्तिम समय है। अब मरने वाले हैं। प्रभुत्व मेरे जिले में पिछली बार समाप्त हुआ था वही इस बार भी होगा। मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है और यही आशा है कि अब कांग्रेस की छूत जल्दी समाप्त हो और यह जवाहर लाल का जादू अब मत दिखलाओ, देश को आगे बढ़ने दो।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, आज हम बाढ़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारे पूर्वी जिलों को तो चिल्लाने और रोने की आदत पड़ गयी है। कोई मुसीबत भी उनको सहन नहीं होती है। सहन तो जब करें कि जब बेचारों ने कोई मुसीबत देखी हो या मुसीबत में पले हों। पूर्व में दो ही चीजें हैं। अगर नदी में बाढ़ आ गयी तो मर गये, अगर अनाज का भाव तेज हो गया, तो मर गये। हमें अपनी तारीफ करते हुए संकोच तो होता है, लेकिन वाकई में पश्चिमी जिले वालों ने बाढ़ का मुकाबला किया है, गरकी का मुकाबला किया है। जैसे गावों में बापू जी का चबूतरा बनता है वैसा ही कुदरत ने हमारे गांवों को बना दिया ह और उसके

[श्री टीकाराम पुजारी]

बाद भी सरकार कहती है कि हम सैलाब वालों की मदद कर रहे हैं। सरकार क्या मदद करेगी ? मदद के नाम पर वह चना गुड़ बांटती है। क्या गांवों में बानर रहते हैं जो चना गुड़ खायेंगे ? वहां तो दूध, दही, घी और रबड़ी के खवैया हैं। उन्हें सरकार से क्या आशा है ? इस सरकार से कोई आशा हमें नहीं है। हम तो सन् ६२ में आज की आशा को छोड़कर इनका खात्मा ही कर देंगे। आज की सरकार निकम्मी सरकार है, कुनबापरस्त है, टाटा, बिड़ला परस्त है। यह गद्दारों की रिश्तेदार, निकम्मों की रिश्तेदार सरकार भला हमारा क्या भला करेगी ? जो सरकार गांधी को अपनी नाक के नीचे एक गुंडे द्वारा शूट करा दे वह हमारा क्या भला करेगी ?

आप मथुरा को देखिये, आगरा को देखिये, अलीगढ़ को देखिये, एटा को देखिये, मैनपुरी को देखिये। वहां की आज क्या हालत हो रही है ? जब बाढ़ आ रही थी उस समय मैं एक गांव में गया। जो वहां पर सब से ऊंची जमीन थी वहां पर मेरे कंधे तक पानी था। उस गांव में न मुझे कोई मवेशी मिला और न कोई मां-बहिन। पूरे गांव की ८०० की बस्ती में कुल ९ आदमी मुझे वहां मिले। यह पश्चिमी जिलों की हालत है। श्रीमन्, सादाबाद क्षेत्र में मढ़ाका, खोंड़ा, यशोधा, गढ़ी, ऐबरन आदि ४०, ५० गांव ऐसे हैं कि जहां पर ३२ फीसदी किसानों की जमीन पानी में डूब गयी। न उनके पास रबी की फसल हुई और न खरीफ की। वह किसान कैसे जिन्दा रहेगा ? यही हालत मैंने जिला अलीगढ़ में देखी। गोड़ा, तलेसरा, सुरीर, अपराखेड़ा आदि गांव मैंने देखे और आगरे के किरावली आदि गांव देखे। सब जगह आहि-आहि मची हुई है और सरकार कहती है कि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। यह सरकार किसी काबिल नहीं है। यह अपनी जड़ काट रही है। कभी रूस से कुछ मांग लाये, कभी अमेरिका से, कभी पूंजीपतियों से मांग लाये। इसने हम सब को मांगने वाला बना दिया है। हम जो किसी का सहारा नहीं लेते थे, उनको इसने चना, गुड़ का सहारा दे कर मुंहताज बना दिया है। इसलिये अगर सरकार बाढ़ पीड़ितों की कुछ सहायता करना चाहती है तो आप उनके लिये आबपाशी और लगान माफ करिये, उनके लिये मकान बनाने के लिये मुफ्त तकावी व सामान दीजिये, नहीं तो सन् ६२ का चुनाव आने वाला है, जनता आपको खूंटी पर टांग देगी। मैं आशा करता हूं कि सब विरोधी दल एक होकर इनके खिलाफ एक-एक उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और इस निकम्मी सरकार की जमानत भी जब्त करायेंगे।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय माल मंत्री जी को भी इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को सरकार की ओर से सदन के समक्ष रखा ताकि प्रदेश भर की स्थिति ज्ञात हो सके और उससे वे कुछ लाभ उठा सकें।

श्रीमन्, प्रदेश के दो चार जिलों को छोड़कर करीब-करीब सभी जगह काफी बारिश हुई है और बाढ़ आई है। मैं तो माननीय माल मंत्री जी की सूचना के लिये कह देना चाहता हूं कि जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं नुकसान के, उनमें वे आंकड़े नहीं हैं जो कि अभी किसानों ने रबी की फसल बोई थी और उसके बाद जो पानी बरसा और उसके कारण जो बोया हुआ बीज नष्ट हो गया और उससे हानि हुई है।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—वे आंकड़े नहीं हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—हां, वे नहीं होंगे। किसानों ने सोसाइटी या साहूकारों से जो बीज लेकर बो दिया था वह सब नष्ट हो गया। यह क्षति ऐसी है जिसके कारण किसान बहुत परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस क्षति की ओर भी ध्यान दें और उनके लिये बीज और तकावी आदि देने का उचित प्रबन्ध भी करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सही है कि यह दैवी आपदायें हैं । जैसा कि राजनारायण जी कह रहे थे कि यह नेहरू जी की या गुप्ता जी की आपदायें हैं, मैं ऐसा नहीं मानता । हां, हमारे यहां कुछ किसान ऐसा जरूर कह रहे थे कि दीवाली पर जो वर्षा हुई वह इन परीक्षणों के कारण हुई । कुछ गांवों में यह भी चर्चा थी कि यह वर्षा तो ख्रुश्चेव की वर्षा है क्योंकि वे ही परीक्षण कर रहे हैं । तो यह कहना कि यह नेहरू जी का प्रकोप है या गुप्ता जी का प्रकोप है, गलत बात है । यह सब दैवी आपदायें हैं । हां, अगर किसानों की बात सही है तो वह हो सकता है । मगर मैं इसको दैवी आपदायें ही मानता हूं । यह किसी सरकार की आपदायें नहीं हो सकतीं ।

इस सिलसिले में मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार से जितनी सहायता मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली । मैं इसका कारण तो नहीं जान सका, मगर सहायता कम मिली । जैसा कि अभी जगदीश प्रसाद जी बता रहे थे कि मुरादाबाद जिले में जो क्षति के आंकड़े हैं वे सही नहीं हैं । मैं इससे सहमत हूं कि सरकार के पास सही आंकड़े नहीं आ पाते । मैं भी कुछ स्थानों पर घूमा हूं और जो मैंने देखा है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मवेशियों और मकानों की जितनी हानि हुई है उसके आंकड़े सही नहीं हैं । यही नहीं, जो फसल का नुकसान दिखाया जाता है वह वास्तविक नुकसान से कम दर्ज किया जाता है, ऐसी कुछ कर्मचारियों की आदत पड़ गयी है ऐसी मुसीबत में किसानों से कुछ दबाकर लेने की । मैं मौके पर गांवों में घूमा । चारे का कोई इन्तजाम नहीं है, फसल सारी बरबाद है, किसान के पास गल्ला नहीं है और अगली फसल के लिये बहुत-सी जमीन काम में नहीं आ सकती । काफी गांवों में मुझ से कहा गया कि जो नुकसान दर्ज हो रहा है वह बगैर पैसा लिये हुए नहीं दर्ज होता है । गांव पंचायत में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि "पिछली दफा हमने आपकी बात मान ली थी, हम नुकसान में रहे । अगर १० रुपया यहीं दे देते तो छूट यहीं आ जाती । इसलिये अबकी बार पहले ही हमने रुपये दे दिये हैं, आपकी बात हम सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब छूट जरूर आ जायगी ।" यह बात मैंने गांव और नाम के साथ जिलाधीश को लिखकर दे दी है । जब यह भावना है कि बगैर पैसा लिये हुए नुकसान दर्ज नहीं किया जाता तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के कर्मचारियों की आप जांच करायें.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे भी दे दीजिये वह नाम, वगैरह ।

श्री रामचन्द्र विकल—मैं भेज दूंगा । आप जिलाधीशों को आदेश दें कि वह स्वयं गांव में जाकर देखें कि जो लेखपाल ने, पटवारी ने नुकसान दर्ज किया है और जो अफसर ने जाकर मौके पर देखा वह दोनों मिलते हैं या नहीं और जो किसान कहता है उसकी भी जांच की जा सकती है । तभी सुधार संभव हो सकता है । मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने यह चर्चा सुनी कि बगैर मेहनताना दिये हुये नुकसान दर्ज नहीं होता है । मेरा आज भी खयाल है कि बुलन्दशहर जिले में जो नुकसान है वह सही दर्ज नहीं है और हमारे घूमने और अधिकारियों से कहने के बावजूद भी वह दर्ज नहीं हो सकता , ऐसा मेरा विश्वास है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सहायता भले ही कम दें, अपनी मजबूरी दिखा दें, या न दें, लेकिन जो नुकसान हो रहा है अगर उसके दर्ज कराने में भी फीस किसानों को देनी पड़े तो पहले जो किसानों पर दैवी आपदा पड़ी, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की ओर से यह दूसरी आपदा उनकी मुसीबत में और खड़ी हो जाती है । मैं उनसे कहूंगा कि सहायता के वितरण के तरीके में बड़ा गोलमाल कर दिया जाता है और उसका कुछ हिस्सा जरूर मुसीबत के वक्त में भी ऐसा रह जाता है कि जो सहायता पहुंचनी चाहिए गरीब या मजदूर को उसका कुछ हिस्सा फिर देना पड़ता है । यह चीज थोड़ी सी सावधानी से दुरुस्त हो सकती है । इसलिये मंत्री जी सहायता को वास्तविक रूप में गरीबों तक पहुंचाएं ।

एक चर्चा और करूंगा कि मेरा बुलन्दशहर जिला भी उन जिलों में से है जहां वर्षा और बाढ़ का बड़ा प्रकोप रहा है और ढाई-तीन महीने ऐसे रहे कि खरीफ की फस्ल भी नहीं बोयी जा सकी

[श्री रामचन्द्र विकल]

और एक चौथाई से ज्यादा जमीन का रकबा ऐसा है जो रबी में नहीं बोया जा सका। एक घटना हमारे जिले पर घटी, वह है जमुना के बांध की। लोग दरियाओं के बांध की सिफारिश करते हैं, मैं दरियाओं को रोकने के हमेशा विरोध में रहा हूं। अबकी बार जमुना के बांध की वजह से भयंकर रूप में किसानों की क्षति हुई। हिन्डन नहर ७—८ जगह से काटी गयी और जमुना के बांध को काट कर किसानों पर यह आपदा लायी गयी। मुख्य मंत्री जी से कहा गया, सिंचाई मंत्री को कहा गया और किसानों का एक डेपुटेशन प्रधान मंत्री से मिला। उन्होंने लिखित रूप से आदेश दिया कि जांच होनी चाहिए और अगर बांध काट करके किसानों को बरबाद किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जिन लोगों का उसमें हाथ है उनको दंड दिया जाय और भविष्य के लिये भी सोचा जाय। इस तरह से उन गरीब किसानों पर जो मुसीबतों में स्वयं रहते हैं और मुसीबत लायी जाय, वह अच्छा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी किसी बीमारी से या बिमारी से मर जाता है तो उसके लिये संतोष किया जाता है लेकिन जब इरादे से किसी का कत्ल किया जाता है तब संतोष नहीं होता। आपदायें आयीं और आती रहें तो संतोष हो सकता है, लेकिन किसी जगह का पानी नहर या बांध काटकर लाया जाय और उससे परेशानी पैदा हो तो उसके लिये संतोष नहीं हो सकता। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जांच करायें और अगर बांध या नहर काटकर सिकन्दराबाद के इलाके में बरबादी लाई गई तो उस पर उचित कार्यवाही करें।

इस शब्दों के साथ मैं फिर माननीय माल मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं वह काफी गम्भीर है। इस वर्ष हमारे प्रदेश का लगभग हर जिला बाढ़ और बारिश से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। हमारे सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे भी स्पष्ट है कि ५४ जिलों में काफी बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। यद्यपि सरकार ने अभी तक अनुमान नहीं लगाया है कि क्षति कितने रुपये की हुई है लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि जितनी भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है, जितने मकान ध्वस्त हुये हैं और जितने पशु मरे हैं उससे करोड़ों रुपयों क्षति हमारे प्रदेश की हुई है।

मैं माननीय न्याय मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह केवल दैवी प्रकोप है। यह बात अपनी जगह पर सही है कि इस वर्ष अन्य वर्षों के मुकाबले में पानी अधिक बरसा, लेकिन यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि जिस प्रकार से अनियोजित ढंग से हमारे प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा नहरों, सड़कों, नालियों और बांधों का निर्माण हुआ, वह भी वाटर-लागिंग (पानी के रुकाव) के लिये जिम्मेदार है। हम लोगों ने यह बात लगातार ५—७ वर्षों से इस सदन के अन्दर और बाहर भी कही है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे स्मरण है कि सन् १९५४ में जब प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी उस समय भी बड़े पैमाने पर कहा गया था और उसकी जांच के लिये सरकार ने भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री गोविन्द नारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया था। उसने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट दी थी और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किये थे लेकिन खेद है कि सरकार ने तत्परता से उस पर कोई कदम नहीं उठाया। उसका नतीजा यह है कि बड़े पैमाने पर वाटर-लागिंग से नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस बात को कहा है कि यह नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हैं बल्कि मैनमेड कैलेमेटीज हैं। इस पर सरकार को अधिक सावधानी बरतनी चाहिये ताकि इस प्रकार की क्षति न हो।

श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो क्षति हुई है उसके लिये सरकार ने जो सहायता दी है वह अत्यंत अपर्याप्त है। जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनको यदि आप देखें तो तीन लाख के करीब मकान ध्वस्त हुये हैं इस बाढ़ से जिनके लिये सरकार ने २२ लाख रुपये की सहायता दी है। एक मकान के लिये सात रुपये की सहायता हास्यास्पद है। जो लोग पीड़ित

हुये हैं वह आपकी सहायता से पुनर्वासित नहीं हो सकते । सरकार जो जांच-पड़ताल कराती है उन आंकड़ों को देखने के बाद और माननीय न्याय मंत्री को सुनने के बाद मैं यह भी कह सकता हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं । मेरे जिले में घाघरा में, जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने भी कहा, इस वर्ष पांच बार बाढ़ आई और किसानों का बहुत नुकसान हुआ लेकिन माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में केवल दो बार बाढ़ आई । हो सकता है कि सरकार का कोई माप दंड हो जिसे वह खतरे का बिन्दु समझते हों लेकिन जब नदी में पानी बढ़ता है तो उससे हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है और किसानों को क्षति पहुंचती है ।

दूसरी बात यह कि इस वर्ष फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है, रबी के खेतों को बहुत क्षति पहुंची है । उनमें जो पानी गया है वह महीनों से अभी सूख नहीं पा रहा है और किसानों को रबी की फसल बोने में विलम्ब हो रहा है और नतीजा यह होगा कि किसानों को रबी की फसल में भी ५ प्रतिशत से अधिक नुकसान होगा । इसके अलावा जब सरकार क्षति का मूल्यांकन करती है तो इस नुकसान को उसके अन्दर शामिल नहीं करती है जोकि किसान को बड़े भारी पैमाने पर होने वाला है । सरकार के कायदे-कानून के मुताबिक ऐसी क्षति के लिये सरकार कोई सहायता नहीं देती है । खड़ी फसल तो बरबाद हुई ही है लेकिन उसके साथ ही साथ नदी के किनारे वाले गांवों में जो रबी की फसल मुख्य रूप से होती है, यह फसल भी बरबाद हो गई है । इससे किसान बहुत डरा हुआ है । अतः जहां सरकार की ओर से मौजूदा फसल के नष्ट हो जाने पर उसकी सहायता की जाती है, उसे भविष्य में जो किसानों का नुकसान होने वाला है उसका भी ध्यान रखना चाहिये । उसके लिये खरीफ और रबी दोनों का लगान माफ होना चाहिये, उनके पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था होनी चाहिये, बड़े पैमाने पर लोगों को तकावी दी जानी चाहिये, तथा टेस्ट वर्क की व्यवस्था होनी चाहिये ।

इस सिलसिले में सरकार विद्यार्थियों को फीस में माफी और वजीफे भी देती है लेकिन इस बड़े पैमाने पर हुई क्षति को देखते हुये वह सहायता भी नाकाफी है । सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि बाढ़ क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों की साल भर की फीस माफ कर दी जायगी । उसके अलावा जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था सरकार करती है वह भी बड़े पैमाने पर होनी चाहिये वरना गरीबों के बच्चों की पढ़ाई बंद हो जायगी । यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी ।

ऐसा भी होता है कि समय पर जिस अधिकारी को वहां जाना चाहिये वह नहीं जाता है । टौंस नदी में जब बाढ़ आई तो मैं उधर दौरा कर रहा था और मैं जानता हूं कि उस समय तक सरकार का एक भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था । जब लेखपाल को यह पता लगा तो दूसरे दिन वह वहां पहुंचा और घंटे भर के अन्दर उल्टी-सीधी रिपोर्ट अधिकारियों के पास भेज दी ताकि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो सके । ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये । केवल जिलाधीश को आदेश देने से काम चलने वाला नहीं है । चाहे जितना उच्च अधिकारी हो उसको फौरन दौरे पर जाना चाहिये । केवल लेखपाल अथवा पंचायत सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये । जो रिपोर्ट गांव सभाओं और जन-संस्थाओं की ओर से आती हैं सरकार को, उनके अनुसार भी सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिये और उनको सही समझना चाहिये ।

सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिये एक मास्टर प्लान तैयार की है । लेकिन यह प्लान बड़े छोटे पैमाने पर तैयार किया गया है । सूबे में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर नदियों से बरबादी होती है उसके मुकाबले में वह बहुत छोटी है । जो प्लान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई है वह करोड़ों रुपये के नुकसान को देखते हुये बहुत छोटी है और उसको पहली पंचवर्षीय योजना में ही आ जाना चाहिये था । अगर आज भी यह प्लान बनाया गया है तो उसको एक बड़े पैमाने पर बनाया जाना चाहिये था ।

पिछले साल कहा गया कि गांवों को ऊंचा करने की जरूरत नहीं है । इसी सदन में सिंचाई मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि उनके पास रुपया नहीं है और वे ऐसी कोई आवश्यकता

[श्री चन्द्रजीत यादव]

भी नहीं समझते । लेकिन आज न्याय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि ७ हजार गांवों को ऊंचा किये जाने की आवश्यकता है, यह खुशी की बात है । इन बातों के लिये बड़े पैमाने पर कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिये और उसमें देश और प्रदेश के बड़े-बड़े विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिये जिससे लोगों के धन-जन की भविष्य में रक्षा की जा सके। जो नुकसान प्रदेश में होता है उसके बारे में कमेटी पूरी तरह से जांच करें और जांच करने के बाद एक मास्टर प्लान तैयार करे और उसको तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाय ताकि हर साल आने वाली लोगों की मुसीबत को दूर किया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई राजनीतिक प्रश्न अथवा प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है इसलिये इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और विचार कर के इसके बारे में इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि प्रदेश की जनता का सही मानों में हित हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री माताप्रसाद जी, चूंकि काफी मेम्बर बोलने के लिये उत्सुक हैं, इसलिये आपके लिये ४ मिनट का समय है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, जौनपुर में भी बाढ़ की बहुत ही गम्भीर समस्या है । गोमती नदी जौनपुर, शाहगंज और केराकत तहसील से होकर बहती है । पिछले साल भी गोमती से बहुत काफी हानि हो चुकी है और इस साल भी बहुत काफी नुकसान हुआ है । यों तो मकान गिरे, फसलें बर्बाद हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो जौनपुर का हुआ, वह यह कि ४०० वर्ष पुराना जो ऐतिहासिक शाही पुल है, वह खतरनाक हो गया है और उस पुल के एक हिस्से से ही ट्रक व दूसरी सवारियां जाती आती हैं। इसके लिये वहां पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है । पिछले पी० डब्ल्यू० डी० बजट भाषण के मौके पर मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि वह पुल बहुत खतरनाक हो गया है । मैं नहीं कह सकता कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? मैं समझता हूं कि इसका प्रबन्ध शायद आर्कियोलाजिकल डिपार्टमेंट के अन्दर है जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन है । तो प्रान्तीय सरकार को चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे कि वह इस पुल की मरम्मत की बहुत शीघ्र व्यवस्था करे ।

माननीय, जैसा कि मैंने बतलाया कि तीन तहसीलें, जो जौनपुर जिले की बाढ़ से ग्रस्त हैं उन सब के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन शाहगंज तहसील जो हमारा क्षेत्र है, वहां जो नुकसान हुये हैं उसके आंकड़े मेरे पास हैं । इस क्षेत्र के करीब २६ गांव १२ रोज तक पूर्णतः बाढ़ में डूबे रहे और १४ गांव ऐसे रहे जो कि आंशिक रूप से डूबे रहे । इन गांवों में माननीय, कुछ गांव तो ऐसे थे जहां के रहने वाले पीने के लिये पानी भी दो-दो मील दूर से नाव पर लाते थे । सबसे बड़ी परेशानी वहां के लोगों को पाखाना व पेशाब करने की थी । क्योंकि वहां कोई जमीन खाली तो थी नहीं । इसके लिये भी वे दो-दो और एक-एक मील दूर जाते थे और वहीं पर निवृत्त होते थे तथा वहीं से पानी भी पीने के लिये लाते थे । इस प्रकार करीब १० रोज तक वहां की जनता बहुत बुरी तरह से परेशान रही । शाहगंज तहसील के करीब २५ वर्गमील क्षेत्र में पानी ही पानी दिखलाई देता था । गोमती का पाट करीब ५ मील चौड़ा हो गया था । इस तरह से करीब ५ हजार एकड़ में बोई हुई फसलों का बहुत नुकसान हुआ है । करीब २५० मकान तथा हजारों मड़हें तथा कच्चे मकान गिरे । इस अवसर पर मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे विपत्ति काल में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सूचना मंत्री जी ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के अधिकारियों ने बड़ी सतर्कता से बाढ़ से बचाने के कार्य में जनता की सहायता की । इसका परिणाम यह हुआ कि वहां कोई भी पशु या व्यक्ति नहीं मरा। बहुत से भाइयों ने कहा कि सरकार सहायता के नाम पर लोगों को भीख देती है । मैं समझता हूं कि ऐसे आपत्ति काल में थोड़ी-सी भी सहायता देना उनके लिये जीवनदायिनी होती है । क्योंकि उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे बहुत से मजदूर हैं जिनको बाढ़ आ जाने की वजह से कोई मजदूरी

नहीं मिलती है । अगर ऐसे समय में उनको थोड़ी सहायता न दी जाय तो पता नहीं उनके मरने की अवस्था आ जाय । केवल शाहगंज में ही २०० बोरे चना, ७५ टीन किरासीन तेल, दिया सलाइयां तथा और बहुत से सामान वितरित किये गये हैं । जो यह कहा जाता है कि यह कोई सहायता नहीं हुई, अगर ऐसे आपत्ति काल में कुछ सहायता नहीं दी जायगी तो जो बिलकुल गरीब हैं वे तो बिना मौत के ही मर जायेंगे ।

दूसरे जो पांच-सात गांव ऐसे हैं, जैसे प्रसादपुर, उदयीपुर, दीपी, बीरमपुर, पीलकिच्छा आदि, खतरे में हैं इन्हें बचाने के लिये प्रसादपुर में ठोकर बनना चाहिये । यहां की फसल बिलकुल ही बर्बाद हो गई है इसलिये उनकी लगान माफ होनी चाहिये । इसका नियम तो यह है कि जहां ८ आने का नुकसान हो वहां ही लगान की माफी की जाती है, लेकिन मान लीजिये कि जिस गांव में केवल ६ आने का ही नकसान हो और कुछ ऐसे किसान हों जिनकी सभी फसलें उस नुकसान में आ जाती हैं तो विधानतः उस गांव में छूट नहीं दी जाती है । इसलिये मंत्री जी को चाहिये कि जितना एरिया बाढ़ में डूबा हुआ है उसमें से जिस किसान का ज्यादा नुकसान हुआ है उसको छूट दी जाय । लेकिन आज कल .....

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त । माननीय अहमद बख्श पांच मिनट हैं । अपने जिले तक ही भाषण को सीमित रखिये ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में ज्यादा नहीं कहना है । जो बात अर्ज करनी है वह यह है कि जहां तक बाढ़ का सवाल है, यह कहा जा सकता है कि हमारे जिले में बाढ़ से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि वाटरलागिंग से होता है । मुजफ्फरनगर जिला ऐसा है, और खास तौर से तहसील जानसठ का इलाका ऐसा है, जहां वाटरलागिंग होती है । इसके पहले भी मैंने अर्ज किया है कि इस समस्या को हल करने की सख्त जरूरत है और उसके लिये सब से पहली तवज्जह नालों पर होनी चाहिये । पांच मील से कम लम्बा नाला तो प्लानिंग डिपार्टमेंट खोदता नहीं है । पांच मील से कम लम्बा अगर खोदना हुआ तो जमीन मिलने में भी किसान को बड़ी दिक्कत होती है । वर्षों उसमें लग जाते हैं । अगर वह खोदने की कीमत नहीं दे सकता तो भी बड़ी दिक्कत का सामना होता है । इसलिये इतनी तरमीम तो होनी ही चाहिये कि पांच मील से कम अगर कोई नाला खोदना चाहे तो सरकार उसे जमीन हासिल कर के दे और काश्तकार उसे खोद ले । अभी गांव में ऐसी हालत नहीं है कि उसके लिये चन्दे से रुपया इकट्ठा किया जा सके या पंचायत फंड से दिया जा सके । पश्चिमी जिलों को बचाने की यह सूरत हो सकती है कि नालों की समस्य हल हो जाय । इससे वाटरलागिंग की समस्या हल हो जायेगी । बाढ़ से तो पानी बढ़ा और उतर गया, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जहां वाटरलागिंग होती है वहां महीनों पानी नहीं सूखता है और जमीन इस काबिल नहीं रहती कि काश्त हो सके । इससे काश्तकार को वर्षों तक बेकार रहना पड़ता है । जानसठ तहसील में भरने के बाद पानी मुन्तकिल होता है तहसील मवाना की तरफ । तो मैं गुजारिश करूंगा कि पांच मील से कम लम्बाई के नालों के लिये जमीन एक्वायर कर के दी जाय और जमीन हासिल करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाय । जो दो-तीन साल लग जाते हैं यह नहीं होना चाहिये । उसकी कीमत सरकार दे दे और जो गांव माली परेशानी में हैं, खुदाई की कीमत भी नहीं दे सकते, वहां सरकार खुदाई की कीमत भी दे दे तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि एक तो उनकी माली हालत गिरी हुई है और दूसरे फ्लड से वह और भी तबाह हो जाते हैं ।

एक गांव है ढांसरी, जिससे महलकी तक तहसील जानसठ में, करीब साढ़े चार लाख रुपया मंजूर हुआ वहां नाला बनवाने के लिये, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग प्वाइंट आफ व्यू से वहां नाला खोदना ठीक नहीं समझा गया । यह सब मानते हैं कि यहां से पानी निकलना चाहिये, करीब १० हजार एकड़ जमीन वहां जेरेआब पड़ी रहती है । पानी भर जाता है और काश्तकारों की

[श्री अहमद बख्श]

जमीन खराब होती है तो कोई न कोई तरीका होना ही चाहिये । यह कह कर बात नहीं टाली जा सकती कि पानी का बहाव इस तरफ नहीं हो रहा है या कोई नहर के नीचे साइफन बनानी पड़ेगी और उसमें कीमत बहुत ज्यादा लगेगी । हमें उन दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा।

आखीर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वाटरलागिंग का जहां तक सवाल है, इसकी तरफ पहली तवज्जह दी जाय । यह नहीं हुआ तो अन्न की समस्या भी वहां हल नहीं हो सकती तावक्ते कि आपने पानी और खाद का इन्तजाम कर दिया और जमीन इस काबिल नहीं रही कि वह जोती व बोई जा सके तो कोई फायदा उन चीजों के जुटाने से नहीं हो सकता जब तक कि वाटर, लागिंग का मसला हल न हो जाय । तो मैं मंत्री जी से मोअदबाना अर्ज करूंगा कि वह इस मसले की तरफ तवज्जह करें और इसको हल करें जिसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा और मशकूर हूंगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से इस साल सारे प्रदेश में वास्तव में बड़ी तबाही हुई । मैं इन ५ मिनट में सिर्फ गोंडा जिले की बात बतलाना चाहता हूं कि यह ऐसा बदकिस्मत जिला है जहां घाघरा, सरयू और राप्ती सब नदियां बह कर निकलती हैं । ये सब दरिया बहराइच से निकलते हैं और बहराइच जिल में इनका पाट भी गोंडा जिले के मुकाबले बहुम कम है । दूसरे बहराइच जिले में १२ लाख आदमी बसते हैं जब कि गोंडा जिले में १८ लाख रहते हैं और बहराइच जिले का रकबा भी ५०० स्क्वायर माइल गोंडा जिले से कम है । लेकिन गोंडा जिले में जलमग्न भूमि १ लाख ७७ हजार एकड़ दिखाई गयी है जब कि बहराइच जिले में २ लाख ३३ हजार । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि खास तौर से चूंकि यह पड़ोसी जिला है उस पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे ।

दूसरी बात यह है कि दैवी प्रकोप से जो है वह तो है ही, लेकिन सरकार के प्रकोप से जो है उस पर माननीय मंत्री ध्यान दें । हमारे जिले में ५,७ जलाशय बनाये गये हैं जिनसे सिंचाई का काम होता है । वे न मालूम कैसी मिट्टी, गारे से बनाये गये हैं कि जब पानी ज्यादा बरस जाता है तो वे टूट जाते हैं और १०,२० गांव हर साल तबाह कर देते हैं । इस साल कोहर गड्डी का बांध टूट गया । उससे २० गांवों में न अन्न रह गया और तमाम जानवर मर गये, आदमी भाग नहीं सके । ऐसा होता है कि ५, ६ फुट एक दम से पानी हाहाकार कर निकल जाता है । यह मुसीबत सरकार की तरफ से बरपा कर दी गयी है ।

सरकार की तरफ से तकाबी जो दी जाती है इसमें भी बड़ी कठिनाई है । गोंडा जिले का मसला है । एक आदमी को १०० रुपये की तकावी मंजूर हुई । घूमते-फिरते जब उसे खजाने से रुपया प्राप्त हुआ तो उसको मिले ५१ रुपये । उसने ले जा कर एस० डी० ओ० के सामने रख दिए । उसने कहा कि सब का हिस्सा दे दिया, तुम्हारा जो हो वह भी ले लो । बकिया घर को ले जाऊं, वह बेचारे क्या करते ? उन्होंने डांट-डूंट दिया कुछ काम बना नहीं । मेरी समझ में कोई बात आती नहीं जो मंत्री जी को बतला दूं, लेकिन वास्तव में ईमानदारी की बात यह है कि काम ऐसा किया जाय जो सही हो जाय और कोई हल अवश्य निकालना चाहिये जिससे यह परेशानी दूर हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---नाम और पता बतला दीजिये ।

श्री बलदेवसिंह---ठीक है मैं भेज दूंगा आपके पास । बरसात बीत चुकी थी । दैवी प्रकोप अक्तूबर में हुआ और जहां यह बंधा टूटा वहां तमाम खेत में पानी भरा हुआ है । नवम्बर तक सूखने वाला नहीं है । जब सूखेगा तो बुवाई होगी । इस तरह से दोनों फसलें चली गयीं । जो लोग घाघरा, सरयू तथा राप्ती के किनारे रहते हैं, उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं अपनी फीस तक नहीं दे सकते । बहुत से लोग कहते हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जायगी । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनकी फीस वह सहायता के रूप में दे दें जिससे उनका कुछ कल्याण हो सकेगा ।

ये जो बन्धे बनाये जाते हैं यह कृपा कर ऐसे बनाये जायं कि हमारे लिये विपत्ति के कारण न हों। हर साल एक, दो जलाशय टूट जाते हैं। इनकी जांच होनी चाहिये क्योंकि ये तबाही के आलम बन गये हैं। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि जहां तक छात्रों की फीस का ताल्लुक है वह जरूर उनको दे दी जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह हम कर चुके हैं।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माल विभाग पर बोलने का मजा चौधरी साहब के जाने के साथ जाता रहा। ठाकुर साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है बल्कि कुछ मांग करनी है कि कम से कम हमारे जिले फैजाबाद में और खासतौर से बीकापुर तहसील का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें जो तकावी बांटी गयी है वह गो-दक्षिणा की तरह से किसी को १६ आने किसी को २० आने दी गयी है। तो वह कोई ब्राह्मणों को दान तो दिया नहीं जा रहा था वह तो तकावी ही दी जा रही थी। लिहाजा अगर तकावी दी जाय तो इस तरह से दी जाय कि उस से कुछ फायदा हो सके। बीकापुर तहसील के पूर्वी हिस्से में बाढ़ आयी और उस में तमसा नदी की वजह से काफी नुकसान हुआ। यह ठीक है कि नदी के बहाव को न कम किया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब सही में बाढ़ आयी हो तो माल विभाग के लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिये।

केवल बाढ़ ही नहीं हमारे जिले में चकबन्दी भी हो रही है। एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ चकबन्दी। तो हम पिसे जा रहे हैं। चकबन्दी में ए० सी० ओ० घूस ले, सी० ओ० घूस ले, चाहे सेटिलमेंट आफ़िसर साहब हों, चाहे डिप्टी डायरेक्टर साहब हों, कुछ पता नहीं चलता। अगर हम चकबन्दी के मुकदमे में नहीं पहुंच पाते, हम बाढ़ ग्रस्त हों, चाहे कुछ भी हों, मजबूरन हमको हाजिर होना होगा। चकबन्दी का कानून मार्शल-ला है जिसमें न सबूत की जरूरत, न सफ़ाई की जरूरत, बस फैसला होना है। लिहाजा अब उस माल विभाग के बारे में जो चौधरी साहब की दूसरी देन है लेखपाल महोदय, क्या कहूं वह तो हैं नहीं, नहीं तो मुखारबिन्द पर लालिमा होती। ठाकुर साहब तो बहुत पुराने तजुरबेकार लोगों में हैं, वह तो महज हंस कर के और मसखरेपन में ही हमारी शिकायतों को दूर कर देंगे। हम फसल भी नहीं बो पा रहे हैं। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो बीज का इन्तजाम हुआ करता था वह बीज गोदाम भी मौजूद नहीं हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हर तरह के बकाया, वह चाहे जिस मद के हों, रोके जायं और तकावी दी जाय। साथ ही साथ इस बात का खयाल रखा जाय कि लगान में जो छूट दी जाती है वह वस्तुस्थिति के अनुसार दी जाय। बीकापुर तहसील में लगान की वसूली मुल्तवी कर दी जाय और जो छूट दी जाय वह वस्तुस्थिति के अनुसार दी जाय। आजकल जिलों में होता यह है कि अगर कलेक्टर महोदय की समझ में आ गया तो तहसीलदार और लेखपाल भी मान लेते हैं और अगर जिले का रुख खराब है तो नुकसान चाहे जितना हो कोई मानने के लिये तैयार नहीं होता। आखिर में मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ यही कहूंगा कि लगान में छूट दी जाय, लगान वसूली मुल्तवी होनी चाहिये और तकावी मिलनी चाहिये।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवरिया जिले से आता हूं जो बाढ़ का बहुत बड़ा शिकार है और काफी क्षतिग्रस्त है। इस जनपद में बड़ी गंडक और छोटी गंडक जो नदियां हैं और उसके किनारे बसा जो हाटा तहसील का उत्तरी भाग है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि बड़ी गंडक का कटाव जो हुआ है, पानी यद्यपि अब निकल गया और उससे राहत हुई है, लेकिन जो गांव पानी में बिलकुल विलीन हो गये उनका तो अस्तित्व हमेशा के लिये समाप्त हो गया है। छितौनी के आसपास १० गांवों का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो गया है। १७ गांवों में दरिया का कटाव जारी था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद]

छितौनी से विहार को एक बांध जाता है वह इस कटाव के कारण हमेशा के लिये समाप्त हो गया है और छितौनीघाट स्टेशन हमेशा के लिये बह गया। इसी के पास एक कटाई भटपुरवा गांव है जिसमें २ सौ परिवार शरणार्थी की शक्ल में पड़े हुये हैं और उनके बसने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह दो सौ परिवार जो सड़क के किनारे पड़े हुये है उनके लिये वे कोई न कोई प्रबन्ध करें।

इसके अलावा बुलहवा बाजार (१) के पास छितौनी के पास पकरिहवा गांव के आसपास कटाव जारी है। यह कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। यदि वहां का बांध टूटा तो पूरा २५ मील, छितौनी से लेकर पडरौना तक बड़ी गंडक की एक धारा बन जायगी और इसके कारण सकड़ों गांव जलमग्न हो जायेंगे।

हमारे क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई। छोटी गंडक में घुघली के पास बैकुण्ठीघाट है। उसके पास गत ३० अक्तूबर को ५ बजे शाम को एक नाव डूब गई और उसके कारण ६ आदमी मर गये और कहा नहीं जा सकता कि जो आदमी उसमें बैठे थे उसमें से दरिया में कितने डूब गये या क्या हुआ। यह सब आदमी जब नाव में जा रहे थे उस समय नदी के किनारे तेज धारा में नाव ने आते आते करवट ले ली और डूब गयी। १ लड़का घुघली में पढ़ता था, वह उसी नाव से आ रहा था वह भी उस में मर गया। कोठीमार के दारोगा ने लाशों की तलाश की और ४ लाशें तो दूसरे दिन और २ लाशें तीसरे दिन प्राप्त हुईं। मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां घाट पर कोई सुन्दर व्यवस्था नावों की होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि वहीं नहीं सभी घाटों पर अच्छी नावों की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी तरह से भेड़िहारी से मदनपुर के जंगल में बाढ़ पीड़ित लोग बसे हुये हैं। हाटा तहसील के दक्षिण भाग में हेतिमपुर तक सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं और उससे काफी बड़ी क्षति हुई है। इसी तरह से बड़ी गंडक से गांव बिलकुल नष्ट हो गये हैं। नारायणपुर एक गांव है, उस गांव के किनारे जंगल में लोग बसे हुये हैं, लेकिन आज जंगल वाले उनको परशान कर रहे हैं और वहां से भी उनको हटा रहे हैं। जो किसान वहां बसे हुये हैं उनको फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से नोटिस दी गई है कि यहां से खाली कर दो।

इस तरह से कटाई भटपुरवा के दो सौ परिवार और भेड़िहारी के दो सौ परिवार यानी ४ सौ परिवारों को बसाने की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था कर देना आवश्यक है। हम सरकार से ज्यादा चीजों की मांग तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बात की आवश्यकता समझते हैं कि जो फसल बाढ़ के कारण खत्म हो गयी है उसके लिये उनको लगान में छूट दी जाय

साथ ही हमारे देवरिया जिले के अन्दर गन्ना प्रधान पैदावार है। वह फसल सूख गयी है और शुगर फैक्टरी चलने को है तो जो गांवों में गन्ना बचा है उस गन्ने को शीघ्र ही फैक्टरियों में गिराने का प्रबन्ध होना चाहिये। साथ ही किसानों का जो पैसा मिल मालिकों पर पिछले सीजन का गन्ने का बाकी है वह किसानों को मिल जाना चाहिये जिससे किसानों की जो फसल बरबाद हो गयी है तो उससे वे आगे अपना काम चला सकें।

बड़ी गंडक और छोटी गंडक के क्षेत्र में और विशेषकर हाटा तहसील में मालगुजारी माफ हो जानी चाहिये। जो टेस्ट वर्क का काम होने जा रहा है उसके लिये जो पैसा भेजा गया है उसमें वृद्धि होनी चाहिये। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट वर्क्स खुलने की आवश्यकता है। बीज की तकावी के लिये जो पैसा गया है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उसमें और ज्यादा रुपया बढ़ाने की आवश्यकता है। हजारों एकड़ भूमि बह गयी है और किसानों की फसल नष्ट हो गयी है, उसको देखते हुये जो सहायता सरकार ने दी है वह बहुत ही अपर्याप्त है। और अधिक सहायता की आवश्यकता है।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे समय देने की कृपा की। श्रीमन्, हमारे बस्ती जिले में १२-१३ दरिया हैं। जैसे घाघरा ,मनवर, कुआनों, राप्ती और बानगंगा आदि। इन दरियाओं की बाढ़ के कारण हजारों गांव तबाह हुये हैं। मैं श्रीमन्, जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं वहां की परिस्थिति बड़ी गम्भीर है। हरैया तहसील में विशेशरगंज में एक बांध बना था जिससे घाघरा नदी का पानी मनवर नदी में न आये। दुर्भाग्य से इस वर्ष वह बांध टूट गया और घाघरा का पानी मनवर नदी में बहा दिया गया और वह पानी कुआनों नदी में गया तो इन तीनों नदियों के पानी से सैकड़ों गांव बाढ़ ग्रस्त हो गये

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जब बाढ़ आई थी तो माननीय उपमंत्री जी ने स्वयं जा कर देखा था। पहली बाढ़ खत्म होने के बाद दुबारा बाढ़ फिर आई।

मान्यवर ,पहली बाढ़ से धान की फसल खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुबारा बाढ़ आने से जो गन्ने की खेती बची थी और जड़हन की खेती बची थी वह भी साफ हो गई और वहां की अब हालत यह है कि जो बुआई का मौसम है, उसमें भी बोने में किसान पिछड़ते चले जा रहे हैं। मतलब यह है कि जो रबी की फसल होगी उससे भी वे वंचित रह जायेंगे। क्योंकि इधर आगे चलकर फागुन, चैत की हवा चलती तो जो पिछड़ी फसल होती है वह सूख जाती है। इसलिये श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बांध टूट गया है उसको फिर से मजबूती के साथ बंधवा दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि एक योजना यह थी कि छावनी से लेकर बस्ती, गोरखपुर से आगे चलकर धाघरा नदी के किनारे बांध बांध दिया जाय। यदि हो जाय तो हजारों गांव बाढ़ से बच जायंगे। एक तरफ तो अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न है और दूसरी ओर बाढ़ से जो पैदा होता है वह भी तबाह हो जाता है। घाघरा नदी से एक भलदहवा नाला निकलता है जो कुआनों नदी में मिलता है। इस नाले से वहां के निवासी तबाह और बरबाद होते हैं। मैं अधिक न कह कर केवल यह निवेदन करूंगा कि जो बांध टूट गया है उसको बनवाने की कृपा की जाय और दूसरे इस योजना को पूरा किया जाय।

जहां तक सरकारी अधिकारियों का संबंध है जैसे जिलाधीश, हाकिम परगना, तहसीलदार और कानूनगोयान वगैरह, उनके काम से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं दूसरी जगह के सम्बन्ध में नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैने अपने क्षेत्र में कई बार बाढ़ के समय दौरा किया। मान्यवर, कर्मचारियों द्वारा जितनी सहायता पहुंचनी चाहिए, नाव की सुविधा और गल्ला आदि बांटने की सुविधा, उन्होंने जो भी सहायता की उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका काम बहुत अच्छा है।

मैं खलीलाबाद तहसील को भूल गया था, बस्ती, खलीलाबाद और हरैया इन तीनों तहसीलों में बाढ़ ने बहुत तबाही की है। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन तीनों तहसीलों में टेस्ट वर्क्स चलायें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जब किसान तबाह हो गया है तो मजदूरों की मजदूरी कहां लगेगी? वह तबाह हो जायंगे। मान्यवर, कई सौ घर गिर गये हैं, मैं हरिजनों के लिये नहीं कहता, जो गरीब हैं उनके बहुत से घर गिर गये हैं। हरिजन तो गरीब हैं ही। उनके झोपड़ों की दीवारें कच्ची होती हैं। उनको बनवाने के लिये सरकार काफी ध्यान दे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ की समस्या बदकिस्मती से हमारे प्रदेश के लिये एक हर साल की बला बन गयी है। सरकारी कागजों के देखने से ज्ञात होता है कि लगभग १८ फीसदी खेती की भूमि, यानी साढ़े ६७ लाख एकड़ भूमि का औसत है जो हमारे प्रदेश में हर साल जलमग्न हो जाती है। इस साल ५१ लाख एकड़ भूमि जलमग्न हुई। माननीय माल मंत्री ने जो लेखा उपस्थित किया उसके सम्बन्ध में मान्यवर, दो बातें बिलकुल साफ

[श्री त्रिलोकीसिंह]

तौर पर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों द्वारा, चाहे वह जिस पक्ष के हों व्यक्त की गयी हैं। एक तो यह कि जो लेखा उन्होंने उपस्थित किया है वह सही तस्वीर नहीं। जितना नुकसान हुआ है उसका सही तौर पर उल्लेख उनके लेखा में नहीं आया है।

दूसरे यह कि जितनी सहायता सरकार द्वारा ऐसी मुसीबत में होनी चाहिये थी जिसके लिए सरकारी नियम सरकार को बाध्य करते हैं उतनी नहीं की गयी। मुझे अफसोस हुआ जब माननीय माल मंत्री ने अपनी बात को उपस्थित करते समय यह कहा कि जो उनके पास पूंजी है उसके अन्तर्गत वह सहायता करने के लिये बाध्य हैं। ऐसा नहीं है। कानून इस बात के लिए सरकार पर जिम्मेदारी डालता है। इसके लिये नियम बने हुये हैं कि इतना नुकसान हो तो इतनी मात्रा में सहायता होगी वह सहायता देने का सरकार का कर्त्तव्य है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी सरकारी कोष में मालूम होती है तो इस आदरणीय सदन के पास सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के साथ उसे पेश कर सकती थी और यह समझ कर कि सदन में बहुमत उनके पक्ष में है वह सदन की मंजूरी का भरोसा करते हुये उसको खर्च भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्रीमन्, ५१ लाख एकड़ भूमि मंत्री महोदय के कथन के अनुसार जलमग्न हुई। तकावी ६० लाख रुपया है यानी लगभग २० आने, २१ आने फी एकड़ पड़ी। इस तकावी का क्या इस्तेमाल होगा? इतने का तो बीज भी पूरा नहीं पड़ेगा और नाम मात्र के लिए यह सहायता है, जैसी कहावत है कि 'ऊंट के मुंह में जीरा'। माननीय माल मन्त्री जिक्र करते हैं कि तीन लाख से अधिक मकान ध्वस्त हुए, उनकी मदद के लिए कितना रुपया देते हैं? २२ लाख रुपया। यानी ७ रुपये १ आने फी मकान। यह क्या तमाशा है? यह किस अनुपात से उन्होंने दिया? नुक्सान के अन्दाज से या कोई सदाव्रत था? एक जिले में देते, दो जिले में देते, तीन जिले में देते, लेकिन जिनको मदद देते उनको पूरी मदद देते। गोया कि एक फर्ज अदायगी करते हैं और कहते यह हैं कि हमेशा यह बाढ़ आती रही है और हमेशा आती रहेगी। मैं उनके इस कथन से सर्वथा सहमत हूं कि बाढ़ आयी है और बाढ़ आयेगी। लेकिन बाढ़ दो प्रकार की हैं— एक तो बाढ़ दैवी प्रकोप है, नेचुरल कैलेमिटी है और एक बाढ़ मैन मेड बाढ़ है जिसकी जिम्मेदार खुले तौर पर, सीधे तौर पर यह सरकार है।

माननीय मंत्री जी ने गोवर्धन में बाढ़ का जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वह यह बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन, मथुरा जिले में बाढ़ आने का कारण क्या था? वहां वर्षा अधिक हुई थी या कोई बांध टूट गया था? मैं मान्यवर, उनसे यह भी आशा और अपेक्षा करता हूं कि वह जिस वक्त बुलन्दशहर जिले की बाढ़ का जिक्र करें तो बतायें कि बांध के कटने की वजह से बाढ़ आयी या पानी अधिक बरसने से बाढ़ वहां आयी? और जब नारायणी और गन्डक का पुनः जिक्र करने की कृपा वह करें तो यह बतायें कि क्या यह वाकया नहीं है कि उनके सरकारी विभाग के इंजीनियरों ने इस बात का प्रयत्न किया कि बड़ी गन्डक में जब पानी आया तो कुछ पानी वह छोटी गन्डक में भी छोड़ दें? वहां कोई फाटक लगा हुआ था। इन्होंने चाहा कि थोड़ा पानी उस फाटक से छोटी गन्डक में छोड़ दें, लेकिन वह फाटक भी उखड़ गया और नतीजा यह हुआ कि इतना पानी उससे आया कि कई सौ वर्गमील भूमि २४ घंटे और ३६ घंटे के अन्दर जलमग्न हो गई। कौन साहब इसके जिम्मेदार हैं?

मैं स्वयं इनके जिले की बात को पेश करना चाहता हूं जिसके बारे में कोई बहाना नहीं हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय को ज्ञान नहीं है। तहसील नानपारा में और तहसील कैसरगंज में एक बांध बंधा है। यह बांध उस क्षेत्र को घाघरा की बाढ़ से बचाने के लिये बांधा गया था। लेकिन क्या यह वाकया नहीं है कि इस बांध और घाघरा नदी के बीच में लगभग साढ़े चार सौ गांव आ गए? यह कहां का न्याय है कि सरकार लखनऊ को बाढ़ से बचाने के लिए, कानपुर शहर के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ा दे? बांध बनाया जाता है गांवों की आबादी को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए। लेकिन तहसील कैसरगंज तथा तहसील नानपारा में जो

बांध बना है उससे ४५४ गांव उस बांध और नदी के बीच में आ गए। यदि नदी पहले दो फुट उठती थी और दस मील फैलती थी तो इस बार चार मील फैली और दो फुट के बजाय ८ फुट ऊंची उठी जिससे कि गांव के गांव समूल नष्ट हो गए।

क्या माननीय मन्त्री को पता नहीं है कि जब गत वर्ष बांध फटा था तो कितने गांव बिल्कुल साफ हो गए? यह किसकी गलती है? मुझे अफसोस है--एक उम्र होती है किसी की जिसमें कभी-कभी अल्हड़पन भी अच्छा मालूम होता है--लेकिन यह सरकार यह कहती है कि हमारे पास फ्लड कंट्रोल बोर्ड है। लखनऊ में पिछले साल अक्तूबर सन् ६० में बाढ़ आयी। नवम्बर, सन् ६० में २ करोड़ १० लाख की योजना बन गई--शेखचिल्ली की योजना। नदी के ३०० फुट की पाट को ७०० फुट का पाट बना देंगे। थोड़ी दूर उत्तर की तरफ ले जायेंगे, और थोड़ी दूर कुछ मकानात मखसूस को बचाने के लिए दक्षिण की तरफ़ मोड़ देंगे। नदी क्या हो गई इनके घर का एक खिलवाड़ हो गई या बच्चों का छछूंदर का पटाखा हो गयी कि जिस तरफ चाहा नचा दिया या फेंक दिया। इस प्रकार से प्रदेश को बाढ़ के प्रकोप से नहीं बचाया जा सकता और मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि इस प्रदेश में बाढ़ न आये १८ फीसदी हमारी कृषि की भूमि हर साल जलमग्न न हो तो इस पर सोच-विचार करें, गौर करें। केवल ६७ करोड़ रुपये का एक मास्टर प्लान बना देने से ही काम चलने वाला नहीं है और मैं पूछता हूं किन लोगों ने यह मास्टर प्लान बनाया है? लखनऊ में जो गोमती को बाढ़ से बचाने की योजना है उसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बातें कीं, उसके लिए चीफ इंजीनियर से बातें कीं, उसके लिये लखनऊ जिले के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से बातें कीं और उसके लिये फ्लड कंट्रोल बोर्ड से बातें कीं। कोई साहब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि इसके बनाने का जिम्मेदार कौन है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड से पास हो गया। मुफ्त का रुपया है जितने दिन मौका मिले खूब उड़ाइये। इस प्रदेश ने यह जिम्मेदारी इस सरकार के हाथ में दी है। उसको यक़ीनन अधिकार है कि वह उसका बेजा सरफा करे। उसको हक़ है और उसके लिये मौक़ा है कि वह मुल्क का सरमाया इस तरह से सर्फ करे जिस तरह से मुल्क की बरबादी हो, लेकिन याद रखें कि यह बरबादी बहुत दिनों तक नहीं चलने पायेगी। इस प्रदेश की जनता करवट बदलेगी और सब आंखों के सामने आ रहा है।

यह सही है कि इन्तजाम इस बार अच्छा हुआ है। मैं लखनऊ के बारे में कह सकता हूं कि साल गुजिश्ता के मुकाबले में इस वर्ष सरकारी अधिकारी ज्यादा सतर्क रहे और उन्होंने मदद पहुंचाई, लेकिन मान्यवर, यह भी वाक़या है कि जहां शहर में मदद ४ घंटे पहले पहुंची या दो घंटे बाद पहुंची वहां देहात में ७ दिन बाद आटा और नमक प्राप्त हुआ। यह भेद-भाव क्यों? लखनऊ शहर में आटा और दाल बांटा गया, लेकिन देहात में १८ अक्तूबर को, १० अक्तूबर को बाढ़ का जोर होने के बाद लखनऊ से दो मील दूर पर बारी कलां में, केवल आटा और नमक तकसीम किया गया। सरकार को यह शोभा नहीं देता कि वह इस तरह से भेदभाव करे। मैं तो इस बात का क़ायल हूं कि इस सरकार को यह चाहिये कि इस प्रदेश को बाढ़ से कैसे बचाया जाय। इसके लिए कुछ विशेषज्ञों की समिति का निर्माण करे। इसके लिये दूसरे लोग जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वे लोग जिनको इस बारे में कुछ ज्ञान है, उनको इसका अवसर प्राप्त करायें कि वह इन विशेषज्ञों के सामने समस्याओं को उपस्थित करें और जो राज्य की समस्यायें हैं उनको उसके सामने रखें। अन्त में उनकी क्या सिफारिश हो सकती है यह तो विशेषज्ञों का काम है, लेकिन बाढ़ को किस प्रकार से नियन्त्रित किया जाय यह विशेष काम है और इसी पर ध्यान देने की बात है। रिलीफ देना या तकावी देना यह तो मोटी अक्ल के काम हैं और मोटी अक्ल का काम कोई भी सरकार और उसके मंत्री चाहे जिस योग्यता और क्षमता के हों, वह इस काम को खूबी के साथ कर सकते हैं, लेकिन बाढ़ न आये और अगर बाढ़ आये तो उससे कैसे रक्षा हो इसके लिये विशेषज्ञों की राय नितान्त आवश्यक है। अगर माननीय माल मंत्री को इस बात का ज्ञान हो तो वह बतायें कि लखनऊ में अक्तूबर में बाढ़ आई। बाढ़ की ज़मीन अभी सूखी नहीं थी कि २ करोड़

[श्री त्रिलोकीसिंह]

१० लाख की योजना बन गई। माननीय माल मंत्री बतायें कि पानी अपने ढाल से बहता है या पानी को जब चाहें तब उत्तर को बहा दें या कुछ दक्षिण को बहा दें?

मैं समझता हूं ये बाढ़ें अब और ज्यादा आयेंगी। उसके सिलसिले में एक बन्धे का जिकर किया गया। अभी मुझे सगड़ी, जिला आजमगढ़ जाने का मौका हुआ था। वहां पर मैंने उस दुर्दशा को देखा। जो आजमगढ़ के सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे वह इस बात को जानते होंगे कि शहर में सड़क के ऊपर पानी न चढ़ पाए इसलिए उस सड़क को ऊंचा कर दिया गया। सन् १९५५ में जो बाढ़ आई जब पानी सड़क को पार नहीं कर पाया तब शहर की ओर बढ़ा और सारा शहर डूब गया। यह जल्दी का काम है। जल्दी में और उजलत में काम अच्छा नहीं होता है। काम सोच-समझ कर कीजिए और पर्याप्त मात्रा में उस पर ध्यान दीजिये। कम से कम इस प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था और इन्तजाम होना चाहिये कि कोई भी बाढ़ किसी ऐसी योजना के कारण न आये कि जिसको हम सोच-विचार और समझ कर पूरी तरह से दूर कर सकते हैं।

आज हमारे यहां बाढ़ का कारण यह हो गया है कि बांध बनाने की योजना सही ढंग से नहीं हो रही है। शारदा कैनाल निकाली गई। रेल निकाली गई। नई-नई सड़कें बनती चली जाती हैं। जहां चाहते हैं बांध बांधते चले जाते हैं। पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की जाती है। गोमती का कैचमट एरिया है, लेकिन उसके तीन मील नीचे एक नई धारा निकाली गई है। पानी का बहाव उत्तर को है तो उसको दक्षिण की तरफ कर दिया। यदि पच्छिम की तरफ को है तो उसको पूरब की तरफ कर दिया गया। इस तरह से करने पर लामुहाला बाढ़ आयेगी। जब भी जोर से वर्षा होगी तो बाढ़ आयेगी। उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि पानी बहने के लिये उसको ढाल की जरूरत होगी। यह हो सकता है कि जिन लोगों के हाथ में आज देश का शासन सूत्र है और जो इस प्रदेश के राज्य का संचालन करते हैं उनके नेता ने इसी लखनऊ में अपने भाषण में यह कहा था कि कुछ कुदरत की बदतमीजियां हैं। हो सकता है कि वह कुदरत की बदतमीजी पर काबू पा जांय, लेकिन उसे रोकने के लिये जहां वह पूरा जोर लगायें तो किसी तरकीब से उसे रोक सकते हैं और उसे रोकने में मेरा भी सहयोग अर्पित है, लेकिन उनकी जो गलतियां हैं, जो सरकार की गलतियां हैं, जिस लापरवाही और असावधानी से वह काम कर रहे हैं उस तरफ उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिये और अगर उस तरफ वह ज्यादा ध्यान दें तो कुदरत ज्यादा बदतमीजी नहीं कर पायेगी। मैं उन लोगों में से हूं कि जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जिस दिन से सृष्टि रची गई और यह मनुष्य धरती पर आया उस दिन से मनुष्य ने कुदरत पर काबू पाने की कोशिश की है और वह उस कोशिश में सफल भी हुआ है और यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। जितनी ही सफलता हम उसमें प्राप्त करेंगे उतनी ही आपत्तियां कुदरती कम होती जायेंगी।

मुझे और अधिक नहीं कहना है। मैं एक सेकेंड में दोहरा देता हूं कि जितनी सहायता होनी चाहिये थी वह पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई। धन के अभाव का बहाना यह सरकार नहीं ले सकती क्योंकि ६६ लाख रुपया तकावी दी गई है जो सरकार को वापस हो जायगी, केवल ३३, ३४ लाख रुपये की सहायता की गई है १५२ करोड़ के बजट में। अगर फीसदी के हिसाब से जोड़ा जाय तो १/४ फीसदी से भी काम पड़ता है। अगर एक फीसदी भी कर दें तो डेढ़ करोड़ रुपये की सहायता हो सकती है। इस प्रकार की योजनायें बनाई जायं कि देरी काम में कम हो, लेकिन साथ ही वह उजलत में भी न हों जिससे कि काम बिगड़ जाय इसके अलावा अगर सरकार योजनाओं पर विचार कर के उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे तो जो शिकायतें और आपत्तियां लोगों को हैं वह कम होती जायेंगी। हम ऐसा करके इस प्रदेश के एक बड़े हिस्से को नुकसान से बचा सकते हैं, अपने नेशनल लास को बचा सकते हैं और करोड़ों, अरबों रुपये के नुकसान से इस गरीब प्रदेश के निवासियों को बचा सकते हैं

जिनकी आमदनी का औसत सारे देश में कम है। अगर हम और हमारी सरकार इस प्रकार काम करें तो हम इस प्रदेश के रहने वालों को इन आपत्तियों से छुटकारा दिला सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूं कि हम बाढ़ग्रस्त हल्कों के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—५ ही मिनट हैं। ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, बहुत से लोगों को बोलना है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यद्यपि मुझे ५ ही मिनट मिले हैं, लेकिन एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो या तीन दिन के बाद ही एक अनुपूरक बजट आपकी आज्ञा से हम लोगों को पास करना है और मुझे मालूम हुआ है कि सरकार विशेषतौर से कोशिश करेगी कि छोटे कर्मचारियों के लिये और पुलिस के बढ़े हुये खर्च को पूरा करने के लिये वह ४ करोड़ रुपये के अनुदान की हमारी स्वीकृति प्राप्त करे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हमें इसलिये बुलाया गया है कि हम बढ़े हुये खर्च को पास करके बजट में बढ़ोत्तरी कर दें? जो हर साल बाढ़ आती है और जिसमें इस बार ३ लाख मकान गिर चुके हैं, क्या उससे तकलीफ पाये हुये आदमियों के लिये कोई अनुदान इस बजट में सरकार ने रखा है? मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर सचेत नहीं है। वह तो जिस तरह से चलती आई है उसे हम आप सब जानते हैं उसी प्रकार चलेगी। मेरे साथ बैठे हुये माननीय सदस्य चाहे प्रतापगढ़ के हों या बाराबंकी के या शाहजहांपुर के, सब चाहते थे कि मैं उनकी तरफ से कुछ न कुछ बात आपके सामने रखता, लेकिन शायद ही माननीय माल मन्त्री जी मेरी बात सुनना गवारा करें।

श्रीमन्, हालत यह है कि जो २२ लाख की मदद दी जा रही है और जो ६६ लाख की तकावी दी गई है वह इतनी कम है जिसके लिये कि सभी सदस्यों ने शिकायत की है। माननीय माल मन्त्री जी के रवैये को देख कर मैं बहुत निराश हूं। जब कभी भी यहां ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात की जाती है तो माल मन्त्री जी उपहास के रूप में ही बातों का जवाब दे देते हैं। मैं माननीय माल मन्त्री जी से कहूंगा कि यहां पर जो भी बातें कही गई हैं उनकी तरफ वे ध्यान दें। निचले हिस्सों से पानी निकालने की बात जो यहां पर श्री अहमद बख्श ने कही वह भी ठीक है और उसी की ओर ध्यान देना चाहिये। जो श्री विकल जी ने कहा कि लोग बीच में ही सहायता का हिस्सा खा जाते हैं उस ओर भी ध्यान देना चाहिये। माननीय सदस्य जौनपुर ने छूट की पर्चियां बंटने के बारे में कहा अगर इन बातों की ओर माननीय माल मन्त्री ध्यान दें तो काफी सुधार हो सकता है।

श्रीमन्, कानपुर के बारे में मैंने पहले पूछा था तो यह कहा गया था कि गंगा में बाढ़ नहीं आई। मैं कानपुर के बारे में बताता हूं कि इस साल वहां ३० हजार के लगभग मकान ध्वस्त हो गये और १,५०० गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। जितनी हानि वहां पर हुई है उतनी हानि शायद ही कहीं दूसरी जगह हुई हो। वहां की रिण्ड व पांडव नदियों में अधिक बाढ़ आ गई। श्रीमन्, दरहरा, बिनगवां और पालहेपुर ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ आने पर पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं और ग्राम दरहरा के लोग जंगलों में रहते हैं जहां पर कभी सांप उनको काटते हैं, कभी और जंगली जानवरों का भय बना रहता है। उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। उन गांवों में अब भी पानी भरा हुआ है, कमर-कमर तक पानी अब भी है।

एक बात के लिये मैं माननीय माल मन्त्री जी को जरूर बधाई देना चाहता हूं। पहले जब हम ने विद्यार्थियों को सहायता देने की बात कही थी तो माननीय माल मन्त्री ने कहा था कि हम उनको सहायता नहीं देंगे नहीं तो यह कहा जायेगा कि "क्या कोदों दे कर पढ़े हो"। खैर, इस साल उन्होंने विद्यार्थियों को भी सहायता दी है और उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

प्रतापगढ़ के बारे में वहां के माननीय सदस्यों ने कहा है कि बलीपुर, शाहपुर, मोहदीनगर कुड़ड़ी आदि गांवों में काफी नुकसान हुआ है और बलीपुर का बांध टूट गया है। इटावा के भजन लाल जी ने भी अपने यहां की स्थिति को बताया। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन सब बातों पर ध्यान दें जो यहां कही गयी हैं और उचित सहायता भी दें। मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जिन बातों को नोट किया है उनको भी वे बतायें ताकि हम यह समझ सकें कि उन्होंने हमारी बातों को सुना भी है या नहीं।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, इस बाढ़ के बारे में हर साल एक दस्तूर सा हो गया है कि हम आंसू बहा कर रह जाते हैं और इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता। यह हमारा दुर्भाग्य है कि बाढ़ का प्रकोप हर साल बढ़ता जा रहा है। श्रीमन्, अगर मैं अपने यहां के नियोजन को नियोजन की विफलता कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नियोजन का अर्थ यह है कि ऐसी व्यवस्था हो कि जब पानी की जरूरत हो, सूखा पड़े, तो हमें पानी उपलब्ध हो सके और जब पानी काफी मात्रा में संचित हो तो उसके निकास का प्रबंध हो। ह्वांगहो को एक शोक की नदी माना जाता था। उस नदी को काबू करने में जब लोग सफल हो सकते हैं, उसके नियोजन में सफलता मिल सकती है, तो हम भी अपने इस कार्य में सफल हो सकते हैं। श्रीमन्, सरकार के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि जंगलों के कट जाने से बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। हमें मालूम है कि स्टार पेपर मिल को कितने सस्ते दामों पर लकड़ी दी जा रही है और उसके लिये जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। जब यहां पर एतराज किया जाता है कि हम लोगों को महंगी लकड़ी मिलती है तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री बढ़ेगी। हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह कोई प्रिंसिपिल नहीं है। साथ ही नया जंगल भी लग नहीं पा रहा है तो वह बाढ़ का कारण हो सकता है। इसलिये सरकार को पहले बुनियादी चीजों पर जाना जरूरी है।

तीसरे अगर हिमालय पहाड़ पर ज्यादा पानी पड़ जाता है तो उसके लिये भी योजना बनानी चाहिये। सरकार एक गंडक की योजना बना रही है, और उसी तरह से कुमायूं और गढ़वाल में बड़े-बड़े बांध बनवाये जायें तो इस समय तो हम पानी को रोकने में समर्थ होंगे और जब गर्मियों में पानी मुहइया नहीं होता तो सिंचाई के काम में वह आयेगा।

जहां तक बाढ़ का सवाल है, जैसा अभी त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि लखनऊ में बाढ़ आयी तो २ करोड़ की योजना बन गयी। मैं कहता हूं कि हर साल योजना बननी चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। जो सहायता दी गयी है उसके लिये तो हम देखते हैं कि आज विरोधी दल की तरफ से नहीं, बल्कि कांग्रेस के जो भाई बैठते हैं उन्होंने पहले पहल सही-सही बातें कही हैं। जैसा गौरीशंकर राय जी ने कहा, ज्यादा अच्छा हो कि हर साल एलेक्शन आये और सदस्यगण अपने जिले की सही बातें कह सकें। इन सबके बावजूद जैसा त्रिलोकी सिंह जी ने कहा है, चौथाई परसेंट सहायता केवल दी गयी है। मुझे किसी जिले से बुझ नहीं है, लेकिन जितना भी दिया गया है, अगर उसको देखा जाय तो सरकार की नीयत पर शक होता है। ऐसा मालूम होता है कि इससे पोलिटिकल गेन साधा गया है, बाढ़ की सहायता नहीं दी गयी है। जिन-जिन जिलों में कांग्रेस हारी है, जहां-जहां से कांग्रेसी रिटर्न नहीं हुये उन जिलों में सबसे कम सहायता दी गयी है और जहां से कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा अकसरियत में आये हैं वहां पर ज्यादा दी गयी है। उदाहरण के लिये उन्नाव ले लें। वहां पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो अफेक्टेड एरिया है वह है १,८४,०७५ एकड़; १,०६९ मकान क्षतिग्रस्त हुये; १७ आदमी मरे; ६९ पशु मरे; ३४ हजार गांव पर असर हुआ और इधर लखनऊ है, उसमें अफेक्टेड एरिया है २९,२२२ एकड़ १४८ मोहल्ले, ३९ गांव एक आदमी मरा और १,९१९ मकान क्षतिग्रस्त हुये। लखनऊ को जो मदद दी गयी है वह है ३,६५,००० और उन्नाव को केवल ६५ हजार। आगे देखिये,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला खीरी है, वहां २५,५०० रुपया मदद दी गयी है जबकि ६०,२४० एकड़ रकबा अफेक्टेड है, और गोंडा को देख लीजिये तो जो कुछ किया जा रहा है यह कोई मदद देने की नीयत से नहीं, बल्कि एक किस्म से आदमियों को बतायेंगे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो सहायता पाओगो, वरना चाहे मरो, सैलाब आये, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि लखनऊ में इसलिये कृपा की गयी है कि मंत्रिमंडल में हमारे मुख्य मंत्री हैं, उनके मित्र डाक्टर सिद्धू हैं, किशोरी लाल जी हैं मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं, खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप चुनाव को इसमें न लायें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—ये पार्लियामेंट के कैंडीडेट हैं, उनको वोट दीजिये, क्योंकि हमने सहायता दी है यह आपका मतलब है। मेरा कहना यह है कि सहायता सही नीयत से देनी चाहिये, कांग्रेस दल या कांग्रेस के व्यक्ति विशेष की नेतागिरी चलाने के लिये नहीं।

श्री सुखराम्दास (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि इस बाढ़ के विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। अब की साल इतनी बाढ़ आयी है कि जिससे प्रदेश में काफी हानि हुई है। साथ ही फैजाबाद जिले में ज्यादा बाढ़ तो नहीं आयी, लेकिन अयोध्या से खमरिया घाट तक सरयू नदी में इतना पानी उबल गया कि बहुत से गांव और घर उसमें बह गये। कितने जानवर भी बह गये। दक्षिण की तरफ तमसा नदी में भी बाढ़ आई जिससे उपरहार के गांवों में काफी हानि हुई है। वहां के लिये सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो सुखदायक हुई हो। हां, तकावी दी गई है जोकि बहुत कम है।

हमारे अयोजोशन के नेता और माननीय अवधेश प्रताप जी ने अपने क्षेत्र की बात कही है, बीकापुर तहसील की। लेकिन सुलतानपुर से जो गोमती नदी निकलती है उससे फैजाबाद में जलालपुर तक काफी लोगों पर असर पड़ा है। खरीफ की फसल में काफी नुकसान पहुंचा है। लेट पैडी में ६ फुट तक पानी भरा है। १० अक्तूबर को जो वर्षा हुई उससे तो शायद ५४–५५ की बाढ़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ। खेतों में जो खरीफ की फसल खड़ी थी उसमें कई फीट पानी भर गया जिससे किसान खेत काट भी नहीं पाये, खेतों में भी अनाज जम गया, उसमें अंखुवे निकल आये। इसके अलावा जो अनाज कटा हुआ खलिहानों में रखा था उसमें भी अंखुवे निकल आये। मेरे गांव के खलिहान में भी एक फुट पानी भरा था, लोग बोझ के बोझ उसमें से निकाल रहे थे, उसमें एक इंच तक के अंखुवे निकल आये थे। उनको तो बाढ़ से भी ज्यादा परेशानी हुई लेकिन वहां के लिये सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं पहुंचाई गई। टांडा तहसील में कई ऐसे गांव हैं जो माझा के किनारे बसे हैं उनके घर भी बह गये लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां के लिये भी वह ध्यान दे और वहां पर टेस्ट वर्क जल्द से जल्द खुलवाने का प्रबन्ध करे। वहां पर पारसाल भी टेस्ट वर्क चला था, वह सड़कें भी अभी बाकी पड़ी हैं। वह इतना बैकवर्ड एरिया है कि ८० फीसदी लोग अपनी गुजर-बसर मजदूरी से ही करते हैं। इस गरीबी के मौसम में अगर आप वहां तुरन्त टेस्ट वर्क खोल देंगे तो उनका समय आराम से कट जायगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) आपके लिये केवल तीन मिनट हैं।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस आदरणीय सदन में २४ अगस्त को हुये बाढ़ के विवाद में भी कुछ निवेदन किया था। आज भी मैं दो-तीन बातें सूत्रवत् कहना चाहता हूं। आपको विदित है कि जिस इलाके से मैं आता हूं वहां लाखों लोग बाढ़-पीड़ित हैं। आज मैं यहां पर घाघरा के पेटे में रहने वाले दो करोड़ लोगों की ओर से बोल रहा हूं, जिसमें मंत्री जी भी आते हैं। उसके पेटे में मंत्री जी भी रहते हैं इसलिये आज राजनीतिक मतभेदों के होते हुये भी हमारी और मंत्री जी की मांगों में कोई विभिन्नता नहीं है।

इस सम्बन्ध में दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक तो योजनाओं के बारे में मैं पुनः कहता हूं कि हमारी योजनाओं को आपने पहली योजना में सर्वेक्षण किया और दूसरी योजना में जलकुण्डी

[श्री उग्रसेन]

ोजना पर कम से कम १८ लाख रुपया खर्च किया । राप्ती को बांधने के लिये और छोटी गंडक और बड़ी गंडक को ठीक करने के लिये और घाघरा के कटाव को रोकने के लिये सर्वेक्षण किया, भूतपूर्व डा० सम्पूर्णानन्द के मंत्रिमंडल ने उसको प्रस्तावित किया । उसके लिये आप भगवान के नाम पर केन्द्र से धन मांग लें ।

दूसरी बात यह है कि आपकी सहायता जिसके लिये होती है उसके पास वह पहुंच नहीं पाती है । एक तो जो तकावी रूल है कि किस तरह से बटे उसमें खुद कमी है । जो भूमिहीन हैं वे तकावी नहीं पाते हैं। यह आपके कानून में और नियमों में खामी है । उसको आप दूर कीजिये । आपके फेमीन कोड में भी खामियां हैं । उनकी ओर भी सदन का ध्यान समय-समय पर हमने आकर्षित किया है । कमिश्नर ने देवरिया के कलेक्टर को यह आदेश दे दिये कि सलेमपुर में लोगों को मुफ्त सहायता नकदी में न दी जाय बल्कि गल्ले के रूप में दी जाय । कमिश्नर महोदय ने तो फेमीन कोड पढ़ा नहीं था । उसका नतीजा यह हुआ कि ६ हजार रुपया आज भी बटने के लिये पड़ा है । कलेक्टर और तहसीलदार वहां के परेशान हैं । आपको फेमीन कोड को भी बदलना चाहिये ।

हम सभी लोग तो बाढ़-पीड़ित हैं । मैं बार-बार सरकार को निमंत्रण देता हूं कि वह सदन के समाप्त होने से और सरकार के समाप्त होने से पहले ही हमारे इलाके को देख ले, उससे आपको रोशनी मिलेगी । अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दोस्तान त्याग और तपस्या का देश रहा है, अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो चुनाव आ रहे हैं उसके बाद और सन् ६२ में घाघरा की दो करोड़ जनता की ओर से सभी को दावत देता हूं कि वह बाढ़ पीड़ितों की समस्या के सही हल के लिये आन्दोलन करेगी और उस आन्दोलन का श्रीगणेश सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में होगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, आज तमाम दिन इस बाढ़ के मसले पर सदन में विवाद हुआ । उसमें हमारे बहुत से मित्रों ने भाग लिया और अपने-अपने सुझाव भी दिये । यह मैं कह सकता हूं कि बड़ी सावधानी और गंभीरता के साथ हमारे मित्रों ने अपनी बातों को रखा । लेकिन आखिर वक्त में श्री गोविन्दसिंह बिष्ट ने, जैसा कि उनका दस्तूर है मौके की गंभीरता को भी वे नहीं देखते, व्यक्तिगत आक्षेप किये, पार्टी लाइन पर आक्षेप किये । मैं उनसे उत्तेजित नहीं होता हूं ।

एक बात उन्होंने और कही कि सरकार जो मदद देती है वह पार्टी लाइन्स पर देती है । उसको सिद्ध करने के लिये उन्होंने उन्नाव के केस को रिफर किया और कहा कि जहां-जहां कांग्रेस नाकामयाब रही वहां-वहां के लोगों की सरकार ने उपेक्षा की । उन्होंने लखनऊ का भी हवाला दिया । यहां से तो त्रिलोकीसिंह जी जो कि आपोजीशन के लीडर हैं, वे चुन कर आये । अगर उनकी वह युक्ति ठीक होती तो उनको लखनऊ का केस रिफर नहीं करना चाहिये था । उससे तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो बहस उन्होंने की है वह बिलकुल लचर बहस थी और वाकये से बिलकुल बईद थी ।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने इस बात को साफ तौर से रख देना चाहता हूं कि जहां तक फंड्स के एलाटमेंट का ताल्लुक है, हमने जिलों के कलेक्टर्स को यह हिदायत दे रखी है कि जो कुछ आवश्यकता उनके जिलों की हों वे हमको बतायें । बदायूं के एक कलेक्टर साहब नये थे और मांगने में हिचकते थे उनको मैंने कहा कि जो जरूरत हो बिना हिचक के मांगो । कलेक्टर्स वहां की आवश्यकता को देखते हुये जो कुछ मांगते हैं उसमें हम बहुत कम इंटरफियरेंस करते हैं । जितना वह मांगते हैं उतना ही हम देने का प्रयत्न करते हैं । अलग-अलग कलेक्टर अपने-अपने जिलों का तखमीना करते हैं । अगर उसको हम यहां पर बैठ कर करें तब तो हम पर यह लांछन लगाया जा सकता है कि हम पक्षपात करते हैं और एक जिले को कम और एक को ज्यादा दे देते हैं । जो वे मांगते हैं वही हम स्वीकार करते हैं । अब भी और जो कुछ उनकी जरूरतें होंगी हम देने का प्रयत्न करेंगे ।

हमने टैस्ट वर्क्स के बारे में भी एलाटमेंट्स किये हैं । लेकिन यह भी हमारी अंतिम रकम नहीं है । जिलेवार जितनी उसकी जरूरत होगी और कलेक्टर्स उसके लिये जो हमें लिखेंगे, वह रुपया हम देने के लिये तैयार हैं ।

एक बात हमें बड़े ताज्जुब की मालूम हुई जो हमारे भाई त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि आप कुछ जिलों को दीजिये लेकिन काफी दीजिये, सब को चाहे न दीजिये । लेकिन अगर मैं इनके जिले को न दूं या किसी जिले को न दूं तो यहां असेम्बली में खड़ा हो सकता हूं और यहां बैठ सकता हूं ? इसके लिये मैं क्या जवाब दे सकता हूं ? भाई त्रिलोकीसिंह की यह सलाह मुझे काबिले मंजूर नहीं है । जो चार्जेज हमारे ऊपर इस समय लगाये जाते हैं वे तो ऐसे हैं कि उनसे ही स्वयं सिद्ध हो जाता है कि मैं सब को देना चाहता हूं क्योंकि हमारे प्रदेश में जितने जिले हैं वे सब एक ही परिवार के हैं और हमारे पास अगर एक रोटी है तो एक-एक टुकड़ा बांट कर सब उससे गुजर करेंगे । यह नहीं हो सकता कि सब लखनऊ को ही दे दें या बहराइच को ही दे दें और उन्नाव, पीलीभीत और खीरी को कुछ भी न दें । ऐसा करना हम समझते हैं कि किसी तरह से युक्तिसंगत भी नहीं होगा और उसके लिये हमारे पास कोई डिफेंस भी नहीं है ।

हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि हाउस सबसिडी बहुत कम दी जाती है । मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि जिनके मकान गिरे हुये हैं, उनमें जो अकिंचन है, गरीब हैं, हरिजन हैं या नीचे तबके के हैं, हम उनकी सहायता तो कर सकते हैं लेकिन जो मजबूत हैं, उनकी सहायता करने के लिये हम तैयार नहीं हैं और न कर सकते हैं । सहायता की रकम मकान के लिये २५ रु० की जगह बढ़ा कर अब ५० रु० कर दी गयी है ताकि वे कच्चा मकान न बना सकें तो एक झोपड़ी बना कर तो रह ही सकें । मुमकिन है कि यह रकम कम हो लेकिन हमारे पास ज्यादा रकम हो तो हम और भी देने के लिये तैयार हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या २५ रुपयों में झोपड़ी बन जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—५० रुपये में झोपड़ी बन सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कभी झोपड़ी में रह कर देखिये तब मालूम हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—झोपड़ी में रहा हूं और देखा भी हूं ।

एक बात और कही गयी । श्री रघुबीर सिंह जी ने तमाम नदियों का जिक्र किया, उन सब का नाम मुझे तो याद नहीं रह सकता । अब घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक, छोटी गंडक याद रखूं या उन छोटी-छोटी नदियों को याद रखूं जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है ।

जहां तक विद्यार्थियों की फीस माफी की बात कही गयी, मेरे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि उसके लिये भी मैंने प्रबन्ध किया है और कलेक्टरों को यह आदेश दे रखा है कि जहां आवश्यक हो वहां विद्यार्थियों की ४-५ महीने तक फीस की सहायता की जाय और अगर रुपये की कमी हो तो हम और रुपये देंगे ।

श्री उग्रसेन—वे लोग बांटते नहीं हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे उसे अपने पर्सनल लेजर में तो डाल नहीं देंगे उनको तो उसे बांटना ही पड़ेगा । उसमें कुछ दिक्कत भी पड़ती है जिससे देर हो जाती है क्योंकि उन्हें हर प्रिंसिपल से पूछना पड़ता है कि आपके यहां कितने तथा कौन-कौन विद्यार्थी फ्लड एफेक्टेड एरिया के हैं तथा कौन गरीब हैं, तो इन सब में कुछ टाइम लगता है ।

जहां तक तकावी के रियलाइजेशन की बात है, हमारे भाई त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि वह रकम तो वापस आ ही जायगी लेकिन सोचने की बात है कि वह कब वापस आयेगी । अभी भी तकावी का पिछला बकाया करीब १० करोड़ रुपये का है ।

श्री त्रिलोकीसिह---हर साल ५० लाख रुपया वसूल भी तो होता है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आज भी फलड अफेक्टेड एरिया की तकावी की वसूली बन्द है । तो मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं है कि जो देने वाले भी हैं उनको हम नादेहन्द बना दें । सन् ५२-५३ में करीब २५ लाख रु० की तकावी माफ की गयी, फिर जो देने वाले थे उन्होंने भी नहीं दिया । अब लोग यह कहते हैं कि तकावी वापस मत करो, आखिर में तो चल कर वह माफ हो ही जायगी । आज भी वर्षों की तकाबी बाकी पड़ी है । ऐसी हालत में हम किसी को नादेहन्द नहीं बनाना चाहते हैं, वे भले ही उनको नादेहन्द बनाना पसन्द करें । जो देने वाले हैं वे तो दें और जो न देने वाले हैं उनसे हम सहूलियत के साथ वसूल करना चाहते हैं । हम उनको तंग नहीं करना चाहते हैं । आजकल तो हमने स्टे कर ही दिया है । २१ अगस्त को मैंने एनाउन्स कर दिया है कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में जहां आठ आने से ज्यादा नुकसान हैं वहां वसूलयाबी सब बन्द रहेगी ।

एक बात यादवेंद्रदत्त जी ने कही रेमिशन के बारे में । हमारे ३४ जिलों से रेमिशन के प्रपोजल्स आ गये हैं । १ करोड़ १२ लाख के प्रपोजल्स हैं । जौनपुर का २ लाख से ज्यादा है । गवर्नमेंट बहुत सतर्क है । इस साल हम और जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा तकलीफ हुई है लोगों को, सैलाब बहुत दिनों तक रहा है, वह पीड़ित हैं । हम यह नहीं चाहते कि छूट भी दें और वसूलयाबी भी हो . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो रेमिशन आप देना चाहते हैं उसकी परची क्यों नहीं देते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप ऐसी बात बतावेंगे कि वक्त गुजर जाय और उनको छूट न मिले । परचे बांटे तो ६ महीने पर्चियों में लग जायं । हमने तो आदेश जारी कर दिया, प्रपोजल्स आ गये और सब काम होगा ।

मदन पांडेय जी ने नैपाल बांध बनाने की बात कही, और कई बातें कहीं, और आखिर में कहा कि हम बगावत करेंगे । अगर बगावत करेंगे तो अकेले नहीं रहेंगे । हम उनके हल्के की बात देख आये हैं । बगावत कैसे करेंगे । हर काम के लिये कुछ जरूरतें पूरी होनी चाहिये । नैपाल टैरीटरी में बांध बनाना है, जमीन उनकी ह, तो बिना उनके पूछे हम बांध बना दें ? आप कहें कि आधा ही बना दो या ६ महीने में बना दो, तो यह नहीं हो सकता । १९५५ में इस बांध की योजना मंजूर की गई । तभी से गवर्नमेंट आफ इंडिया नैपाल गवर्नमेंट से कोशिश कर रही है कि उनकी कंसेन्ट मिल जाय । बिना कंसेन्ट के कैसे बना लें । हम तो उसकी जरूरत समझते हैं । अगर नहीं बनेगा तो हानि होगी, लेकिन हम करें क्या ? फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिमाइंडर भेजेंगे । हम तो उनके थ्रू प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते । उनमें जो दिक्कतें मौजूद हैं उसकी वजह से मजबूरी है ।

हमारे मित्र शिवशरणलाल जी ने कहा कि दोआबा की तरफ तो उपेक्षा की गई है । राप्ती में तीन दिन अगस्त में बाढ़ रही और घाघरा में एक महीने रही । तो तीन दिन वाले को पहले देखा जाय या एक महीने वाले को ?

श्री गौरीशंकर राय---दिल खोलकर दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तब भी तो लोग शिकायतें करते हैं कि आप पक्षपात करते हैं । शिवशरणलाल जी ने जो शिकायत की इससे यह बात तो गलत हो गई कि हम पक्षपात करते हैं । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । यानी हमने अपने जिले के साथ भी पक्षपात नहीं किया ।

श्री गौरीशंकर राय---हम लोगों को भी दिल खोलकर दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक बात हमारे विकल जी ने भी कही है। मैं उनसे इस्तदुआ करूंगा कि जिस शख्स की बात उन्होंने रेफर की उसका पूरा पता दे दें, I will take action on it। मैं यह भी माननीय सदस्यों को बतला दूं कि यह आदेश है कि जितना नुक्सान हुआ हो उसे अन्डर एस्टीमेट करने का प्रयास न किया जाय। लेखपालों की आदतें लोगों ने बिगाड़ी हैं, दे दे कर लिखवा लेते हैं . . . .

एक सदस्य---सबसे ज्यादा आपकी सरकार ने बिगाड़ी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो पहले की सरकार की बात थी।

एक सदस्य---वह तो बदल गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन---लेकिन आदमी तो वह हैं ही। अगर ढूंढा जाय तो हर एक मेम्बर का कोई न कोई रिश्तेदार निकल आवेगा। उनकी आदतें पुरानी है और हमारी और आपकी भी है कि देकर ज्यादा लिखवा लें। तो हम लोग अपनी आदतों को सम्हालें या जिसने लिया हो उसका पूरा पता मुझे दे दें तो जो मुनासिब कार्यवाही हो मैं उसे अमल में लाऊं। हम कुछ कर देंगे तो रिट दाखिल हो जायगी और वह बहाल हो जायगा। डेमाक्रेसी में पाजिटिव प्रूफ न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। स्पेसिफिक केसेज किसी माननीय सदस्य की नालेज में हों, बराय मेहरबानी हमें लिख दें, उस समय हम कुछ न करें तो हमको जो चाहे कहिये।

एक बात यह कही गयी कि तकावी के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। हम कभी नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई पार्टीबन्दी का मामला हो। यह जनता की तकलीफ का मामला ह। किसी तरह से उसे रफा करना चाहिये। हमको, आपको और सबको उसमें सहयोग देना चाहिये। अगर कोई ऐसे आदेश होते तो रामलक्षण तिवारी क्यों शिकायत करते, वह तो कांग्रेस के हैं, उनकी उपेक्षा की गयी। हम तो चाहते हैं कि जो पैसा हम देते हैं उसका सही तौर से वितरण हो और जो मुस्तहक है उसके पास पहुंच जाय।

जौनपुर का पुल डगमगाया है। उसे हम देखेंगे। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या करेंगे। बहुत से गांवों का जिक्र हमारे मित्रों ने किया जो दरिया में कट कर बह गये और बहुत से ऐसे हैं जो बहुत नशेब जमीन में पड़ गये हैं। हमारे कलेक्टरों को आदेश हैं और ऐक्ट में भी उन्हें पावर्स हैं कि सेफर जमीन ढूंढ कर उसे एक्वायर करके वहां उन्हें बसाने की कोशिश करें।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---जहां जमीन अवेलेबिल है वहां भी वे नहीं बसाये जा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की मिसाल दे दूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बात गलत है। कलेक्टर नहीं करते हैं तो आपने कहा होता। बहुत से केसेज ऐसे हैं कि उनसे कहा जाय कि तुम जा कर वहां रहो तो वे नहीं जाना चाहते हैं। सैलाब के जमाने में स्वयंसेवक के नाते से मैंने काम किया है। लोगों को निकाल कर ले जाते थे तो वे कहते थे, नहीं, ८ दिन में तकलीफ खत्म हो जायगी, हम जाना नहीं चाहते। तो यह भी दिक्कत पड़ती है। जैसा कि त्रिलोकीसिंह जी ने कहा हमारे जिले में गांव ऊंचे किये गये हैं। एक साहब थे, गांव ऊंचा करने गये, तो लट्ठ ले कर दौड़ पड़े। उन्होंने ऊंचा नहीं करने दिया। जिनके गांव ऊंचे हो गये जब उनके घर बचे रहे। तो फिर वे साहब मुझसे मिले। कहने लगे हमारा गांव भी ऊंचा हो जाय। मैंने कहा कि तुम तो लट्ठ लेकर चले थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा गांव भी ऊंचा कर दिया जाय। तो जब फायदा देखते हैं तो लोग राजी हो जाते हैं। १९१ गांव हमारे गांव के हलके में बिलकुल बह गये। त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि उस तरफ के गांव रेज करने चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह---कितने रेज किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---काफी रेज किये गये । अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत से गांव रेज किये गये हैं । और वह गांव अब भी महफूज हैं । तो इस तरह की कुछ योजनायें हैं । अब वह बन्धा बना है तो बना है, उसको खोदना भी बहुत नामुनासिब बात है । दूसरा तरीका यही हो सकता है कि उधर गांव रेज कर दिये जायं तो जितनी सिक्योरिटी फ्लड की होती है, वह कम हो जाय ।

एक बात मैं आखिर में कह देना चाहता हूं कि सरकार जहां तक हो सकेगा सब की पूरी सहायता करने की कोशिश करेगी । जो बात मैंने रिसोर्सेज वाली बतायी है वह ठीक बतायी है । अगर हम आपसे डिमांड भी करें तो जितनी कंटिंजेंसी अपने पास है या और फंड है उतना ही तो मांग सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं मांग सकते । कानून की बात जो आपने बतायी वह तो ठीक है कि हम आपसे दरख्वास्त करें लेकिन पूंजी को देख करके ही तो दरख्वास्त करेंगे नहीं तो आप कहेंगे कि उसमें तो थोड़ा है, इतना कैसे मांग रहे हो ।

भाई मोतीलाल जी ने कहा कि हम क्यों बुलाये गये हैं । आप बुलाये गये हैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स पास करने के लिये, फ्लड पर बहस के लिये, वहां का हाल बताइये, जो कुछ खामी हो उसको हम पूरा करें । इसी सब काम के लिये आप बुलाये गये हैं, कोई शक्ल देखने के लिये थोड़े ही बुलाये गये हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप आश्वासन दीजिये तो काम चले कि एक मकान बनाने के लिये कम से कम ५०० रुपये से कम नहीं दिये जायेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उतना रुपया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यह विवाद समाप्त हुआ । अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
१३ नवम्बर, १९६१ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३३ पर]

सरकार द्वारा मनोनीत संचालक के लिये निर्धारित योग्यतायें

१—उसकी आयु २१ वर्ष से कम न हो ।

२—वह बैंक में कोई लाभ का पद स्वीकार न किये हुये हो ।

३—उसका कोई निकट संबंधी बैंक में कोई लाभ का पद ग्रहण न किये हो।

४—वह दिवालिया घोषित न कर दिया गया हो ।

५—वह अस्वस्थ मस्तिष्क का न हो ।

६—उसे पिछले ५ वर्षों में किसी ऐसे अभियोग में सजा न हो चुकी हो जो रजिस्ट्रार की सम्मति में नैतिक पतन हो ।

७—रजिस्ट्रार की सम्मति में उसके ऊपर बैंक के हित के विरुद्ध दुर्भावना से कोई कार्य करने का आरोप न हो ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर)

गबन विवरण

ललितपुर भरोली साधन सहकारी समिति का एकाउन्टेंट समिति का २,८६४ रु० ३१ नया पैसा जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद की टांडा स्थित शाखा में जमा करने के लिये २२-६-६१ को मालपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी में सवार हुआ और उसने अकबरपुर जाकर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी कि २,८६७ रु० किसी ने गाड़ी मे या स्टेशन पर उसका झोला काटकर निकाल लिया ।

रेलवे पुलिस व विभागीय अधिकारियों को सम्मिलित मांग पर एकाउन्टेंट की रिपोर्ट झूठी मालूम हुई । एकाउन्टेंट ने विभागीय अधिकारियों के सामने २३-६-६१ को स्वीकार भी किया कि रुपया उनके जिम्मे है और इस रकम को उन्होंने २८-६-६१ को टांडा बैंक में जमा कर दिया ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०) तथा उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर अधिनियम, १९६१ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१) को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये ;

विधेयक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६१

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ राज्यपाल द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रख्यापित किया गया था,

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश को विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ की धारा १८ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १८ की उप-धारा (१) में शब्द तथा कामा "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई द्वारा खरीद किये हुये गन्ने के प्रत्येक मन" के स्थान पर शब्द और कामा "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई, जैसी भी दशा हो, द्वारा खरीदे गये गन्ने के प्रत्येक "क्वींटल" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उपधारा (१) में:—

(१) खंड (क) में शब्द "प्रति मन गन्ने पर पच्चीस नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्वींटल गन्ने पर सड़सठ नये पैसे" रख दिये जायं, और

(२) खंड (ख) में शब्द "प्रति मन गन्ने पर छः नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्वींटल गन्ने पर सोलह नये पैसे" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६१ का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

४—उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गई अधिनियमिति (enactment) हो ।

उद्देश्य और कारण

इस वर्ष १ नवम्बर, १९६१ से फैक्टरियों तथा इकाइयों द्वारा मैट्रिक बांट अपनाये जाने के फलस्वरूप, फैक्टरी के स्वामी अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ के अधीन देय क्रय-कर की वसूली मनों के बजाय क्वींटलों के अनुसार की जायगी। इसी प्रकार फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के अध्यासी द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ के अधीन देय कमीशन की वसूली भी नये बांटों तथा मापों के अनुसार करनी होगी। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ को इस प्रकार संशोधित किया जाय कि वे मैट्रिक प्रणाली के अनुरूप हो जायं और नये बांटों तथा मापों के अनुसार क्रय-कर और कमीशन निर्धारित तथा वसूल करना सुगम हो जाय।

२—अतः अब एक विधि को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है जिससे कि ये दोनों अधिनियमितियां मैट्रिक प्रणाली के अनुरूप हो जायं।

चन्द्रभानु गुप्त
मुख्य मंत्री।

विवरण

जिसमें उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ में किये गये परिवर्तन का स्पष्टीकरण दिया गया है।

१—उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ की धारा ४ में सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। चूंकि दोनों अधिनियमों [उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१] में सामान्य नियम बनाने के अधिकार से यह प्रयोजन बिलकुल सिद्ध हो जाता है, इसलिये यह उपबन्ध अनावश्यक समझा गया है और तदनुसार विधेयक में इसे निकाल दिया गया है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

मूल अधिनियमों की उन विभिन्न धाराओं की प्रतिलिपि, जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

१—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३)

१८—(१) फैक्टरी अथवा गुड़, राव या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई द्वारा खरीद किये हुए गन्ने के प्रत्येक मन के लिये फैक्टरी अथवा गुड़, राव या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के अध्यासी द्वारा कमीशन देय होगा । गन्ने की खरीद पर कमीशन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१)

३—(१) गन्ने के क्रय पर:—

(क) फैक्टरी, यदि वह फैक्टरी के स्वामी द्वारा हो तो प्रति मन गन्ने पर पच्चीस नये पैसे की दर से, और कर आरोपित करना

(ख) यदि वह इकाई के स्वामी द्वारा हो तो प्रति मन गन्ने पर छः नये पैसे की दर से,

ऐसी रीति से कर लगाया और वसूल किया जायगा, जो नियत की जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २५० एल० ए०—१९६२—८४६ ।